खण्ड-115, अंक-5
शुक्रवार, 28 अग्रहायण, शक संवत् 1874
(19 दिसम्बर, 1952 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 115 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, १९ दिसम्बर, १९५२

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३६३)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अब्दुल रऊफ़ खां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उमाशंकर , श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फत सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याण राय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण बंडन, श्री
किन्दर लाल, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश , श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गोबिन्दवल्लभ पन्त, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री

चन्द्रपाल वाजपेयी, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रभानु शरण सिंह, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्र सिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरण सिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह बिष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दीनदयालु शर्मा श्री,
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्म सिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरेन्द्र सिंह बिष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन, श्री
निरंजन सिंह, श्री
निहालुद्दीन, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री

पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनरजी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फतेह सिंह राणा, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मील, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्भर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपाल सिंह खत्री, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेव प्रसाद, श्री
महाराज सिंह, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुजफ़्फ़र हसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मूलचन्द, श्री
मूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक़ अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाख़री, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणञ्जय सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री

रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनाथ तिवारी, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफत हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्टनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव मिश्र, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती

विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेंद्रविक्रम सिंह, श्री
वीरेन्द्रशाह,राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
ब्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनारायण , श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजवली सिंह, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवरामराय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द्र, श्री
श्यामसनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द , श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मख़फी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्य सिंह राणा, श्री
सत्यानन्द, श्री
सफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्यप्रसाद श्रवस्थी, श्री
सूर्य्यवली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आज़मी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयाल सिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त,श्री
हरगोबिन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुना , श्री

प्रश्नोत्तर

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

*१—श्री द्वारिका प्रसाद पांडेय (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)—[देखिये आगे पृष्ठ २८३ पर]

चीनी की मिलों के चलने में विलम्ब

*२—श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि प्रदेश की कौन चीनी मिल किस-किस तारीख से इस वर्ष चल रही है?

उद्योग मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—इस वर्ष दिसम्बर ११, १९५२ तक कुल ४० मिलें चली हैं। इनके चलने की तिथि नत्थी तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३५६ पर)

*३—श्री गेंदा सिंह—कितनी चीनी मिल ऐसी हैं जो अभी तक नहीं चल रही हैं? वे कब से चलेंगी और क्या ऐसी मिलें भी हैं जो इस वर्ष चलेंगी ही नहीं?

श्री हुकुम सिंह—२६ चीनी मिल ११ दिसम्बर, १९५२ तक नहीं चली हैं। इनके चलने की तारीख की सूचना सरकार के पास नहीं है। जो ६६ मिलें पिछले वर्ष चली थीं उन सबके इस वर्ष भी चलने की पूर्ण संभावना है।

श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कितनी ऐसी मिलें हैं जो इस साल नहीं चलेंगी?

श्री हुकुम सिंह—मैंने जवाब दिया कि जो ६६ चली थीं उन सबकी चलने की संभावना है।

श्री गेंदा सिंह—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इस वर्ष नार्मल सीजन कितने दिन का रक्खा गया है?

श्री हुकुम सिंह—इसके लिये नोटिस की जरूरत है।

श्री गेंदा सिंह—क्या माननीय मंत्री को मालूम है कि पिछले साल से आज की तारीख से पहले कई मिलें चल रही हैं?

श्री हुकुम सिंह—जी हां, खबर है।

श्री गेंदा सिंह—क्या सरकार को इस बात की खबर है कि इस वर्ष मिलों के फेरने से कुछ गन्ना बाकी रह जायगा?

श्री हुकुम सिंह—इसकी कोई खबर हमें नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या उद्योग मंत्री बतलायेंगे कि गत वर्ष देवरिया शुगर मिल वक्त से पहले बन्द हो गई जिससे बहुत सी ईख खेतों में सूख गई?

श्री हुकुम सिंह—ऐसी कोई सूचना मुझे नहीं है।

श्री श्रीचन्द (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष मिलें चलाने में देर क्यों हुई?

श्री हुकुम सिंह---बहुत सी दिक्कतें हैं। पारसाल की माली दिक्कतें अब भी हैं।

श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर)---क्या सरकार बतलायेगी कि मिलों की दबाव नीति के कारण सरकार के ऊपर यह दबाव पड़ रहा है कि काश्तकारों के पेमेंट करने के लिये सरकार मिलों को बाध्य न करें ?

श्री हुकुम सिंह---ऐसी तो कोई बात मालूम नहीं होती।

श्री भगवान सहाय---क्या माननीय मंत्री जी को इस बात का पता है कि पारसाल तीन चीनी मिलें नहीं चली थीं ?

श्री हुकुम सिंह---मैं इसका पता इस समय नहीं दे सकता हूं।

श्री भगवान सहाय---क्या सरकार इसके लिये आखिरी तारीख निश्चित करेगी कि इस वक्त तक चीनी मिलें चालू कर दी जाया करें ?

श्री हुकुम सिंह---जब नहीं चलायेंगे तो जरूर तदारुक करूंगा।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)---क्या माननीय मंत्री जी को यह सूचना मिली है कि सरकार की आज्ञा के विरुद्ध जिला मैजिस्ट्रेटों ने गुड़ के आयात और निर्यात पर रोक लगा दी है ?

श्री हुकुम सिंह---नहीं।

हेल्थ आफिसर जौनपुर के तबादले की सिफारिश

*४---श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जौनपुर डि० बो० ने अपनी गत बैठक में डि० हेल्थ आफिसर के चेचक संबंधी गलत रिपोर्ट देने के कारण असंतोष का प्रस्ताव करके तबादिले के लिये सिफारिश की है ?

अन्न मंत्री के सभा सचिव (श्री बनारसी दास)---जिला बोर्ड जौनपुर ने एक प्रस्ताव स्वीकार किया कि वर्तमान जिला स्वास्थ्य अधिकारी को उनका कार्य ठीक न होने, लापरवाह तथा सुस्त होने के कारण स्थानान्तर कर दिया जाय।

*५---श्री बाबूनन्दन---यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बनारसी दास---जिला बोर्ड ने प्रस्ताव को संचालक, चिकित्सा तथा स्वास्थ्य विभाग के पास नहीं भेजा। इस लिये कोई कार्यवाही नहीं हुई।

श्री बाबूनन्दन---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि हेल्थ आफिसर की सुस्ती और लापरवाही के संबंध में ऊंचे पदाधिकारियों के पास सूचना क्यों नहीं भेजी गई ?

श्री बनारसीदास---जैसा कि पहले कहा गया है कि इस प्रस्ताव की सूचना देने का फर्ज प्रेसीडेंट डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का था कि वह इसकी सूचना संचालक के पास भेजते। लेकिन ऐसी कोई सूचना उनके पास नहीं भेजी गई ।

श्री बाबूनन्दन---क्या हेल्थ आफिसर जौनपुर का कार्यकाल समाप्त हो गया है और उनको तौसीअ दी गई थी ?

श्री अध्यक्ष---यह तो आप व्याख्यान सा दे रहे हैं । आप सवाल अलग-अलग कर के पूछिये।

श्री बाबूनन्दन---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर के हैल्थ आफिसर का कार्यकाल समाप्त हो गया है ?

श्री बनारसीदास---जी हां, इस वक्त वह रिइम्प्लायड हैं।

श्री बाबूनन्दन---यदि हां, तो उनका कार्यकाल कब समाप्त होता है ?

श्री बनारसीदास---यह तो उत्तर दिया गया है कि उनको रिइम्प्लायड किया गया है। अभी ऐसा प्रश्न नहीं है कि उनको आगे वृद्धि दी जायगी या नहीं।

जौनपुर जिले में प्लेग का प्रकोप

*६---श्री बाबूनन्दन---क्या सरकार को मालूम है कि जौनपुर जिले में प्लेग का प्रकोप बढ़ रहा है ? यदि हां, तो उसके लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री बनारसीदास---ताऊन के शुरू होने की सूचना जौनपुर जिले से संचालक, चिकित्सा तथा स्वास्थ्य विभाग को नहीं मिली। इसकी जांच की जा रही है।

श्री गेंदा सिंह---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार के पास सीधी कोई ऐसी व्यवस्था है कि महामारी के संबंध में रिपोर्ट मिल जाया करे।

श्री बनारसीदास---जी नहीं।

तारांकित प्रश्न

सिकन्दराराऊ (अलीगढ़) में दूकानदारों की हड़ताल

*१---श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि २१ सितम्बर, १९५२ को सिकन्दराराऊ (अलीगढ़) में दूकानदारों ने हड़ताल की थी ? यदि हां, तो इसका क्या कारण था ?

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---सिकन्दराराऊ (अलीगढ़) में २१ सितम्बर, १९५२ को कुछ दूकानदारों ने थोड़े समय के लिये अपनी दूकानें बन्द रक्खीं। कारण यह था कि दूकानदार भगवती प्रसाद हजारी लाल जिनकी दूकान में चोरी हुई थी सिकन्दराराऊ अस्पताल के एक चौकीदार को जिस पर वे शक करते थे, पुलिस द्वारा पकड़वाना चाहते थे, पर प्रमाण न मिलने के कारण पुलिस ने उसे नहीं पकड़ा। इस पर उक्त दूकानदारों ने हड़ताल कराने का प्रयत्न किया जो असफल रहा। ११ बजे दिन के पश्चात् सभी दूकानें खुल गईं।

सिकन्दराराऊ (अलीगढ़) की पुलिस व छात्रों के बीच तनातनी

*२---श्री नेकराम शर्मा---क्या सरकार को मालूम है कि सिकन्दराराऊ की पुलिस ने सिकन्दराराऊ के एक छात्र को बुरी तरह पीटा था ? यदि हां, तो सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---हेड कान्सटेबुल टीकाराम ने एक छात्र को पीटा था। उसको मुअत्तल कर दिया गया है और उसके विरुद्ध वैभागिक कार्यवाही की जा रही है।

श्री नेकराम शर्मा---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पुलिस और छात्रों के बीच जो यह मनमुटाव पाया जाता है उसको दूर करने के लिये सरकार ने क्या हिदायत जारी की है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--यह तो वैभागिक प्रश्न है और इसके संबंध में इस समय कोई उत्तर देना संभव नहीं है।

श्री गेंदा सिंह--क्या माननीय पुलिस मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि पुलिस और छात्रों के बीच में रिश्ता खराब है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--आमतौर पर तो यह नहीं है परन्तु कुछ जगहों में ऐसी दुर्घटनायें हो गईं जिससे मालूम होता है कि उन जगहों में कम से कम कुछ समय के लिये संबंध बहुत अच्छे नहीं रहे।

श्री गेंदा सिंह--क्या माननीय पुलिस मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वह कौन-कौन से जिले हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--पिछले २-४ महीनों के अन्दर ऐसी घटनायें फर्रुखाबाद में हो गयीं जिसका जिक्र अखबारों में आप लोगों ने देखा होगा। रायबरेली में कुछ थोड़ी सी हुई और कुछ बनारस में हुईं। अब तो इन तीन जगहों की ही याद पड़ती है।

श्री नेकराम शर्मा--क्या यह सच है कि उस छात्र को पुलिस गिरफ्तार करके थाने में ले गयी और वहां उसको ४-५ घंटे के बाद छोड़ा था?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--एक दिन नहीं दो दिन तक उसको थाने में ले जाया गया और वहां पर उससे कुछ सवाल किये गये।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिस कांस्टेबिल की ज्यादती पाई जाती है उसके ऊपर कोर्ट में मुक़दमा चलाने का सरकार विचार करती है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मैंने जवाब में बतला दिया कि उसको मुअत्तिल कर दिया गया है और इसके बाद जो वैभागिक कार्यवाही की जायगी वह काफी है।

सिकन्दराराऊ (अलीगढ़) में चोरी तथा गिरहकटी

*३--श्री नेकराम शर्मा--क्या सरकार बतलायेगी कि सिकन्दराराऊ में १७ व १८ सितम्बर, १९५२ को चोरी और जेबकटी की कितनी घटनाएं पुलिस द्वारा चालान की गयीं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--एक भी नहीं।

*४--श्री गेंदा सिंह--[२५ दिसम्बर, १९५२ के लिये संख्या ११ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

प्रदेश की जेलों में कैदियों से लिये जाने वाले

*५--श्री बाबूनन्दन--क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश की जेलों में क़ैदियों से पायखाना फेंकवाया (कमवाया) जाता है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां, परन्तु यह काम केवल भंगियों और डोमों से लिया जाता है और जहां ऐसे कैदी नहीं होते वहां बाहर के मेहतर नौकर रक्खे जाते हैं।

*६--श्री बाबूनन्दन--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले में क़ैदियों से कौन-कौन सा कार्य दस्तकारी सम्बन्धी कराया जाता है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जौनपुर ज़िला जेल में क़ैदियों से मूंज के बान और फ़र्श, सूत की दरियां और निवाड़ बनवाई जाती हैं।

श्री बाबूनन्दन---क्या मंत्री जी कृपा करके बतलावेंगे कि जौनपुर जेल में कुल कितने क़ैदी हैं और कुल कितने दस्तकारी का काम करते हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जौनपुर जेल में सन् ४९ में ११३.१६ क़ैदी थे और उनमें से १५.८६ कारख़ानों में काम करते थे, सन् ५० में १२१.६ क़ैदी थे और १२.९४ कारख़ानों में काम करते थे, सन् ५१ में १२३.०८ कुल क़ैदी थे और १५.५६ कारख़ानों में काम करते थे।

श्री बाबूनन्दन---क्या मंत्री जी कृपा करके बतलावेंगे कि ऐसे क़ैदी जो जेल में दस्तकारी सीख लेते हैं उनको वहां से निकलने पर उद्योग-धंधों में श्रीमान् जी सहायता दिलावायेंगे?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इस काम के लिये जो एक सोसाइटी उत्तर प्रदेश में कायम है वह इस तरह के दस्तकारी सीखे हुए क़ैदियों की मदद करती है और उनके लिये कोशिश करती है।

श्री मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री (ज़िला गोंडा)---क्या मंत्री जी मेहरबानी करके बतलावेंगे कि जेल के जो क़ैदी अच्छा काम करते हैं, उनके अच्छा काम करने के सिलसिले में उनकी क़ैद में कुछ कमी की जाती है या की जायगी?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां, और क़ैदियों की अपेक्षा उनको रेमिशन ज्यादा मिल जाता है।

*७-८---**श्री देवकीनन्दन विभव** (ज़िला आगरा)---[२६दि सम्बर, १९५२ के लिये स्थगित किये गये।]

जिला बोर्डों के अध्यापकों का वेतन

*९---**श्री रमेश वर्मा** (ज़िला आगरा)---क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि किन-किन जिला बोर्डों ने कब से अध्यापकों को नये स्केल के अनुसार वेतन दिया और क्या ऐसे ज़िला बोर्ड हैं जिन पर अध्यापकों का वेतन बक़ाया (arrears) है?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डाक्टर सीताराम)---सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री रमेश वर्मा---क्या शिक्षा मंत्री जी को अध्यापकों की ओर से शिकायतें मिली हैं कि उन्हें नए स्केल के अनुसार वेतन नहीं दिया जा रहा है?

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)---हां, बहुत से ज़िलों में नहीं दिया गया है।

श्री रमेश वर्मा---क्या सरकार की ओर से कोई ऐसा जी० ओ० भेजा गया है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जब से चाहें तब से नए स्केल के अनुसार वेतन अध्यापकों को दें?

श्री हरगोविन्द सिंह---सरकार की ओर से एक सर्कुलर भेजा गया है कि अगर उनकी आर्थिक दशा ठीक हो तो वह दे सकते हैं और अगर ठीक नहीं है तो न दें, सरकार उनको बाध्य नहीं करती।

श्री रमेश वर्मा---क्या यह सही है कि कुछ ज़िलों के बोर्डों ने अप्रैल, सन् १९४९ से अध्यापकों को नए स्केल के अनुसार वेतन दिया है और कुछ अब तक नहीं दे रहे हैं?

श्री हरगोविन्द सिंह--हां, यह हो सकता है।

श्री शिवकुमार शर्मा--क्या सरकार कृपा करके बतावेगी कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के प्रति सरकार ने यह नीति कब से अख्तियार की है?

डाक्टर सीताराम--१-४-४९ को पहला सर्कुलर भेजा गया था।

*१०-११--श्री रमेश वर्मा--[९ जनवरी, १९५३ के लिये स्थगित किये गये।]

इटावा में राजनीतिक पीड़ित परिवारों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां

*१२--श्री गजेन्द्र सिंह (जिला इटावा)--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इटावा जिले में गत वर्ष व इस वर्ष कितने राजनीतिक पीड़ित परिवारों के विद्यार्थियों को वजीफ़े दिये गये? उनके नाम और पते क्या हैं?

डाक्टर सीताराम--इटावा जिले के जिन छात्रों को गत वर्ष तथा इस वर्ष राजनीतिक पीड़ितों की छात्रवृत्तियां आदि दी गई हैं उनकी एक सूची माननीय सदस्य की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३५८ पर)

श्री गजेन्द्र सिंह--क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतावेंगे कि इस साल इटावा जिले से कितनी दरख्वास्तें राजनीतिक पीड़ितों की छात्रवृत्तियां प्राप्त करने के लिये आई हैं?

श्री हरगोविन्द सिंह--बहुत सी आई हैं, उनका अनुमान देना तो कठिन है।

श्री गजेन्द्र सिंह--जिनको इस साल वजीफ़े दिये गये थे वे किस मैरिट पर दिये गये?

डाक्टर सीताराम--वहां के प्रिंसिपल महोदय की सिफ़ारिश पर कि वे लोग पढ़ने-लिखने में अच्छे हैं, उस आधार पर दिया गया है।

श्री गजेन्द्र सिंह--क्या अधिकतर छात्रवृत्तियां कांग्रेस वालों को ही दी जाती हैं?

श्री हरगोविन्द सिंह--नहीं, यह आरोप ग़लत है।

उच्च माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं के सुप्रबन्ध के लिये समिति

*१३--श्री राजनारायण (जिला बनारस)--क्या यह सही है कि सन् १९४७ में सरकारी सहायता प्राप्त उच्च माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं के सुप्रबन्ध के सम्बन्ध में सुझाव देने के लिये एक समिति श्री रघुकुल तिलक की अध्यक्षता में नियुक्त की गयी थी?

डाक्टर सिताराम--जी हां।

*१४--श्री राजनारायण--क्या सरकार को पता है कि उक्त समिति की रिपोर्ट अभी तक सदन के सामने नहीं रखी गयी है?

डाक्टर सीताराम--जी हां, इसकी आवश्यकता नहीं समझी गयी।

श्री राजनारायण--क्या माननीय मंत्री जी आगे सदन के सामने रखने की आवश्यकता समझते हैं?

श्री हरगोविन्द सिंह-- जी नहीं।

स्वीकृत धनराशि न पाने वाले स्कूल तथा कालेज

*१५—श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी—क्या सरकार एक सूची सूबे भर के उन स्कूलों व कालेजों की मेज पर रखेगी जिनको नवम्बर के अन्त तक मंजूरशुदा ग्रांट-इन-एड (grant-in-aid) नहीं दी गयी है?

डाक्टर सीताराम—सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री—क्या आनरेबिल मिनिस्टर मेहरबानी करके बतावेंगे कि यह सूचना वह कब तक इकट्ठा कर लेंगे और इस सेशन में उसे मेज पर रख सकेंगे या नहीं?

श्री हरगोविन्द सिंह—यह बताना कठिन सा है, बहुत से स्कूल हैं और उनका सब जगह का टोटल लगाना है।

श्री मुहम्मद शाहिद फाख़री—सूचना इकट्ठा करने में जो देर लगेगी क्या उससे यह डर है कि किन्हीं स्कूलों या कालेजों की ग्राण्ट-इन-एड बन्द हो जाय?

श्री हरगोविन्द सिंह—नहीं।

श्री मुहम्मद शाहिद फाख़री—क्या माननीय मंत्री जी फरमायेंगे कि अब भी कुछ ऐसे स्कूल हैं जिन्हें ग्राण्ट-इन-ऐड नहीं मिल रही है?

श्री हरगोविन्द सिंह—हो सकता है।

*१६—श्री मुहम्मद शाहिद फाख़री—क्या गवर्नमेंट बतलायेगी कि ग्रांट-इन-एड उन स्कूलों और कालिजों को अब तक न देने का क्या कारण है?

डाक्टर सीताराम—उपर्युक्त प्रश्न का जब पूर्ण उत्तर दिया जायगा तो प्रत्येक स्कूल को अनुदान न मिलने के कारण भी बताए जायंगे।

*१७—श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)— [९ जनवरी, १९५३ के लिये स्थगित किया गया।]

नैपाल सरहद-स्थित थानों के अन्तर्गत हत्याओं में बढ़ती

*१८—श्री रामलखन मिश्र—क्या सरकार को ज्ञात है कि नैपाल सरहद-स्थित थानों में हत्या की संख्या बढ़ाने में नैपाल सरहद-स्थित अपराधी फरारों, हिरासत राजनीतिज्ञों का भी हाथ है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—गोरखपुर जिले में स्थित सरहदी थानों में इस प्रकार की कुछ घटनायें अवश्य हुईं। शेष सरहदी थानों में ऐसे लोगों का कोई हाथ नहीं था।

श्री रामलखन मिश्र—क्या आदरणीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि सुरक्षा योजना क्या बनाई गई?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—पुलिस की चौकियां वहां कायम की गई हैं। वे बराबर देखरेख रखती हैं? मैं समझता हूं कि वह इसके लिये काफी हैं?

[अनुपस्थित सदस्य का अल्प सूचित तारांकित प्रश्न]

कोयले के एजेंटों की सूची

*१—श्री द्वारिकाप्रसाद पांडेय (अनुपस्थित)—क्या अन्न मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि २७ नवम्बर, १९५२ को उनके विभाग से कोई विज्ञप्ति प्रकाशित कर सभी सरकारी विभागों को सूचना दी गयी है कि वे केवल १५ फ़ार्मों से कोयला ख़रीदें? यदि हां, तो इन फ़ार्मों को किस आधार पर चुना गया है? क्या इनसे कोई नक़दी या किसी अन्य रूप में जमानत ली गयी है?

श्री बनारसी दास—जी हां। दिनांक २७ नवम्बर, १९५२ को एक विभागीय गश्ती पत्र द्वारा सरकारी विभागों को सूचना दी गई है कि वे कोयले की परमिट कुछ निर्दिष्ट कोयले के एजेंटों को ही दे सकते हैं। इन निर्दिष्ट कोयले के एजेंटों की सूची का आधार पूर्व वर्षों में उत्तर प्रदेश को कोयले लाने के आंकड़े रहे हैं। उनसे कोई जमानत नहीं ली गई है।

अतारांकित प्रश्न

जिला मुरादाबाद में कत्ल तथा डकैतियां

१—श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)—क्या सरकार बतायेगी कि पिछले दो वर्षों में जिला मुरादाबाद में प्रतिवर्ष कितने क़त्ल, तथा डकैतियां हुईं? उनमें कितनों की जांच तथा मुक़दमों में पुलिस सफल हुई तथा कितने मुक़दमे चल रहे हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मांगी हुई सूचना साथ में नत्थी नक्शे में देखी जा सकती है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ३५९पर)

राज्य में बालक अधिनियम का लागू होना

२—श्री देवकीनन्दन विभव—क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस प्रदेश में Children's Act (बालक अधिनियम) कब से लागू किया जायगा?

श्री हरगोविन्द सिंह—अभी बालक अधिनियम के अधीन नियम बनाये जा रहे हैं जिसमें कुछ समय लगेगा। नियम बन जाने पर अधिनियम को लागू करने के दिनांक का निश्चय किया जायगा।

शरणार्थी स्थायी समिति के लिये नाम निर्देशित सदस्यों के नामों की घोषणा

श्री अध्यक्ष—शरणार्थी स्थायी समिति के लिये जो नामांकन प्राप्त हुये हैं वे निम्न प्रकार हैं—

१—श्री शिवमंगल सिंह कपूर
२—सरदार तेजा सिंह
३—श्री विश्वम्भर नाथ पांडेय
४—श्रीमती लक्ष्मी देवी
५—श्री वीरेन्द्र विक्रम सिंह
६—श्री नारायण दत्त तिवारी
७—श्री सैयद मुहम्मद सादत अली खां
८—श्री केशव प्रसाद पांडेय
९—श्री राम चन्द्र विकल
१०—श्री उमा शंकर
११—श्री शिवराम पांडेय
१२—श्री गंगाधर शर्मा
१३—श्री मन्नीलाल गुरुदेव
१४—श्री राम सुमेर

यदि कोई नाम वापस नहीं लिया गया तो इन्हीं १४ नामों को निर्वाचित घोषित कर दिया जायगा।

नोट—अल्प सूचित तारांकित प्रश्न १ श्री सीताराम शुक्ल ने पूछा।

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कोर्ट के एक रिक्त स्थान पर निर्वाचित सदस्य के नाम की घोषणा

श्री अध्यक्ष—इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कोर्ट के एक रिक्त स्थान के निर्वाचन के लिये एक नाम श्री मुहम्मद फारूख चिश्ती का आया है, मैं उनको निर्वाचित घोषित करता हूं।

उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन) विधेयक, १६५२

श्री अध्यक्ष—मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन) विधेयक, १६५२, पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी १६ अक्तूबर, १६५२ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने अपनी ३० अक्तूबर सन् १६५२ की बैठक में पारित किया था श्री राज्यपाल की अनुमति २१ नवम्बर, १६५२ को प्राप्त हो गयी और वह १६५२ का उत्तर प्रदेश का * ३२ वां अधिनियम बन गया।

श्री राजनारायण के ६ दिसम्बर, १६५२ के भाषण पर उठायी गयी आपत्ति के संबंध में १८ दिसम्बर, १६५२ को दी गई व्यवस्था का श्री अध्यक्ष द्वारा स्पष्टीकरण

श्री अध्यक्ष—मैं कुछ बातें सदन के सामने इस समय रखना उचित समझता हूं। मैंने कल जो निर्णय दिया और उस संबंध में अखबारों में जो प्रकाशन हुआ है उसको मैंने देखा। यद्यपि उस निर्णय की हिन्दी प्रतियां साइक्लोस्टाइल कराकर देने का प्रबन्ध किया गया था और वे प्रतियां शाम तक दे दी गई थीं इस पर भी अखबारों में कहीं हेडिंग में और कहीं समाचार के शब्दों में कुछ त्रुटियां रह गई हैं। यह मैं जानता हूं कि अंग्रेजी में अनुवाद करने में कुछ त्रुटियां हो जाया करती हैं और कुछ नासमझी की वजह से भी हो जाया करती ह। अतः मैं यहां जो प्रेस कारस्पौंडेंट्स बैठे हुये हैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वह ऐसे मामलों में, ऐसे बड़े फैसलों के वक्त, कुछ अधिक सावधानी बरतें तो अच्छा होगा। विशेषकर जब कि उस समय उठते समय श्री राज नारायण जी यह कह गये थे कि मेरे निर्णय में उनको अपने व्याख्या करने के अधिकारों के ऊपर कुछ आक्षेप सा दिखाई दिया और मालूम पड़ा कि उनका यह अधिकार छिन रहा है इसलिये वह प्रोटेस्ट में उठकर चले गये उसके निर्णय के विषय में जो एक दो शब्द अखबारों में लिखे गये हैं उनको अगर स्पष्ट न किया जाय तो उसका सही अर्थ समझने में गलती हो सकती है, हालांकि अखबार वालों ने उसको काफी अच्छी तरह से समझाने की चेष्टा की है।

मिसाल के तौर पर नेशनल हैरेल्ड के हैडिंग में दिया हुआ है कि —

"Expunction of Remarks" इसमें "रिमार्क्स" शब्द पर ज्यादा जोर दिया गया है जब कि "मिसलीडिंग कोटेशन" के ऊपर ज्यादा जोर देने की आवश्यकता थी। उसके नीचे भी जो टैक्स्ट छपा है उसमें भी कुछ आपत्तिजनक बातें हैं, यद्यपि वे पूर्ण हैं परन्तु उनसे कुछ भ्रमात्मक बातें अवश्य पैदा होती हैं।

इसी प्रकार से "पायोनियर" में शब्द "ट्रिवस्टेड दि टैक्स्ट" इस्तेमाल किया गया है जब कि उसका संबंध केवल टैक्स्ट के बजाय केवल उद्धरण यानी "एक्स्ट्रेट" से था। कंटेक्स से निकाल कर थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट ही राजनारायण जी ने दिया था। दूसरी चीज में

---

* २६ दिसम्बर, १६५२ की असाधारण गजट के अनुसार ४०वां पढ़ा जायगा।

समझता हूं कि पायोनियर की रिपोर्ट में बहुत मिसलिडिंग है। रिपोर्ट में शब्द "दि स्पीकर हैल्ड दैट दि स्पीच वाज डेरोगेटरी" तो लिखे गये हैं परन्तु "स्पीच वाज डेरेगेटरी" ये शब्द मैंने नहीं कहे थे। मैंने कहा था "उद्धरण" डेरोगेटरी मेरे निर्णय में यह हिन्दी में बहुत अच्छी तरह दिया हुआ है कि "यह इस सदन की प्रतिष्ठा के विरुद्ध है कि सदन के सदस्य इस तरह उद्धरणों का प्रयोग करें" यह शब्द अखबार 'नवजीवन' में हैं और स्वतंत्र भारत में भी हैं। "अध्यक्ष ने अपने फैसले में कहा कि श्री राज नारायण सिंह के उस दिन के भाषण से यही प्रकट होता है कि जज की राय वैसी थी इसलिये उनके भाषण का यह हिस्सा हटा दिया जाय।" उक्त वाक्य में भी जो मेरे निर्णय के शब्द हैं वे स्पष्ट हैं। उन्हें स्पष्ट करने के लिये मैं फिर पढ़ देता हूं ताकि स्पष्टीकरण हो जाय। "इस आदरणीय सदन की प्रथा के अनुसार माननीय श्रीराज नारायण जी का उद्देश्य स्वीकार करके यह प्रश्न उठता है" यह वाक्य मेरे निर्णय में थे और वाक्या यही है कि माननीय सदस्य ने जो उद्देश्य बतलाया है उसे मैंने स्वीकार किया कि माननीय सदस्य का यह मोटिव रहा है। लेकिन उसके बाद भी मैंने यह कहा कि "प्रश्न यह उठता है कि आया जो भाषण माननीय राज नारायण जी का लिखा गया अथवा जो सुधार माननीय श्री राज नारायण जी कुछ वाक्यों में करके उसमें शब्द बढ़ाना चाहते हैं उनसे जिस उद्देश्य को उन्होंने स्वयं बताया वह स्पष्ट व्यक्त होता है या नहीं" अब प्रश्न यह है कि वे व्याख्या कर सकते हैं लेकिन उस व्याख्या करने के हेतु जो शब्द उन्होंने रक्खे हैं उनकी व्याख्या यानी उनका सही अर्थ मैं कर सकता हूं, यह सदन भी कर सकता है कि उन शब्दों का क्या अर्थ होता है। मैं समझता हूं कि जो उनका उद्देश्य उन्होंने बताया वह उनके शब्दों से व्यक्त नहीं होता। निर्णय में यही मैंने कहा था। शब्द इस प्रकार हैं "मैंने बहुत गौर से मूल रिपोर्टरों द्वारा लिखित भाषण की प्रति तथा जिस प्रकार माननीय राज नारायण जी भाषण के रूप में हेरफेर चाहते हैं दोनों आवृत्तियां गौर से पढ़ीं और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि दोनों रूपों में यह भ्रम कायम रहेगा कि वक्ता का उद्देश्य यही है कि माननीय हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया है कि सरकार उक्त प्रकार की है।" सरकार इस तरह की है, यह हाईकोर्ट के जज का फैसला है, यह उनके भाषण से व्यक्त होता है। "मूल आवृत्ति से यह बात बिलकुल ही स्पष्ट है और माननीय श्री राज नारायण द्वारा सुधारी प्रति से फैसले के संबंध में "संकेत" तथा "रिमार्क" शब्द के प्रयोग से भी यही भ्रम उत्पन्न होता है क्योंकि "संकेत" शब्द उन्होंने जज का संकेत कहा है कि यह रिमार्क जज का है। तो श्री राज नारायण जी के इस वाक्य से यह स्पष्ट नहीं होता कि जज का यह फैसला नहीं है, और वे स्वयं व्याख्या करते हैं, इससे भ्रम होता है। "क्योंकि जिस स्थान पर प्रमाण रूप में यह उद्धरण दिया गया और जिस जज के फैसले या रिमार्क से माननीय श्री राज नारायण जी ने इस सरकार को हटाने तक का नतीजा निकाला उनसे उक्त भ्रम कायम रहना स्वाभाविक है। इस प्रकार के भ्रमात्मक आंशिक उद्धरण को जो अर्थ विपर्यास करते हों प्रमाण रूप में इस सदन के सामने लाना किसी माननीय सदस्य की प्रतिष्ठा के लिये हानिकर है यानी वह एक्सट्रैक्ट कंटेक्स से निकाल कर और इनकम्पलीट स्वरूप में ऐसा सदन के सामने लाना जिससे भ्रम उत्पन्न हो जाय, और उसका अर्थ विपर्यय हो जाय तो उस एक्सट्रैक्ट को कोट करना यह उनकी प्रतिष्ठा के लिये हानिकर है क्योंकि भाषण तथा इनकम्पलीट एक्सट्रैक्ट जो कोई पढ़ेगा वह यही अर्थ निकालेगा कि माननीय राज नारायण जी कहते हैं कि जज का वह फैसला है। मैंने स्वयं यही अर्थ लगाया। वे अपने शब्दों का स्वयं कोई भी अर्थ लगा सकते हैं और कह सकते हैं "कि उन्होंने केवल व्याख्या की है कि सरकार बेईमान है और उनके भाषण से यह अर्थ नहीं निकलता कि वह जज का फैसला है" परन्तु मेरी समझ में जिस शक्ल में उन्होंने वाक्य के शब्द रक्खे हैं उनके पढ़ने से अर्थ वही भ्रमात्मक निकलेगा कि वह जज की राय थी। तो मेरे सामने यह प्रश्न था कि क्या ऐसा भ्रमात्मक एक्स्ट्रैक्ट उस रोज की कार्यवाही में कायम रहे। यह बात मैंने उस दिन नहीं कही थी कि उनको व्याख्या करने का अधिकार नहीं था। मैं उनको स्पष्ट कह देता हूं कि वह गलत व्याख्या किसी चीज की करना चाहें तो भी कर सकते हैं उनको पूर्ण अधिकार है। लेकिन

[श्री अध्यक्ष]

इस सदन को यह अधिकार है कि वह जो भाषा उपयोग में लावें उसका क्या सही अर्थ होता है उसकी व्याख्या करने का इस सदन के सदस्यों को पूर्ण अधिकार है और अध्यक्ष को विशेषकर के अधिकार है। उन्होंने ऐसी भाषा का उपयोग किया है जिसका कि अर्थ उनका उद्देश्य कुछ भी रहते हुये उद्देश्य से उल्टा निकलता है। तो इस सदन को और अध्यक्ष को पूर्ण अधिकार है कि ऐसे शब्द उसमें से हटा दिये जायं जो भ्रम पैदा करते हैं। मैं उदाहरणार्थ और भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मान लीजिये कि कोई एक सदस्य यहां पर ऐसा है जो किसी धर्म को नहीं मानता और वह कहता है कि मैं नास्तिक हूं। उर्दू में बहुत दफा यह कहा जाता है कि जो रेलीजन को नहीं मानता उसका ईमान नहीं है। अगर कोई माननीय सदस्य यह कहें कि यह शख्स बेईमान है और उसके ऊपर उसने आपत्ति की कि मुझे बेईमान कहा और वक्ता इस बात को कहे कि साहब मैं तो व्याख्या यह करता हूं कि जिसका "ईमान" नहीं है वह "बेईमान" है और "ईमान" उसका नहीं है। जिसका कोई रेलीजन नहीं है और इसमें मैंने कोई अपमानजनक बात उसके लिये नहीं कही है। यह व्याख्या वह कर सकता है हालांकि उसकी व्याख्या कितनी भी गलत हो या, कितनी भी सही हो, वह कर सकता है लेकिन वह शब्द जिस अर्थ में लिया जाता है उसको यह सदन तय करेगा कि यह "बेईमान" शब्द जो है उससे क्या अर्थ लिया जाना चाहिये और अगर "बेईमान" का अर्थ लोग "डिसआनेस्ट" समझते हैं तो लोग समझेंगे कि "डिसआनेस्ट" ही उसका अर्थ है। उनके उद्देश्य को मान लेने पर भी कि उनका उद्देश्य उनको "डिसआनेस्ट" कहने का नहीं था लेकिन अगर "बेईमान" शब्द इस्तेमाल हुआ और उस शब्द का प्रयोग जिस कंटेक्स्ट में आता है और प्रोसीडिंग्ज में लिखा गया उसका अर्थ यहां पर "डिसआनेस्ट" ही लगता है तो वह कार्यवाही से एक्स्पंज कर दिया जावेगा। इसी प्रकार से भाषण के जिस संदर्भ में वह एक्स्ट्रैक्ट उद्धत किया गया है उस से तो अर्थ यही हो सकता है और सदन यही समझेगा कि हाईकोर्ट के जज का कहना है कि यह सरकार बेईमान है। जब ऐसी बात है तो उस बात को उस तारीख की कार्यवाही में रखना उचित नहीं है। यह सही है कि राजनारायण जी का उद्देश्य व्याख्या करने का था उस उद्देश्य को मैं मानता हूं लेकिन उनके शब्दों को अगर मैं कार्यवाही में वहां कायम रक्खूं तो इस सदन के लिये मैं समझता हूं यह अन्याय की बात होगी। उन शब्दों का साधारण जो अर्थ होगा वह अर्थ मैंने देखा कि जैसे शब्द वे चाहते थे उनके वहां रखने पर भी वे शब्द उससे विपरीत अर्थ पैदा करते हैं इसलिये जो अधिकार इस सदन को है और मुझे है कि जिन शब्दों से इस प्रकार भ्रम पैदा होता है वह निकाल दे। अगर वह पूरा एक्स्ट्रैक्ट जैसा माननीय स्वशासन मंत्री ने कहा सदन में रखा जाता तो उसका अर्थ बिलकुल उसके विपरीत होता है, जो अर्थ उतने ही एक्स्ट्रैक्ट के देने से जो श्री राजनारायण जी ने 'कोट' किया था और ऐसा भ्रमात्मक एक्स्ट्रैक्ट, जैसा मैंने कहा था, प्रोसीडिंग्ज में रहना श्री राजनारायण की प्रतिष्ठा के लिये और इस सदन की प्रतिष्ठा के लिये हानिकर है। वह व्याख्या कर सकते हैं, वह गलत भी व्याख्या कर सकते हैं लेकिन सदन यदि उनके शब्दों का तात्पर्य, जो उनसे निकलता है लगाकर यह समझे कि उससे भ्रमात्मक अर्थ उत्पन्न होता है तो उद्धरण के साथ उन्हें हटा देने का अधिकार मुझे या सदन को है। उनके व्याख्या करने पर कोई आपत्ति नहीं है। मैं अखबार वालों से भी कह देना चाहता हूं कि अगर कोई इस तरह की बात छापने में आवे तो उसके पहले मुझे बता सकते हैं।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—मैं एक निवेदन यह करना चाहता हूं कि यह अधिकार जैसा आपने मेरी व्याख्या के बारे में कहा वह अधिकार हमारा है और जिस १६ तारीख के बारे में आपने कहा है उसी १६ तारीख को माननीय स्वशासन मंत्री जी के एक्स्ट्रैक्ट है....

श्री अध्यक्ष—जब वह बात आप मेरे सामने लावेंगे तब उस पर विचार कर लिया जावेगा।

उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज़ (संशोधन) विधेयक, १९५२ पर विवादार्थ समय निर्धारित करने के सम्बन्ध में संकल्प

स्वशासन मंत्री (श्री मोहन लाल गौतम)—माननीय अध्यक्ष महोदय, ...

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—श्रीमन्, इस पर एक वैधानिक आपत्ति है।

श्री अध्यक्ष—पहले पेश करने दीजिये।

श्री राजनारायण—पेश ही करने के संबंध में है।

श्रीमन्, आपसे यह निवेदन है कि रूल नम्बर ७६ में यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि सरकार की ओर से रेजोल्यूशन पेश होने के लिये—

"If the Government desire to move a resolution they shall give seven day's notice and shall along with it supply a copy of the resolution to the Secretary, who shall have its copies sent to members within forty-eight hours of its receipt:"

[यदि सरकार कोई संकल्प उपस्थित करना चाहे तो वह सात दिन की सूचना देगी और सूचना के साथ संकल्प की एक प्रति सचिव को भेजेगी जो उसकी प्राप्ति के अड़तालीस घंटों के भीतर उसकी प्रतिलिपियां सदस्यों को भिजवायेगा ;]

श्रीमन्, इस नियम के अनुसार मैं अब आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस नियम की पूर्ति सरकार की ओर से नहीं हो रही है। यह जो मुंह बन्द करने का प्रस्ताव सरकार प्रस्तुत करना चाहती है उसके भी कुछ उद्देश्य होते हैं। यह श्रीमन्, बिलकुल स्पष्ट बात है, निर्विवाद बात है कि आपका जो आदेश होगा उसका यह सदन पालन करता है। इसलिये हम जरूर आपसे यह अधिकार लेना चाहते हैं कि आप हम को अपने भाव को व्यक्त करने की आज्ञा दें और उदारता के साथ आप हमारे भावों को देखें। यह जो मुंह बन्द करने का प्रस्ताव यहां प्रस्तुत हो रहा है यह इसीलिये प्रस्तुत हो रहा है कि शायद विरोधी पार्टी या और दूसरे लोग इसमें विलम्ब करना चाहते हैं और इसमें जल्दी होनी चाहिये। तो इस संबंध में, श्रीमन्, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, मगर आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि जो कुछ भी देर हुई हो उसकी जिम्मेदारी जो कुछ भी है वह सरकार की है।

श्री अध्यक्ष—आप वैधानिक आपत्ति ही पर कहिये।

श्री राजनारायण—मैं यही कहूंगा कि आप इस समय इसकी इजाजत हरगिज-हरगिज न दें, क्योंकि अगर आप इसकी इजाजत देते हैं, इस प्रस्ताव को इस सदन में आने के लिये, तो निर्विवाद है, कि सरकारी पक्ष का बहुमत है और सरकारी पक्ष अपने प्रस्ताव को पास करा लेगा। और जैसा कि आपने हम को यह आश्वसन दिया है कि आप अल्पमत की रक्षा के लिये सदैव तत्पर रहेंगे और तत्पर रहे हैं उसका मैं, श्रीमन्, पुनः स्मरण दिलाता हूं और आपसे सविनय साग्रह निवेदन करता हूं कि आप इन नियम का पालन करायें और आप को जो रेजीडुअरी पावर है उस का इस्तेमाल अल्पमत की सुरक्षा करने के लिये इस्तेमाल करने की कृपा करें। यही हमारा निवेदन है और मैं चाहता हूं कि स्ट्रिक्ट मजबूत तरीके से इस ७६ रूल का पालन किया जाय ताकि सरकार इस सदन को अपनी इच्छानुसार जिस तरह से जब चाहे मोड़ा न करे।

श्री अध्यक्ष—मैं यह जानना चाहूंगा कि इसकी अर्जेंसी क्या है और किस कारण आप यह चाहते हैं क्योंकि मुझे तय करना पड़ेगा कि शार्टर नोटिस के ऊपर इजाजत दूं या न दूं। इसकी आवश्यकता आप उसमें बता दें।

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्दवल्लभ पन्त)---यह जो आपके सामने प्रस्ताव है यह "प्रस्ताव" लफ्ज इसमें काम में लाया गया है लेकिन वास्तव में यह २२१ वां जो नियम है उसके अनुसार आप से यह निवेदन किया गया है---

" Any member may, with the consent of the Speaker, move that any rule may be suspended in its application to a particular motion before the House and if the motion is carried, the rule in question shall be suspended for the time being. "

[कोई सदस्य अध्यक्ष की सम्मति से प्रस्ताव कर सकता है कि किसी नियम का सदन के समक्ष किसी विशेष प्रस्ताव पर लागू होना निलम्बित कर दिया जाय और यदि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाय तो वह नियम उस समय के लिये निलम्बित कर दिया जायगा।]

यह तो यह है कि कुछ नियम हमारी नियमावली में रखें हुये हैं कि किस तरीके पर कार्यवाही यहां की जायगी। उन नियमों को सस्पेंड करना और उनके बदले में एक दूसरे तरीके पर काम करने की यह विधि आपके सामने उपस्थित की गयी है ताकि आप इसे मंजूर करें। एक दूसरी बात यह है कि अगर इसे रेजोल्यूशन माना जाय, अगर इसके लिये यह कहा जाय कि १५ दिन की, १० दिन की या ५ दिन की पहले से इत्तला की जरूरत है तब तो इस रेजोल्यूशन को लाने के माने ही नहीं हो सकते। यह तो इसीलिये लाया जा रहा है कि इस बिल के विचार करने में अब अधिक समय इससे न लगे जितना कि इस मोशन में जो कि आपके सामने रखा गया है, मंत्री जी ने निर्धारित किया है। और आप से और सदन से निवेदन है कि वह साधारण नियमों के बदले में इस तरह के कार्यक्रम को स्वीकार करे। इससे ज्यादा अर्जेंसी किसी चीज की नहीं हो सकती। अगर सदन इसको स्वीकार करे तब इसकी अर्जेंसी स्वयं सिद्ध होती है।

मैं इसकी मेरिट्स के बारे में कहना नहीं चाहता, वह तो स्वायत्त शासन मंत्री कहेंगे। जहां तक इस किस्म के मोशन की अर्जेंसी की बात है उसके बारे में तो कोई दो मत हो नहीं सकते जो रूल मैंने आपको पढ़ कर सुनाया उसमें सस्पेंशन के लिये कोई नोटिस देने की पहले से जरूरत नहीं है। किसी समय भी आदमी कर सकता है कि ऐसा कायदा सस्पेंड किया जाय। और ऐसा पहले भी हुआ है, उसके लिये एक रूल बना हुआ है, आज यह पहली बार नहीं आ रहा है। पहले जब जमींदारी अबालीशन कमेटी की रिपोर्ट थी उस के बिल पर वाद-विवाद हुआ था उस समय भी आया था और इसी तरह से वह सामने रखा गया था। कोई नोटिस पहले से हो नहीं सकता था। परन्तु जो भी किसी को कहना हो वह तो मोशन करने के बाद ही हो सकता है जो आगे आने वाला है। बोलने से पहले ही कुछ कहें वह तो नियमानुकूल नहीं है इसलिये इसकी अर्जेंसी स्वयं सिद्ध है, इसे हाउस माने या न माने वह दूसरी बात है, अगर अर्जेंसी होने की वजह से ही यह चीज रखी गयी। अगर इस चीज को अर्जेंट न समझा जाय तो उसके लिये मुझे कुछ नहीं कहना। १५ दिन का समय यदि इस किस्म के मोशन के लिये मांगा जाय तो ऐसे मोशन का कोई मतलब नहीं हो सकता।

श्री अध्यक्ष---माननीय स्वशासन मंत्री, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आप समझते हैं कि यदि संकल्प नहीं लाया जायगा तो अधिक समय लगेगा और अब जो समय लग रहा है वह अधिक लग रहा है ?

श्री मोहनलाल गौतम---जी हां, मैं यही समझता हूं।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, मुझे इस संबंध में यह कहना है कि इस बिल के पास करने में कोई विलम्ब नहीं हो रहा है और जबकि कांग्रेस पार्टी के चीफ़ ह्विप, हमारी पार्टी के चीफ ह्विप से मिले और रामनारायण जी से जो हमारे डिप्टी लीडर हैं उन से सारी बातें हो गयीं थीं, उसके मुताबिक सारी कार्यवाही चल रही थी और अगर श्रीमन्, संशोधनों को देखें तो २४ खंड के बाद से लेकर आगे तक के खंड का कोई संशोधन भी हमारी तरफ से

प्रस्तुत नहीं है। तो ऐसी हालत में जो बहुत ही मौलिक संशोधन थे और जिन का संबंध जनता के जीवन से था ऐसे ही संशोधनों को हमारी ओर रखा गया था। इसके अतिरिक्त आप के पास माननीय स्वायत्त मंत्री ने इसके ऊपर कोई शार्टर नोटिस भी नहीं दी, आपकी आज्ञा भी नहीं मानी। माननीय मंत्री जी ने यह भी शिकायत नहीं की कि बड़ा विलम्ब हो रहा है। तो एकाएक श्रीमन्, जब कि यहां पर सारी बात चल रही थी, उसके मुताबिक कार्य हो रहा था, खास-खास हमारे जो अमेंडमेंट्स (संशोधन) थे उन पर भी हम लोग ज्यादा जोर नहीं दे पाये इसी बात को लेकर कि जल्दी इसको पास हो जाना चाहिये तो यह मुंह बन्द करने का प्रस्ताव जब आया तो हमें बड़ा आश्चर्य हुआ...

श्री अध्यक्ष—क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या यह सम्भव है कि आप और चीफ ह्विप साहब मिल कर ऐसा संकल्प यहां पर ले आयें कि इतने रोज में दो या तीन रोज के अन्दर इसका निर्णय हो जाना चाहिए। ऐसा अगर आप आश्वासन देते हैं तो इस वक्त थोड़ा मैं इस प्रस्ताव को स्थगित करने के लिए कहूंगा और इस बारे में आप बातचीत एक घंटे, दो घंटे या दोपहर तक कर लें तो मैं स्थगित कर दूं।

श्री राजनारायण—श्रीमन् मैंने तो पहले ही निवेदन किया कि जो चीफ ह्विप और माननीय स्वशासन मंत्री जी का तथा हमारे डिप्टी लीडर रामनारायण जी का दो बार सम्मेलन हुआ उसके अनुसार कार्यवाही चल रही थी और सारा बिल इस सदन से जल्दी करने की कोशिश की जा रही थी तो फिर यह जो प्रस्ताव आया मुंह बन्द करने का, उससे बहुत बड़ा आश्चर्य हमें हुआ कि यह अधिकार हमारा क्यों छीना जा रहा है। यह नहीं छीना जाना चाहिये। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हम अनावश्यक ढंग पर कोई विलम्ब नहीं करना चाहते हैं जैसे कि अब तक हमने कोई ऐसा विलम्ब नहीं किया और श्रीमन् अगर आप इजाजत दें तो इस बिल की जो इतनी कम धारायें अभी तक इतनी देर में हो पाईं उसका क्या कारण था, उसको मैं बतला दूं। मगर मैं उस कारण पर नहीं जाना चाहता। थोड़े में ही बताना चाहता हूं कि उसका दोष स्वशासन मंत्री महोदय पर ही जाता है।

श्री अध्यक्ष—कारण बतलाने की आवश्यकता नहीं है।

श्री राजनारायण—मगर मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी ओर से कतई विलम्ब नहीं हुआ।

सहकारिता उपमंत्री (श्री मंगलाप्रसाद)—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह चीज सही है कि मैंने कई दफा श्री राजनारायण जी से स्वयं बात की और इसमें बहुत समय लग रहा है। काफी पैसा पब्लिक का व्यय हो रहा है और वक्त बहुत काफी जाया हो रहा है। इसलिये इसको जल्दी खत्म कर देना चाहिये। उनसे बातचीत करने में कोई समय की बात तो नहीं आई लेकिन यह था कि १९ तारीख तक यह जरूर खत्म हो जायगा। लेकिन जब १९ तक खत्म होने की गुंजाइश नहीं देखी तो यह सवाल पैदा हुआ और यह नोटिस दी गई कि १९ न सही २० तक खत्म हो जाय। यह भी सही है कि रामनारायण जी एक दफा और एक और साहब श्री तिवारी जी भी गये थे। इन लोगों से बात हुई माननीय मंत्री जी से भी हुई कि किस तरह से खत्म किया जाय लेकिन वहां बात होने के बाद यहां आये तो कुछ उसमें वाद विवाद में जो यहां हुआ उसमें और बढ़ा ही कुछ घटा नहीं बल्कि यहां तो यह हुआ कि अक्सर रोकने पर भी लोग बोलते ही रहे। ऐसी अवस्था में यह चीज लाई गई, नहीं तो लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

श्री अध्यक्ष---मैं स्वशासन मंत्री से पूछना चाहता हूं कि यह संकल्प आपका आया है, बहुत से संशोधन हैं तो संकल्प के ऊपर बहस होगी, क्या इसमें जो १९ दिसम्बर है उसके बजाय आप २० दिसम्बर और २० दिसम्बर के बजाय २२ दिसम्बर कर सकते हैं क्योंकि आज शाम तक तो यही बहस चलेगी।

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त---एक तो मुझे यह निवेदन करना है कि इसके बारे में लम्बी बहस नहीं होनी चाहिये। क्योंकि हमें बिल के डिस्कशन को करना है। इस बारे में लम्बी बहस से कोई बड़ा फायदा नहीं है। इसको राजनारायण जी पसन्द नहीं करते, यह मालूम है, लेकिन हम यह चाहते हैं कि यह जरूर हो। अगर आखिर तक होगा भी तब भी नतीजा यही रहेगा कि यह कठिन है कि उनका चाहे जितना भी युक्तिपूर्ण भाषण हो, फिर भी हमारे ऊपर ऐसा असर हो जायगा कि हम अपने मत को इस बारे में बदल सकें। इसलिये बहुत लम्बी बहस से इस मामले में फायदा नहीं। उस समय को अगर हम बिल में देंगे तो बेहतर है। जहां तक सिद्धान्त की बातें हैं, इस सदन में पहले हो चुका है, कोई नई बात नहीं है, जहां तक इस खास बिल का ताल्लुक है मैं यह दरख्वास्त करूंगा कि राजनारायण जी के लिये और हम सब के लिये इस बात की आवश्यकता है कि हम जितनी जल्दी हो सके इस सदन के काम को कर सकें। मैं यह नहीं कहता कि वे अनावश्यक कोई बात कहते हैं। वे जो कुछ आवश्यक समझते होंगे उसे ही कहते होंगे, परन्तु जैसी आवश्यक बातें समझ कर वे अब तक करते रहे हैं, अगर आइन्दा भी करते रहेंगे तो उसके माने यह होंगे कि उनकी आवश्यकता हमको इस बिल के सम्बन्ध में एक दो महीने तक खींच ले जायगी। तो वह उसको अनावश्यक नहीं समझते परन्तु मेरा तो कहना सिर्फ यह है कि अगर इस ढंग से हम कार्य करें तो हमारा कोई काम चलेगा नहीं।

श्री राजनारायण---सिलेक्ट कमेटी में क्यों नहीं भेज दिया?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त---सिलेक्ट कमेटी में बिल पहले गये मगर जब वापस आये तो फिर उतने ही दिन लगे जितने कि न भेजने पर लगते। इस कारण मजबूरी है .. ..

एक सदस्य---ग़लत है।

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त---यह खयाल है। इसमें ग़लती की क्या बात है। जो लोग सिलेक्ट कमेटी में गये उन्होंने हमको यह मशिवरा दिया और उनका यह कहना रहा कि उससे कोई समय बचा नहीं, जितना समय इस बारे में इस सारे बिल पर अपर हाउस में लगा उससे बहुत ज्यादा समय यहां लग चुका है। अपर हाउस में समझदार लोग हैं और उन्होंने अपना काम जल्दी कर लिया और हमारे यहां की परिपाटी जिस तरह की होनी चाहिये वैसी नहीं चल रही है। वास्तव में जहां आर्गेनाइज्ड पार्टीज डिमोक्रेटिक बाडीज में हुआ करती हैं वहां काम चल नहीं सकता है अगर इस तरह के नियम लोग खुद ही न मान लें कि एक पार्टी की तरफ से जो कोई सदस्य अपने विचारों को प्रकट कर दे, वे पार्टी के विचार समझे जायं, परन्तु यहां तो हर मसले पर हम इस तरह से बातें करते हैं मानो कोई सुसंगठित पार्टी ही नहीं है और हर एक सदस्य अपने विचारों को भिन्न-भिन्न तरीके से रखने का यत्न करता है। कोई नयी चीज में ऐसा करना बुरी बात नहीं है लेकिन जो समय बहुत लग जाता है उसका बचाना भी जरूरी है।

जहां तक यह सुझाव है कि १९ के बदले २० हो जाय और २० के बदले २२ हो जाय, मैं तो इससे आगे जाने को तैयार हूं कि सारी रात बैठा जाय। बजाय इसके कि हम आज ५ बजे तक बैठें, १० बजे तक बैठें और बोलने में कोई रुकावट डालने की हमारी इच्छा नहीं है। इच्छा हमारी सिर्फ यह है कि समय के अन्दर काम हो जाय

ताकि हम दूसरा काम करें। आपको और हमको बहुत से काम करने हैं। मैं आप से कहता हूं कि जिस वक्त हमने इस सेशन को बुलाया, तो उस वक्त में यह समझ रहा था २० तारीख तक सारा काम खत्म हो जायगा और फिर हम क्या करेंगे। उस वक्त जो हमने अपना टाइम टेबिल बनाया था, उससे मैं यह समझता था कि २० तारीख से आगे काम चलेगा नहीं और सारे बिल पास हो जायंगे मगर आज १९ तारीख तक दस से कम क्लाजेज एक बिल के हो पाये हैं। अभी कारपोरेशन बिल लाना है, टाउन एरियाज बिल लाना है, जिनमें तीन तीन चार-चार सौ क्लाजेज होंगे, तो किस तरह से हमारे सदन और प्रदेश का काम चल सकेगा। इसको आपको भी विचारना है और हमको भी विचारना है। हम नहीं चाहते हैं कि कोई रोके काम, परन्तु काम हो, यह आप भी चाहते हैं और हम भी चाहते हैं। इसी विचार से ऐसा करना पड़ता है। आज मैं कई दिन से कह रहा था कि इसकी कोशिश की जाय कि बिल जल्दी से खत्म हो। मैंने राजनारायण जी से कहा कि इसको खत्म कर दें।

एक सदस्य---माननीय मंत्री जी उदाहरण हमसे मांगते हैं।

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त---मैं समझता हूं कि आप उदाहरण दें ही नहीं। वे मांगें भी, तब भी आपको अधिकार है न देने का। लिहाजा मैं यह कहता हूं कि आप आज समय बढ़ा दें। बजाय ५ के देर तक बैठें, कल भी देर तक बैठें और कल खत्म हो सके तो अच्छा है ताकि और काम २२ से चले। या आप २२ तक करना चाहें तो जैसी आप की आज्ञा हो उसके अनुसार काम होगा।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)---अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया कि चूंकि श्री मंगला प्रसाद जी के वक्तव्य से कुछ भ्रम हो गया है, इसलिये मुझे भी मौका मिलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष---कैसा भ्रम ?

श्री रामनारायण त्रिपाठी---उन्होंने मेरा नाम लिया इसलिये मैं समझता हूं कि मुझे भी थोड़ा सा मौका दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---अच्छा कहिये।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---अध्यक्ष महोदय, सरकारी दल की तरफ से कई भाषण हुये, उन लोगों को इस बात की ग़लत फहमी हुई कि हम लोग सिर्फ अड़ंगा लगाते हैं इस विधेयक पर। अध्यक्ष महोदय, अगर आप गौर करें एजेण्डे पर तो पांच गुने से ज्यादा संशोधन सरकारी दल के सदस्यों के हैं। माननीय मंगला प्रसाद जी ने एक ह्विप की हैसियत से सर्कुलर निकाला कि उनकी पार्टी में यह तय हुआ है कि फलां-फलां संशोधन पेश किये जा सकेंगे। अध्यक्ष महोदय, अगर मुझे मौका दें तो मैं साबित कर सकता हूं कि ह्विप के खिलाफ भी कई सरकारी दल के सदस्यों ने देर करने के लिये यहां वह संशोधन पेश किये जो कि उनकी पार्टी में नहीं तय हुये थे। अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात यह है कि हमने इस बात को तय किया था कि हमारी तरफ से एक-दो आदमी बोलें मगर सरकारी दल के जब १० आदमी बोलते हैं तो विवश होकर हमें उनका जवाब देना पड़ता है। सरकारी दल में जो अनुशासनहीनता फैली है उसको न देख करके हमारे ऊपर ही लांछन लगाया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, उनके ऐसे रुख के बावजूद भी हमने यह कोशिश की और अगर आप मौका दें तो हम साबित कर सकते हैं कि करीब १०, १५ संशोधनों पर हमने जोर नहीं डाला और वह पेश नहीं किये गये। इस तरह से सरकार की तरफ से जो यह भाषण किये जा रहे हैं

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

और ग़लत पिक्चर रखी जा रही है, वह हमारे साथ ज्यादती है, हम तो अपने उसूल को समझते हैं लेकिन सरकारी दल यह चाहे कि जो वह डिक्टेट करें उसी पर हम बोलें और हमारा कोआपरेशन सीक करना भी आवश्यक न समझा जाय तो अध्यक्ष महोदय, यह परस्पर समझौते की बात हो नहीं सकती। दरवाजे तो दोनों तरफ से खुले हुये हैं और मैं तो चाहता हूं, जैसा श्री राजनारायण जी ने कहा कि हम लोगों के मुंह बन्द करने वाले प्रस्ताव की इजाजत न देकर आप यह देखें कि किसकी तरफ से ज्यादती की जा रही है, और जैसी आप सलाह दें वह हम मानने के लिये तैयार हैं।

राजा वीरेन्द्रशाह (ज़िला जालौन)---अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---अब उसका समय नहीं है।

प्रश्न मेरे सामने उपस्थित किया गया कि थोड़ी सी नोटिस के ऊपर इस संकल्प को उपस्थित करने के लिये इजाजत दूं। क्योंकि साधारण नियम संकल्प के विषय में सात रोज का है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि इसको साधारण संकल्प की तरह नहीं रखना चाहिये बल्कि २२१ नियम के अनुसार सस्पेंशन आफ रूल्स का सवाल है लेकिन उसमें वह अंशतः सवाल है। इस संकल्प में और भी बातें हैं, सस्पेंशन ही केवल नहीं बल्कि यह भी संकल्प तय करता है कि किस विधि से यह विधेयक पारित किया जाय, यह भी विधि इसमें निश्चित करना है। इसलिये मैं इसको उचित समझता हूं कि संकल्प की हैसियत से उसको समझूं लेकिन प्रश्न यह है कि समय इस संकल्प के लिये कम देना उचित है या पूरा समय मांग लेना उचित है। जहां तक मेरे सामने उदाहरण हैं यह बिल्कुल सही बात है जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि और भी इस तरह के संकल्प हो चुके हैं और ऐसे संकल्पों के मातहत जब कभी यह प्रतीत हो कि सदन का जरूरत से ज्यादा समय किसी काम के लिये लिया जा रहा है, तो वह समय निर्धारित कर दें, भाषण भी निर्धारित होते हैं, १० मिनट बोलें या पन्द्रह मिनट बोलें। इस तरह की चीजें आवश्यकता पड़ने पर होती हैं और यह इस पर निर्भर होता है कि क्या सदन का समय अधिक लिया जा रहा है, जरूरत से ज्यादा । जहां तक मेरे ऊपर असर हुआ इतने रोज के वादविवाद का, इस विधेयक के सम्बन्ध में , वह यही है कि अधिक समय लिया जा रहा है। मैं इस झगड़े में नहीं पड़ना चाहता कि मैं यह कहूं कि यह केवल विरोधी दल के कारण है और जो बहुमत दल है उसके लोग इसमें समय नहीं लगाते हैं, ऐसी बात ,नहीं है। परन्तु देर होती है यह स्पष्ट है और मैं केवल इस नतीजे पर पहुंचता हूं जैसा विधेयक है, उसके अनुसार अधिक समय जरूर लग रहा है। इसलिये इस क़िस्म क संकल्प आना मैं कोई अनुचित नहीं समझता और इस दृष्टि से मैं नोटिस के समय को कम करने को भी अनुचित नहीं समझता । पहले भी इस किस्म के संकल्प दो दफा आ चुके हैं, एक पंचायत राज बिल के पास करने में और दूसरा जमींदारी अबालिशन के सिलसिले में। उसमें भी माननीय अध्यक्ष ने उस समय कोई अधिक समय नोटिस के लिये सात रोज का नहीं निश्चित किया था क्योंकि उसका अर्थ ही यह है कि जब शीघ्रता करनी है तो उसके लिये उतना समय जो कि नियम में है मांगना ठीक नहीं है। कम नोटिस में भी वह पेश किया जा सकता है। अब कम नोटिस कितनी हो उसके लिये उदाहरण यह है कि जिस रोज संकल्प पहले पेश हुआ उस रोज समझौते से यह तय हो गया था कि उस दिन संकल्प न लिया जाय बल्कि दूसरे दिन लिया जाय। और कभी यह भी हुआ है कि प्रस्ताव में यदि दो रोज दिये गये हों तो आपस में यह तय हो गया कि तीन दिन दिये जायं। अब प्रस्तुत संकल्प में एक ही रोज दिया गया है। इसलिये मैंने माननीय स्वशासन मंत्री से यह कहा कि अगर १९ तारीख के बजाय वह २० कर दें तो क्या उनको कोई आपत्ति होगी। उन्होंने कहा कि

इसमें कोई आपत्ति नहीं है। अब मेरे सामने ऐसे आश्वासन आ रहे हैं विरोधी दल के नेता की ओर से, और लोगों के भी, कि वह शीघ्रता करना चाहते हैं। मैं ऐसी अवस्था में उचित समझता हूं कि संकल्प को आज न लूं और यदि इस सदन की प्रगति आज से ठीक रहे तो अगर सरकार समझे तो इस संकल्प को न लाये, नहीं तो इस संकल्प को २२ तारीख को, यानी सोमवार को पेश करने की मैं इजाज़त दूंगा और मैं इस प्रकार इतने समय का आपको नोटिस दिये देता हूं, जो काफी नोटिस है, अगर इस बीच में सरकार कोई संकल्प लाना चाहे कि कल के रोज बैठा जाय तो उसके लिये दूसरा संकल्प या मोशन ले आये कि कल के रोज़ भी इस सदन का कार्य चले और वह यदि इस पर भी प्रगति से सैटिस्फ़ाई न हो कि प्रगति ठीक नहीं हो रही तो सोमवार को प्रस्तुत संकल्प पेश होगा और फिर मैं समझता हूं कि उस वक्त यह कोई आपत्ति नहीं रहेगी कि उसी रोज विधेयक खत्म करने के लिये संकल्प क्यों न लिया गया, यह मैं आपको बता देना चाहता हूं।

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त—आपने जो आज्ञा दी वह तो ठीक ही है मगर इतना कहना चाहता हूं कि इन नियमों के अनुसार सस्पेंशन आफ़ रूल के लिये कोई टाइम की जरूरत नहीं है। वह मोशन सस्पेंशन आफ़ रूल के बग़ैर.....

श्री रामनारायण त्रिपाठी—आन ए प्वाइंट आफ़ आर्डर, मुझे निवेदन करना है

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त—मैं नहीं बैठना चाहता।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—मेरा तो प्वाइंट आफ़ आर्डर है।

श्री अध्यक्ष—किस बात पर प्वाइंट आफ़ आर्डर है...

श्री गोविन्दबल्लभ पंत—मैं तो एक एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—आप मुझे बोलने की आज्ञा तो दें।

श्री अध्यक्ष—आप किस बारे में प्वाइंट आफ़ आर्डर उठाना चाहते हैं?

श्री रामनारायण त्रिपाठी—इस प्वाइंट पर कि माननीय मुख्य मंत्री ने जो रेज़ोल्युशन लाने की बातें...

श्री अध्यक्ष—उसका जिक्र नहीं है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—मैं प्वाइंट आफ आर्डर उठाना चाहता हूं, उसको सुनना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—पहले उनको कहने तो दीजिये फिर प्वाइंट आफ आर्डर उठाइये।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—मुझको इजाज़त दीजिये प्वाइंट आफ आर्डर रेज़ करने की।

श्री अध्यक्ष—आप कृपा करके बैठ जायं। जब प्वाइंट आफ़ आर्डर हो तब कहें।

श्री राजनारायण—मैं प्वाइंट आफ़ आर्डर उठाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—आप बैठें कृपा करके।

श्री राजनारायण--प्वाइंट आफ़ आर्डर के लिये आज्ञा मिलनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष--किस चीज़ के ऊपर है आपका प्वाइंट आफ़ आर्डर ?

श्री राजनारायण--माननीय मुख्य मंत्री जी कुछ रूलिंग....

श्री अध्यक्ष--वह रूलिंग के ऊपर नहीं कह रहे थे, वह दूसरी चीज है। आप कृपा कर के बैठ जाय।

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त--मैं कोई प्वाइंट आफ़ डिसआर्डर भी पसन्द नहीं करता और प्वाइंट आफ़ आर्डर के रास्ते में कोई रुकावट लाना नहीं चाहता। परन्तु जो मुझे कहना है...

श्री रामनारायण त्रिपाठी--यह भी कोई पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस है ?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त--पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस बहुत मुश्किल हो गयी है। हम लोगों की जितनी समझ है उसके मुताबिक़ काम करते हैं। उसकी इजाजत आपको देना चाहिये, उसे ज़रा बर्दाश्त करना चाहिये जैसा कि पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस में करना पड़ता है।

इसलिये मुझे तो सिर्फ यह कहना था कि जहां तक सस्पेंशन की बात है उसके लिये नोटिस की ज़रूरत नहीं। वह तो एक तरह से स्पीकर से प्रार्थना है कि वह इस तरीक़े पर अरेंज कर दें। रूल को सस्पेंड हाउस करता है। बाक़ी भाग जो रेजोल्यूशन का होता है वह एक तरीक़े से प्रार्थना होती है स्पीकर से क्योंकि उसकी अथारिटी है। फिर रूल सस्पेंड करने की बात कि किस ढंग से काम हो वह तय करें। इसको एनेलाइज़ किया जाय तो यह फार्म होता है। जहां तक २२ तारीख़ को लाने की बात है मैं सिर्फ इतना कह देना चाहता था कि २२ तारीख़ को इसको लायेंगे कि आज ही बहस खत्म होकर इस बिल को पास कर दिया जाय तो इस तरह का प्रस्ताव हम लायेंगे। मगर इसलिये कि लोगों को काफी समय मिल सके मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कल भी सदन बैठे और आज भी अगर सदस्यों को कोई ख़ास असुविधा न हो तो ५ बजे के बाद ६ बजे से ९ बजे तक या ८ बजे तक बैठ जायं और कल भी इतना ही बैठें ताकि अधिक समय मिल सके और जिनको कुछ कहना हो उनको समय मिल सके, इसलिये मैं यह प्रस्ताव कर रहा हूं।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, अभी जो संकल्प उपस्थित था उसके अन्दर जो मुख्य मंत्री जी ने मांग की है वह उसमें निहित है। उसके सम्बन्ध में आपने कह दिया कि अब यह संकल्प सोमवार को उपस्थित होगा और इसको भी आपने साफ कर दिया था कि अगर प्रगति नहीं बढ़ेगी तो उस दिन यह प्रस्ताव हो सकता है आज इसे यहीं खत्म कर दिया जाय। यह भी आपने स्पष्ट किया था कि जितनी बातें संकल्प में आ गई हैं वह नहीं उठाई जायंगी।

श्री अध्यक्ष--आप ग़लत बात कह रहे हैं। आप कृपा करके बैठ जाइये।

मैंने यह कहा था कि इस संकल्प को, जहां तक यह है कि यह विधेयक कब खत्म हो, अगर प्रगति से सरकार संतुष्ट न हो तो २२ तारीख़ को ला सकती है। लेकिन अगर प्रगति ठीक हुई तो कोई लाने की आवश्यकता नहीं है और मैंने यह भी कहा था इसके साथ-साथ तभी माननीय मुख्य मंत्री जी उठे थे कि अगर सरकार दूसरा संकल्प लाना चाहे तो ला सकती है कि सदन कल भी सदन बैठे, गो कल की छुट्टी है। लेकिन इसके लिये अलग प्रस्ताव लायें तभी सदन बैठ सकता है। जब मैंने स्वयं आवाहन किया, उनको निमंत्रण दिया कि वह खुद पेश करें और इस आपत्ति की जरूरत नहीं। इसके लिये मैं हाउस को समय देना चाहता था जिसमें यह बात स्पष्ट हो जाय कि इसी

रोज २२ तारीख़ को सब चीजों पर निर्णय हो जाना चाहिये और इसमें यदि किसी रूल वग़ैरह को सस्पेंड करने की जरूरत पड़े तो सब चीजें २२ तारीख़ को ही होंगी। लेकिन एक रोज और बैठने का मोशन विदआउट नोटिस आ सकता है। इसलिये आप भ्रम में हैं। इस तरह का संकल्प मेरे सामने आया है। मैं समझता हूं कि वह संकल्प कृपा करके मेरे पास लिखित भेज दिया जाय तो उस मोशन को मैं उसी वक्त ले लूंगा। तब तक म्युनिसिपैलिटी (संशोधन) विधेयक की कार्यवाही जारी रहेगी।

* उत्तर प्रदेश म्यूनिसिपैलिटीज़ (संशोधन) विधेयक, १९५२

† खंड ९ (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—अब उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज़ (संशोधन) विधेयक, १९५२ जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ है, पर विचार जारी रहेगा।

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्दवल्लभ पंत)—मैं इतनी इजाजत चाहता हूं कि मैंने यह कहा था कि कल के दिन भी बैठें तो मैं शायद यहां न रहूंगा तो कल बदले में स्वशासन मंत्री इस प्रस्ताव को रख देंगे।

श्री अध्यक्ष—लिखित संकल्प वह भेज देंगे तो मैं उनके नाम से ही ले लूंगा।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—अध्यक्ष महोदय, खंड ९ द्वारा प्रस्तावित नई धारा १३–स के अंत में जो प्रतिबन्ध बढ़ाने के लिये कहा था उसमें काफी बातों पर प्रकाश डाला जा चुका है और करीब-करीब मेरी तमाम बातों पर जिन पर मैं रोशनी डालना चाहता था वह आ चुका है। दूसरे यह प्रस्ताव बहुत लम्बा चौड़ा है। इसलिये मैं माननीय सदस्यों की राय जानने के बाद जो कुछ कहना चाहूंगा कह दूंगा।

स्वशासन मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)—अध्यक्ष महोदय, ठाकुर मलखान सिंह का यह जो संशोधन है १०४ क इसके संबंध में सरकार नियम बनायेगी। इस संशोधन के जरिये यह कोशिश की गई है कि कुछ हिदायतें दे दी जायं और यह तय कर दिया जाय कि वे नियम क्या क्या होंगे। इस वक्त इस बहस में मैं नहीं पड़ना चाहता कि इसमें कौन से अच्छे हैं और किनके अमल में लाने से कार्यवाही में मुश्किल पड़ेगी। कई चीजें इसमें अच्छी हैं जो अगर वह कार्यरूप में परिणित हो सकें। इसलिये इस समय इस बहस में न जा कर कि कौन सी चीज अच्छी है और कौन सी गलत मैं यह मुनासिब समझता हूं कि जब रूल्स बनेंगे तो उस समय ही उन पर विचार किया जा सकता है और जो मुनासिब चीजें होंगी वह उस समय शामिल हो सकती हैं। इस कारण से मैं इसको इस समय मंजूर नहीं कर सकता।

श्री मलखान सिंह (जिला अलीगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक मुझे अपने साथी रामनारायण त्रिपाठी जी द्वारा मालूम हुआ मुझे यह बतलाया गया था कि मैं अपने इस संशोधन में से यह यह चीजें निकाल लूं तो सरकार इसको मान लेगी लेकिन यहां मैं यह देखता हूं कि उन बात चीतों के बाद भी वह इसी बात पर तुले हुये हैं कि कोई सही चीज यहां पर न आने पाये। मैं आपके जरिये सरकार को यह बता देना चाहता हूं कि ये जितनी बातें लिखी गई हैं ये सब की सब अभी इसी अलीगढ़ के बाई इलेक्शन में काम में आईं, सरकार की तरफ से भी लिख कर आईं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से भी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन आफिसर के पास आई। ये चीजें सब को राइटिंग में आईं और काम में लाई गईं।

---

*सम्पूर्ण विधेयक २ दिसम्बर, १९५२ की कार्यावही में छपा है।

†खंड ९, १५ दिसम्बर, १९५२ की कार्यवाही में छपा है। चर्चा १८ दिसम्बर, १९५२ से क्रमागत।

[श्री मलखान सिंह]

इसलिये यह कहना कि यह कोई चीज कानून में नहीं आ सकती यह श्रीमन्, मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं। इसलिये कि जो चीज यहां पर आ सकती है वह कानून में भी आ सकती है, उसको रूल्स के वक्त के लिये टालना मुनासिब नहीं है। या तो सरकार को सही तौर से इंकार कर देना चाहिये और अगर करने के लिये तैयार है तो स्वीकार कर लेना चाहिये। मैं सदन का वक्त ज्यादा नहीं लूंगा और मैं इस पर इसरार करूंगा कि ये जो बातें हैं वे मुनासिब हैं, अमल में आ सकती हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से लिख कर दी जा चुकी हैं। फिर क्या वजह है कि वे यहां पर कानून के अन्दर न मान ली जायं।

श्री मोहनलाल गौतम--माननीय अध्यक्ष महोदय, यह संशोधन ठाकुर मलखान सिंह जी की तरफ से त्रिपाठी जी ने पेश किया था। बहस मुबाहिसे के बाद अब ठाकुर मलखान सिंह बोल चुके हैं और मैं समझता हूं कि बहस खत्म हो गई।

श्री अध्यक्ष--चूंकि रामनारायण जी ने इसको पेश किया था इसलिये उनको राइट है इस पर बोलने का।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--श्रीमान् जी, मुझे यह सुनकर प्रसन्नता हुई कि यह विषय रूल के संबंध में है और मेरा संशोधन बिलकुल स्पष्ट है कि उसमें रूल के संबंध में सुझाव दिये गये हैं। माननीय मंत्री जी ने कुछ महत्वपूर्ण बातें बतलाई लेकिन उन्होंने इसके संबंध में कुछ आश्वासन नहीं दिया। अगर आश्वासन दिया जाता तो मैं इसको वापस लेने की सोच सकता था कि कौन--कौन से उनको स्वीकार हैं। इस पर काफी विवाद हो चुका है इसलिये मुझे इसके विषय में ज्यादा नहीं कहना है।

श्री मोहनलाल गौतम--मैं इस समय इस बहस में नहीं पड़ा और मैंने कोई ऐसी बात नहीं कही कि इसको मंजूर करता हूं या नामंजूर करता हूं। मैंने यह कहा कि इन सब बातों पर विचार होगा और जो भी मुनासिब होंगे वह सब स्वीकार कर लिये जायंगे।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ९ द्वारा प्रस्तावित नई धारा 13-G के अन्त में निम्न-लिखित प्रतिबन्ध जोड़ा जाय--

"Provided that the following measures will be incorporated in making rules regarding the conduct of elections —

(1) Election agents will be allowed to place check marks against the serial number of votes, exercising their right to vote, in their lists which will be allied with the presiding officer's list at the close of the polling and the differences, of any, recorded.

(2) During lunch interval all ballot boxes will be locked in their respective rooms and police guards will be posted at the entrance of such rooms.

(3) Election agents will be allowed to take down the number of the last voting slip issued just before the close for and recommencement of the polls after the lunch interval as well as just before the close of polls in the the evening.

(4) After the ballot boxes are sealed, they will be wrapped up in a cloth-cover and resealed.

(5) Counting of votes, so far as possible, will be done at each booth after the polling on same day.

(6) Wherever counting of votes at booths may not take place on the same day, it will be done the next day. During the night

the ballot-boxes shall be kept in a room which will be locked up and sealed and the candidates or their agents shall have a right to put their own locks if they so desire and to keep their own seals. The candidates will be allowed to appoint their own guards to keep watch over the place where the boxes are deposited.

(7) A deposit of Rupees three only will be required to challenge a bogus voter.

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

[१८ दिसम्बर, १९५२ को श्री रामनारायण त्रिपाठी द्वारा प्रस्तावित संशोधन तथा उस संशोधन पर प्रस्तावित अन्य संशोधनों पर विवाद।]

श्री मोहनलाल गौतम---कल इस पर यहां बहस हो रही थी और कई अमेंडमेंट और अमेंडमेंट पर अमेंडमेंट आये थे इसलिये वह बहस मुल्तवी हो गई थी। मैं आपकी आज्ञा से यह पेश करना चाहता हूं कि अगर इसको इस शक्ल में रख दिया जाय तो ठीक होगा—

"has been sentenced to imprisonment for a term exceeding one year or to transportation for an offence which is declared by the State Government to imply such moral turpitude as to unfit him to be a member or has been ordered to find security for good behaviour in consequnce of proceedings taken under sections 109 or 110 of Cr. P. C. 1898 such sentence or order not having subsequently been reversed or remitted or the offender pardoned.

मैंने जो यह शब्द इसमें रखे हैं वह म्युनिसिपैलिटी ऐक्ट से लेकर रखे हैं। यह क्लाज़ १४ की सबक्लाज "ई" है वहां से यह लब्ज लिये गये हैं ताकि ज्यादा बहस यहां पर न हो सके। इसके अन्दर मोरेल टरपिच्यूड और ब्लैक मार्केटिंग भी शामिल कर लिये गये हैं। इसलिये मैं यह समझता हूं कि इस पर ज्यादा बहस-मुबाहिसे की जरूरत नहीं है। इससे जो दिक्कतें इस सदन के सामने थीं वह सब हल हो जायंगी।

श्री अध्यक्ष---यह संशोधन आप विधेयक में किस जगह करना चाहते हैं?

श्री मोहनलाल गौतम---यह तो नया जोड़ा जायगा। इस में आप देखेंगे कि जी० तो डिलीट हो गया है और उसकी वजह से जो जे० था वह आई० हो गया है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---आन ए प्वाइण्ट आफ आर्डर, अध्यक्ष महोदय, यह मेरे संशोधन में संशोधन नहीं है, यह तो बिलकुल नया संशोधन है और वह मेरे संशोधन के साथ नहीं लाया जा सकता, वह तो नई क्लाज जोड़ रहे हैं। मेरा संशोधन बिलकुल अलग है। यह मान लिया जायगा तो नम्बर दूसरी तरह से हो जायगा।

श्री मोहनलाल गौतम---नम्बर से मुझे कोई एतराज नहीं है।

श्री अध्यक्ष---आप इसे संशोधन के रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं?

श्री रामनारायण त्रिपाठी---जी नहीं।

श्री अध्यक्ष---तो आप का जो संशोधन पेश था वही जारी रहेगा।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---मेरे संशोधन पर कल इस संबंध में काफी वाद-विवाद हुआ और.....

श्री मोहनलाल गौतम---आन ए प्वाइण्ट आफ इनफारमेशन । क्या मेरा संशोधन अब सदन के सामने है ?

श्री अध्यक्ष---जी नहीं आप ने कल कहा था कि कोई तसफिया करके कल इस प्रश्न को लिया जायगा ।

श्री मोहनलाल गौतम---मैंने शायद तसफिया तो नहीं कहा था जहां तक मुझे याद है, मेरा मतलब यह था कि कल कोई ज्यादा क्लियर चीज ले आई जायगी, मेरा इरादा कोई एग्रीड सालुशन लाने का नहीं था बल्कि चूंकि उस समय बहुत से अमेंडमेंट आ गये थे इसलिये कुछ सोच समझकर सदन के सामने कोई नई चीज ठीक से आ जाय ऐसा मेरा मतलब था ।

श्री अध्यक्ष---परन्तु श्री रामनारायण जी स्वयं मंजूर करने को तैयार नहीं हैं, इसलिये उन्हीं का संशोधन जारी रहेगा और जब उनका रिजेक्ट हो जायगा तभी आपका आ सकता है ।

श्री मोहनलाल गौतम---श्री परिपूर्णानन्द जी का जो संशोधन है उस पर मेरा संशोधन ले लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष-----अभी तो यही चलेगा ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी-अध्यक्ष महोदय, मेरे संशोधन पर कल काफी वाद विवाद इस सदन में हुआ और जो चीज मैं जोड़ना चाहता था उस में जो बातें थीं कि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के सिविल सप्लाई और कंट्रोल्स ऐक्ट के खिलाफ कार्रवाई करने में किसी को सजा हुई हो वह डिवार कर दिया जाय परन्तु कल यहां बड़ी सद्भावना के साथ उस तरफ से कहा गया था कि इसमें मारल टरपिटयूड की बात रख कर इसको और व्यापक बना लिया जाय जिससे हर चीज इस में आ जाय । जितने भी संशोधन कल आये थे और आज जो संशोधन आया उनमें से किसी से भी मेरा मन्शा पूरा नहीं होता है ।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक मोरल टरपिट्यूड का सवाल है, मैं कानूनी विद्वान होने का दावा तो नहीं करता, संभव है माननीय सदस्यों की दूसरी जानकारी हो, लेकिन यह एक कानूनी शब्द है और इंडियन पैनल कोड की दफायें ३७९, ३७६, और ३९२ से लेकर ३९७ तक इसमें आती हैं । चूंकि कंट्रोल हमारे देश में नयी चीज है इसलिये उसका उल्लंघन की बात पैनल कोड में नहीं है । उसका समावेश कानूनी हैसियत से किसी भी दफा में नहीं आता । में माननीय सदस्यों की भावनाओं की कद्र करते हुये, मजबूर हूं कि मैं अपना संशोधन वापस नहीं ले सकता । खास कर माननीय परिपूर्णानन्द वर्मा तथा माननीय सुल्तान आलम खां को निराश करने में मुझे दुख हो रहा है क्योंकि वे लोग मुझसे बड़े हैं । मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि सरकार ब्लैक मार्केटिंग में सजा पाने वाले को चुनाओं से अलग रखने से घबराती क्यों है ? सप्लाइज ऐक्ट में अगर किसी को सजा हुई है उसे चुनाव में कोई मौका दिया जाय, यह मेरी समझ में नहीं आता । बोर्डों के सदस्यों की संख्या सरकार ने कम से कम १५ और अधिक से अधिक ५० रखी है । इतने ही आदमी चुनवाने में काफी कशमकश होगी । मेरा मतलब है कि यदि मौरल टर्पीट्यूड वालों को या चोर बाजारी वालों को सरकार निकाल देंगी तो भी आदमी काफी संख्या में मिल जावेंगे । मैं सरकार की दिक्कत नहीं समझ पाया । मेरी मजबूरी है कि मैं उनके संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता हूं और अपने संशोधन पर जोर देना चाहता हूं ।

श्री मोहनलाल गौतम---माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पहले भी कहा हम यह किसी तरह से भी नहीं चाहते कि ब्लैक मार्केटिंग किसी तरह से भी रहे । ब्लैक मार्केटिंग कोई कानूनी लफ्ज नहीं है । कहीं उसकी परिभाषा नहीं है । ये जो व्यापक शब्द इसमें रख दिये गये हैं मेरी राय से इनसे काम चल जायगा । जो बातें मौरल टरपीट्यूड में

आती है उन सब को हमने रखा है कि वे न खड़े हों। मैं मजबूर हूं कि इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता और अपना संशोधन प्रेस करना चाहता हूं।

श्री अतहर हुसैन ख्वाजा (जिला सहारनपुर)—जनाबवाला, इस पर मेरा एक संशोधन है और मैं चाहता हूं कि उसका भी मुलाहिजा फरमा लिया जाय जो मैं समझता हूं अच्छा होगा पेश्तर इसके कि जनाबवाला किसी एक संशोधन पर राय लें। वह मैंने अभी पेश नहीं किया है।

वह मैंने कल जनाब को लिख कर दिया था, उसमें मैंने कुछ तरमीमात की हैं, वह भी मैंने जनाब की खिदमद में पेश कर दी हैं और उसकी एक कापी आनरेबिल मिन्स्टर को भी भेज दी है। इसके मुताल्लिक कई संशोधन आ चुके हैं आप उन सब के मुताल्लिक ख्याल फरमा लें। इसलिये मुझे उस संशोधन को एक्सप्लेन करने का मौका दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—ठीक है आप उसको एक्सप्लेन कर लीजिये।

श्री अतहर हुसैन ख्वाजा—जनाबवाला, कल मैंने जो संशोधन जनाब की खिदमत में पेश किया था उसमें मैं आपकी इजाजत से कुछ तरमीमात करना चाहता हूं उनको मैंने जनाब की खिदमत में पेश कर दिया है और उसकी एक कापी आनरेबिल मिनिस्टर की दि खिदमत में भी भेज दी है। उसको (के) क्लाज के तौर पर 'एड' किया जाना है। वह इस तरह से है :—

"(K) Has been convinced for an offence which is declared by the State Government to be an offence which renders him unfit to become a member or for charging for a commodity a price higher than the one fixed by the central or State Government in exercise of the powers conferred by or under an ordinance or act for control or Regulation of supplies of commodities or any rule made thereunder."

जनाबवाला मुलाहिजा फरमायें कि इस संशोधन को मैंने दो हिस्सों में तकसीम किया है। मैंने हाउस के सेंस को पूरी तरह ख्याल रखते हुये इस संशोधन को पेश करने की जुरअत की है। पहला हिस्सा इस संशोधन का वह है जिसके जरिये से यह हाउस गवर्नमेंट को अख्तियार दे रहा है कि वह चाहे तो कुछ आफेन्सेज को डिक्लेअर कर दे जो किसी शख्स की मेम्बर के लिये अनफिट कर सकें। दूसरा हाउस का मंशा यह था कि कुछ ऐसे हीनियस (Heinous) आफेन्सेज हैं जो खुद बखुद ही मेम्बर को अनफिट करने के लिये काफी हैं इसलिये मैंने जानबूझ कर इस संशोधन को दो हिस्सों में रखा है। हाउस इस बात को समझता है कि ब्लैक मार्केटिंग एक हीनियस आफेन्स (Heinous offence) है और वह सोसाइटी (Society) के खिलाफ एक आफेंस है। एक दूसरा आफेंस भी होता है जो इन्डिविजुअल के खिलाफ होता है। इससे पहले आफेन्स की ग्रेवटी ज्यादा है, उसको सब क्राइम्स और आफेंसेज में सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है।

जनाबवाला मुलाहिजा फरमायेंगे कि आई० पी० सी० की किसी दफा में नीज किसी दूसरे ऐक्ट में मोरल टरपीट्यूड (moral turpitude) को डिफाइन (Define) नहीं किया गया है। बाज दफायें ऐसी समझी जाती हैं कि मोरल टरपीट्यूड (moral turpitude) के तहत आती हैं और ब्लैक मार्केटिंग (black marketing) लफ्ज को भी कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है। ब्लैक मार्केटिंग क्या चीज है उसका आम लोगों के दिमाग में एक खास कन्सेप्शन (Conception) है। जहां तक इस ताल्लुक कानून से है आप मुलाहिजा फरमायेंगे कि सन् ४६ में एक सेन्ट्रल ऐक्ट पास हुआ और उसमें कुछ चीजों को असेंशियल कमोडिटीज (essential commodities) करार दिया गया और उसके मुताल्लिक कुछ किस्म की पाबन्दियां

[श्री अतहर हुसैन ख्वाजा]

लगाई गयीं। कुछ आफेन्सेज करार दिये गये और पनिशमेंट (punishment) मुकर्रर की गयीं। इसके बाद स्टेट (state) में सन् १६४६ में और उसके बाद कुछ आर्डिनेन्स (ordinance) जारी हुए इसके बाद सन् १६४७ में यू० पी० में कंट्रोल आफ सप्लाइज ऐक्ट (controls of supplies Act) बना और उसमें जो धारा ३ है उसको अगर जनाब देखेंगे तो उसमें यह लिखा हुआ है कि कुछ चीजों पर कंट्रोल किया जायगा और कुछ बातों की मुमानियत की गयी। तो जहां तक असल (amendment) का ताल्लुक है, जनाब देखेंगे कि उसकी लैंग्वेज (language) यह है —

(k) has been convicted for contravening any of the provisions of Civil Supplies or Control Acts of the State or Central Government.

(l) has been convicted for black-marketing.

तो जाहिर है कि जहां तक ब्लैक मार्केटिंग का ताल्लुक है वह दूसरे नम्बर एल० क्लाज में है। उसमें कोई डेफिनिशन नहीं दिया हुआ है कि ब्लैक मार्केटिंग से क्या मंशा है। इसलिये जरूरी है कि कम से कम उस सेंस के अन्दर, उस दायरे के अन्दर जो कुछ हाउस का मंशा है उसे डिफाइन कर दें कि ब्लैक मार्केटिंग क्या चीज है। इसके बाद जो दूसरा हिस्सा के० (K) है उसमें जनाब देखेंगे कि उसका स्कोप (scope) बहुत वाइड (wide) है।

यू० पी० कंट्रोल ऐक्ट की दफा ३ जो है उसमें दिया हुआ है —

" The Provincial Government, so far as it appears to it to be necessary or expedient to control any essential commodity, may, by notified order, provide— for controlling the prices at which any essential commodity may be bought or sold " etc.

यानी इसमें बहुत सी चीजें आ जाती है। उसके बाद जो क्लाज ६ है उसमें उन्होंने सब पेनलटीज (penalties) प्रोवाइड (provide) कर दी हैं। आखिर उसका मकसद क्या है? आज कल जो ब्लैक मार्केटिंग करते हैं उसका मतलब जनाब यह समझा जाता है कि कंट्रोल की प्राइस कुछ है और.....

राजा बीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)- - आन ए प्वायंट आफ़ आर्डर, सर। मैं आपकी आज्ञा से यह पूछना चाहता हूं कि जो संशोधन माननीय सदस्य पढ़ रहे हैं उसके बारे में उन्होंने माननीय मंत्री जी से पहले बात कर ली है?

श्री अध्यक्ष--यह कोई प्वायंट आफ आर्डर नहीं है।

श्री अतहर हुसैन ख्वाजा--यह चीज तो मेरे और माननीय मंत्री जी के बीच की है। हो सकता है कि मेरा संशोधन ही माननीय मंत्री जी मंजूर कर लें। तो जनाववाला मैं यह अर्ज कर रहा था कि क्लाज ६ जो इस कानून का है उसको जनाब मुलाहिजा फरमावें, उसमें पेनल्टीज का प्रोविजन (provision) है। उसमें लिखा हुआ है —

" If any person contravenes any order made or deemed to be made under section 3, he shall bepunishable with imprisonment for a term which may extend to three years or with fine or with both, and if the order so provides, any Court trying such contravention may direct that any property

in respect of which the Court is satisfied that the Order has been contravened shall be forfeited to His Majesty. "

तो जनाब देखेंगे कि बहुत से आफेंसेज ऐसे हैं "सो फार ऐज ग्रेविटी इन कंसर्न" हर आफेंस ग्रेव नहीं माना जायगा और न माना जा सकता है। मसलन कंट्रोल आर्डर में यह है कि कोई आदमी ५ मन से ज्यादा गल्ला स्टोर नहीं कर सकता है लेकिन यदि बजाय ५ मन के कोई मनुष्य ६ मन स्टोर कर ले तो Technical offence commit हो जायगा और वह convict भी हो सकेगा।

श्री अध्यक्ष--इसके जिक्र करने की जरूरत नहीं है।

श्री अतहर हुसैन ख्वाजा--जनाबवाला, मैं अदब के साथ अर्ज कर रहा हूं कि मैं इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा था कि मैंने क्यों ये अल्फाज रखे हैं। तो जैसा कि मैंने अर्ज किया कुछ ऐसे भी आफेंसेज हो सकते हैं जो महज टेकनिकल हों। तो जो टेकनिकल नेचर के आफेंस हों तो उसके लिये उतना बड़ा पनिशमेंट नहीं देना चाहिये जितना कि ऐसे आफेंस के लिये जिससे कि सोसाइटी का मारेल डिग्रेड (moral degrade) हो। इसलिये मैं चाहता हूं कि ब्लैक मार्केटिंग को डिफाइन कर दिया जाना चाहिये इसका मतलब क्या है। इसीलिये मैंने नम्बर के० और एल० की जगह पर दूसरा क्लाज सब्स्टीच्यूट करने के लिये अमेंडमेंट रखा है। जनाब देखेंगे कि यह म्युनिसिपल ऐक्ट १९१६ जो है...

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्दवल्लभ पन्त)--अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि मैं एक तरमीम पेश करूं तो शायद आपका और रामनारायण जी का, सब का मंशा पूरी हो जाय, इसलिये मैंने यह मदाख़लत की। गौतम जी ने जो अमेंडमेंट आपके सामने रखा वह इस तरह है --

" has been sentenced to imprisonment for a term exceeding one year or to transportation or for an offence which is declared by the State Govt. to imply such moral turpitude as to unfit him to be a member....."

मैं इसमें इतना संशोधन करना चाहता हूं कि "one year" के बदले "six months" कर दिया जाय और इसको इस तरह से रख दिया जाय --

" has been sentenced to imprisonment for a term eceeding six months or to transportation for contraveration of any order made under Essential Supplies (Temporary Powers) Act, 1946, or the U. P. Control of supplies (Temporary Powers) Act, 1947, or for an offence which is declared by the State Govt. to imply such moral turpitude as to render him unfit to be a member....." and so on....

यह बतलाया गया था कि मारल टरपीट्यूड में 'ब्रीच आफ सिविल सप्लाईज' आता है या नहीं। तो इसको दूर करने के लिये मैं समझता हूं कि इन अल्फाज से कोई शंका नहीं रहेगी। चाहे मारल टरपीटचूड हो या नहीं मगर इनका जो आफेंस करे वह मेम्बर नहीं हो सकेगा।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--मैं मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने मेरी भावना की क़द्र की और उन्होंने अपने संशोधन में इसका समावेश किया। मैं अपने संशोधन के बजाय उनके संशोधन को मान लेने के लिये तैयार हूं।

श्री अतहर हुसैन ख्वाजा--जनाबवाला, मुझे भी यह तरमीम मंजूर है। मैं अपनी तरमीम वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से श्री रामनारायण त्रिपाठी, श्री अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री नारायणदत्त तिवारी, श्री शिवस्वरूप सिंह तथा श्री रतनलाल जैन के संशोधन वापिस लिये गये।)

श्री अध्यक्ष—अब मैं माननीय मुख्य मंत्री द्वारा संशोधित संशोधन उपस्थित कर देना चाहता हूं।

प्रश्न यह है कि खंड ९ में प्रस्तावित नयी धारा 13-D के अन्त में निम्नलिखित उपधारा (J) के रूप में जोड़ दिया जाय।

"(J) has been sentenced to imprisonment for a term exceeding six months or to transportation for contravention of any order made under Essential Supplies (Temporary Powers) Act, 1946, or the U. P. Control of Supplies (Temporary Powers) Act, 1947, or for an offence which is declared by the State Government to imply such moral turpitude as to render him unfit to be a member or has been ordered to find security for good behaviour in consequence of proceedings taken under section 109 or 110 of the Code of Criminal Procedure, 1898, such sentence or order not having been subsequently reversed or remitted or the offender pardoned: "

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ९ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १०

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा २५ का संशोधन।

१०—मूल अधिनियम की धारा २५ में से उपधारा (३) निकाल दी जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १० इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ११

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा २९ और २९-ए का निकाल दिया जाना।

११—मूल अधिनियम की धारा २९ और २९-ए निकाल दी जांय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ११ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १२

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा ३१ में संशोधन।

१२—मूल अधिनियम की धारा ३१ के स्थान पर निम्नलिखित रक्खा जाय—

"31 When a board is superseded under section 30, the following consequences shall follow—

consequences of supersession of board

(*a*) all members of the board including the president shall, on a date to be specified in the order, vacate their offices as such but without prejudice to their eligibility for re-election or re-nomination;

(*b*) such person or persons as the State Government may appoint in that behalf shall, so long as the supersession of the board lasts, exercise and perform so far as may be , the powers and duties of the board and shall be deemed to be the board for all purposes, and

(*c*) a fresh board shall be constituted with effect from the date of expiry of the period of supersession as though the term fixed under section 10-A had expired."

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—मैं आपकी आज्ञा से खंड १२ द्वारा प्रस्तुत नयी धारा ३१ के स्थान पर निम्नलिखित रखने का प्रस्ताव करता हूं—

"31. When a board is superseded or dissolved under section 30, the following consequences shall follow:

(*a*) all members of the board—

(i) but not the President, or

(ii) when the State Government so directs the President also,

shall on a date to be specified in the order vacate their respective offices but without prejudice to their eligibility for re-election, and

(*b*) the election of the members or the President, as may be necessary shall be held or made as the case may be—

(i) in a case referred to in sub-clause (1) of clause (*a*) above as though there had been casual vacancies, and

(ii) in a case referred to in sub-clause (ii) of—

(c) above as though the term of the board fixed under section 10-A had expired."

श्रीमन्, यह संशोधन, आज तक नगरपालिकाओं में सुपरसेशन के इतिहास को देखते हुए और नगरपालिकाओं के चुनाव के सम्बन्ध में जनतांत्रिक परम्पराओं की पद्धति को प्रचालित करने की दृष्टि से देखते हुए अत्यन्त ही आवश्यक है। मूल अधिनियम की धारा ३० के अनुसार सरकार को इस बात का अधिकार प्राप्त है कि आवश्यकता पड़ने पर किसी भी नगरपालिका को वह सुपरसीड कर सकती है या डिजाल्व कर सकती है। लेकिन भंग होने के मानी में और सुपरसेशन के मानी में फर्क है। जब किसी म्युनिसिपल बोर्ड को सुपरसीड कर दिया जाता है तो उसके बाद आवश्यक नहीं है कि उसके चुनाव हों। मैं यह समझता हूं कि यह बहुत ही असाधारण परिस्थिति है। मान लीजिये किसी म्युनिसिपल बोर्ड का इन्तजाम खराब भी है उसके चुने हुये प्रतिनिधि नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं और चेयरमैन तथा मेम्बरान इस काबिल नहीं कि रखे जायं। फिर भी अगर वह नगरपालिका सुपरसीड कर दी जाती है तो वहां के मतदाताओं को इस बात का अधिकार होना चाहिए था कि उन पुराने मेम्बरों और चेयरमैन को छोड़ कर किसी नये चेयरमैन या मेम्बरों को चुन सकें। जैसा कि इस विधेयक के जरिये से माननीय मंत्री जी ने डिस्सोल्युशन के मौके पर अधिकार दिया है कि अगर कोई म्युनिसिपल बोर्ड भंग कर दिया जायगा तो उसमें चुनाव किया जायगा।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

लेकिन जहां पर सुपरसीड करने की सवाल है वहां पर चुनाव नहीं किया जायगा। जैसी धारा माननीय मंत्री जी चाहते हैं उसमें लिखा है धारा ३१ में कि—

"Such person or persons as the State Government may appoint in that behalf shall, so long as the supersession of the board lasts, exercise and perform so far as may be, the powers and duties of the board and shall be deemed to be the board for all purposes, and

(c) a fresh board shall be constituted with effect from the date of expiry of the period of supersession as though the term fixed under section 10-A had expired."

तो इस प्रकार जितने दिनों के लिये सुपरसेशन होगा उसके बाद ही चुनाव किये जायंगे और यह अनिश्चित है कि कितने दिनों के लिये सुपरसेशन हो सकता है। कोई लिमिट नहीं है। कोई टाइम लिमिट मुकर्रर नहीं है कि कम से कम सुपरसेशन कितने दिनों के लिये होगा। ऐट ए टाइम की तो लिमिट दी गयी है लेकिन जितने दिनों के लिये सुपरसेशन चल सकता है इसकी कोई गुंजायश नहीं है जो कि धारा ३० में स्पष्ट कहा गया है—

"If at any time, upon representation made or otherwise, it appears to the Local Government that a board persists in making default in the performance of any duties imposed on it by or under this or any other enactment, or is exceeding or abusing its powers, the Local Government may, after taking into consideration the explanation of the board, by an order published with the reasons for making it in the Gazette, either dissolve the board or supersede it for a period to be specified in the order."

तो जहां पर सवाल आता है सुपरसेशन का वहां पर मैं यह समझता हूं कि कोई निश्चित व्यवस्था नहीं है और यह स्पष्ट तब होता है जब कि हम देखते हैं कि जहां पर बोर्ड हमेशा के लिये डिजाल्व हो जाता है। उसके लिये माननीय मंत्री जी ने नयी धारा ३१ (ए) रखी। तो मैं चाहता हूं कि चाहे सुपरसेशन हो या डिस्सोल्यूशन हो बोर्ड का, दोनों हालतों में चुनाव होना चाहिये। ऐसा न हो कि हम एक अनिश्चित-काल के लिये या उतने निश्चित काल के लिये जितने दिन कि बोर्ड सुपरसीड रहता है हम किसी प्राधिकारी की रक्षा में उस बोर्ड को अक्षुण्य छोड़ दें। मैं यह नहीं कहता कि इसमें बुराई होती है या ऐडमिनिस्ट्रेटर के हाथ में खराब इन्तजाम वहां होता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि उस जमाने में जब तक कि सुपरसेशन रहे और ऐडमिनिस्ट्रेटर काम कर रहा हो कोई चुनाव न हो। इसलिये सुपरसीड हुए बोर्ड में चुनाव हो उसको स्पष्ट किया है धारा ३१ (ए) में जो कि बोर्ड के डिस्सोल्यूशन के लिये रखी गयी है। मैं खेर कमेटी की रिपोर्ट की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिये मजबूर हूं। उसमें इस बात को स्पष्ट कर दिया गया था कि हम किसी भी हालत में यह नहीं चाहते कि कोई म्युनिसिपल बोर्ड सुपरसीड किया जाय। रिपोर्ट के पेज १७, पैराग्राफ ४० में कहा गया था कि—

"We are strongly against supersession of a district or municipal board being allowed under any circumstances but we have no objection to Government dissolving a board when it persists in making default in the performance of its statutory duties, in exceeding or abusing its powers or in creating deadlocks provided warning has first been issued. In the interest of the board as also of the general public we strongly think that a board should not be dissolved more than once during its term."

तो श्रीमन् जहां तक सुपरसेशन का सवाल है मैं तो यह चाहता हूं कि मंत्री जी इस बात पर कोई प्रतिबन्ध लगाते जिससे कि बोर्ड सुपरसेशन के बाद खत्म हो जाता।

डिस्सोल्यूशन का अधिकार सरकार को है लेकिन सुपरसेशन का अधिकार नहीं रहता अगर रहता भी है तो उसको हमें वही प्रोसीज्योर रखनी चाहिये जो कि बोर्ड के डिस्सोल्यूशन के लिए होता है। इसलिये सुपरसेशन और डिस्सोल्यूशन के लिए चुनाव के माने में एक ही धारायें लागू हों और चुनाव कराना हर बोर्ड के लिए आवश्यक हो चाहे वह सुपरसीड किया जाय या डिसाल्व किया जाय।

श्री मोहनलाल गौतम—इसमें फर्क क्या होगा?

श्री नारायणदत्त तिवारी—फर्क यह होगा कि जहां डिस्सोल्यूशन होगा वहां ऐडमिनिस्ट्रेटर इस तरह से नहीं रहेगा। डिस्सोल्यूशन के समय प्रेसीडेंट भी रहता है और जहां सुपरसेशन होगा वहां ऐडमिनिस्ट्रेटर तो रखना ही पड़ेगा। यही फर्क है और हम तो चाहते हैं कि सुपरसेशन और डिस्सोल्यूशन में फर्क न रहे क्योंकि हम खेर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार चलना चाहते हैं। जिसमें लिखा हुआ है कि अंडर एनी सर्कमस्टैन्सेज, किसी भी हालत में बोर्ड सुपरसीड नहीं होगा, किसी भी हालत में बोर्ड का प्रबन्ध प्रबन्धक के हाथ में नहीं दिया जायगा। इसलिये मैं माननीय स्वशासन मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि वह इस प्रजातांत्रिक प्रणाली को अपनायें और सुपरसेशन के मामले में भी वही प्रबन्ध लागू करें और वही नियम बनायें जो कि डिसोल्यूशन के लिये हैं।

शनिवार, २० दिसम्बर, १९५२ को सदन की बैठक करने का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि द्वारिका प्रसाद मौर्य जी ने एक मोशन भेजा है कि कल के लिये भी बैठक हो तो क्या वह यहां हैं या माननीय स्वशासन मंत्री इसको पेश करना चाहते हैं।

स्वशासन मन्त्री (श्री मोहन लाल गौतम)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि नियम १७३(८) के अधीन नियम ११ निलम्ब कर दिया जाय और इस सदन की बैठक तारीख २० दिसम्बर, १९५२ को भी हो।

अध्यक्ष महोदय, मुझे इसमें कुछ और अधिक नहीं कहना है। जैसा कि अभी बातचीत में यह सदन विचार कर रहा था कि सोमवार तक तो हमें यह विधेयक समाप्त कर ही देना है और सोमवार को अगर समाप्त करना है और काफी समय हम इसके लिये वादविवाद के लिये देना चाहें तो यह अच्छा ही होगा कि कल भी हम बैठ जायं ताकि यह न कहा जा सके कि हमने बिना डिस्कशन किये ही जल्दी से इसे पास कर दिया।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, कौन से नियम के अधीन माननीय मंत्री महोदय ने प्रस्ताव किया है?

श्री अध्यक्ष—१७३ (८)।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फ़ैजाबाद)—अध्यक्ष महोदय, मुझे माननीय मंत्री महोदय के प्रस्ताव पर आपत्ति है और वह आपत्ति इसलिये है कि जो बातें माननीय स्वशासन मंत्री जी ने एक बार कही थीं ....।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि यह स्पष्टीकरण हो चुका था कि इस तरह का प्रस्ताव वह लायेंगे। आप कोई प्वाइण्ट आफ आर्डर तो नहीं रेज कर रहे हैं?

श्री रामनारायण त्रिपाठी—ऐसी सूरत में यह एक ऐसी व्यवस्था चल पड़ी थी और आपने सलाह दी कि हम विचार करेंगे और देखेंगे कि देर तो नहीं हो रही है। हमें इसमें कोई शिकायत नहीं है। हम संडे के लिये भी बैठ सकते हैं और रात दिन भी बैठ सकते हैं। लेकिन इस तरह के आकस्मिक प्रस्तावों से यह दिक्कत हो जाती है कि यह सेशन १२ जनवरी और उसके बाद तक चलेगा और जब लखनऊ में हम लोग रहते हैं तो सैटरडे और संडे को अपनी कांस्टीच्युएंसी में, अपने जिले में कोई न कोई प्रोग्राम वगैरह हमारी ओर से रख दिया जाता है और सबके कमिटमेंट्स हो जाते हैं और यह निर्विवाद विषय है कि हमारी संख्या यहां कम है। अगर संडे और सैटरडे को कुछ लोग यहां से चले जायं तो दिक्कत यह हो जाती है कि हम अपना काम पूरा नहीं कर सकते। ऐसी हालत में हमको इस बात पर ऐतराज है। जहां तक कल सैटरडे का अधिक दिन लेने से इस विधेयक के पास होने में आसानी हो सकती है तो अगर मंडे ट्यूजडे को ही पास हो जाय तो उसमें कोई विपत्ति या कठिनाई गवर्नमेंट को नहीं पड़ जायगी और हमको इस बात की आशंका भी नहीं होगी कि हमारे पारस्परिक संबंधों में कोई खराबी आवे। मैं समझता हूं कि यह विरोधी दल और सरकारी दल के पारस्परिक संबंधों के लिये आवश्यक भी है। आपकी कृपा से हमारे अधिकारों को छीनने का जो प्रयत्न किया गया उसमें सरकार असफल हो गई और इस प्रकार का प्रयत्न दूसरे मौकों पर नहीं किया जायगा इसकी शंका भी विरोधी दल की दूर होनी चाहिये। चाहे सरकार का यह मंशा न हो, विरोधी दल को यह आशंका उठती है। तो यह हमारे पयूचर रिलेशंस के लिये मुनासिब नहीं है। अगर एक हफ्ते पहले मालूम होता कि इस किस्म की कोई बात होगी तो हमारे जो कमिटमेंट्स हैं उनको दूसरी तारीखों के लिये रख लेते। हमारा यह इरादा नहीं है कि सैटरडे या संडे को न बैठा जाय। अगर वह नोटिस दे दें कि २७, २८, २९, ३० को बैठक होगी तो हम बैठने के लिये तैयार हैं। लेकिन इस तरह से बहुमत के जोर से कोई प्रस्ताव पास करा लेना तो हमारे अधिकारों पर कुठाराघात होगा और हम समझेंगे कि हमारी बात का सरकारी दल ख्याल नहीं करता ऐसी हालत में मैं तो यह कहूंगा कि हमारे पयूचर पारस्परिक रिलेशंस के लिये यह आवश्यक है कि जिस तरह से उन्होंने उस रूलिंग पर आपकी सलाह मान ली उसी तरह से इस पर भी जोर न दें। यह बहुत मुनासिब होगा हमारी तरफ से हमेशा यह प्रयत्न होता है कि इस प्रकार आप के जरिये इमिजिएट नोटिस न देकर हम से पहले से प्राइवेटली कह दिया जाय, तो हम कतई कोई ऐतराज नहीं करेंगे। यदि माननीय मंत्री जी इस किस्म का मौका दें तो हमारी ओर से ऐतराज का कोई मौका आप के सामने नहीं आयेगा। इन अहम कारणों से हमें इस बात पर ऐतराज है और हम माननीय स्वशासन मंत्री जी से जोर देंगे कि वे इस प्रस्ताव को वापस ले लें।

श्री मोहनलाल गौतम—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि हम नहीं चाहते कि इस प्रकार के प्रस्ताव से आपस के संबंध में कोई कटुता आये। हम अपनी मैजारिटी के आधार पर कुछ कर रहे हैं, ऐसी भावना मैं नहीं चाहता कि किसी माननीय सदस्य के दिल में आये। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में मैं आप की सेवा में मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस कोट करना चाहता हूं [पेज ३०४] यह दूसरा हिस्सा है उसका—

"Exceptional methods adopted to particular occasions."

इसमें और चीजें नहीं पढ़ूंगा, केवल यह पढ़ूंगा "Abnormal sitting days".

"Saturday is occasionally utilised as a sitting day, very rarely, Sunday. A Saturday or Sunday sitting is secured by a resolution of the House moved on a previous day."

यह अगर पहले दिन हो जाय तो सेटरडे क्या संडे को भी, जो वहां पर एक पाक दिन समझा जाता है और जिस के पीछे एक रेलीजस भावना है, वहां पर काम होता है। यह कहना कि हमारे और काम हैं, इसके लिये मेरा ख्याल यह है कि जब तक हम यहां पर हैं हमारा सब

से मुख्य काम लेजिस्लेटिव वर्क है। उसको सब से पहले करने के लिये ही हम यहां पर आये हैं और बाकी सब काम सिकेंडरी हैं। अगर एक दो मेम्बर साहबान ने अपना इंगेजमेंट पहले से कर लिया हो तो हमारी यह भी इच्छा नहीं है कि वे इंगेजमेंटस को तोड़ें। वे तय कर लें कि क्या काम उनको ज्यादा पसन्द है और उसी को करें। इस बिल पर काफी दिन लग चुके हैं और मैं समझता हूं कि इसका जल्द पास होना जरूरी है। इसलिये मैं समझता हूं कि कल बैठना अच्छा ही होगा।

श्री नरायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, चूंकि मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस का हवाला दिया गया है इसलिये मैं भी हवाला देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---अब हवाला देने की बात नहीं है। अब प्रश्न उपस्थित किया जायगा।

प्रश्न यह है कि नियम ११ निलम्ब कर दिया जाय और इस सदन की बैठक तारीख २० दिसम्बर, १९५२ ई० को भी हो।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री राजनारायण (जिला बनारस)---श्रीमन्, यह जिस तरह से ट्रेजरी बेंचज के लोग अपने बहुमत के प्रभाव से हमारे अधिकार पर कुठाराघात कर रहे हैं उसके विरोध में अब हम इस सदन से बाहर जाना चाहते हैं।

(इसके उपरांत विरोधी दल के सभी सदस्य सदन के बाहर चले गये और जलपान के बाद सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ होने पर आ गये।)

उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज़ (संशोधन) विधेयक १९५२

श्री अध्यक्ष---माननीय स्वशासन मंत्री आप अपना भाषण करें।

(स्वशासन मन्त्री श्री मोहनलाल गौतम)---अब मुझे भाषण देने की आवश्यकता नहीं है। आप वोट ले लीजिये।

श्री अध्यक्ष---आप इसका विरोध करते हैं या नहीं करते हैं?

श्री मोहनलाल गौतम---विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष---माननीय नारायण दत्त जी को बुलाता हूं। माननीय नारायण दत्त जी ..... (कुछ रुक कर) अच्छा नहीं हैं।

प्रश्न यह है कि खंड १२ द्वारा प्रस्तुत नयी धारा ३१ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय---

"When a board is superseded or dissolved under section 30, the following consequences shall follow:

(*a*) all members of the board—

(i) but not the President, or

(ii) when the State Government so directs the President also, shall on a date to be specified in the order vacate their respective offices but without prejudice to their eligibility for re-election and

(*b*) the election of the members or the President, as may be necessary shall be held or made as the case may be—

(i) in a case referred to in sub-clause (1) of clause (a) above as through there had been casual vacancies, and

[श्री अध्यक्ष]

(ii) in a case referred to in sub-clause (ii) of—

(*a*) above as through the term of the board fixed under section 10-A had expired."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—आन ए प्वाइण्ट आफ आर्डर। मेरा निवेदन यह है कि ये विरोधी पक्ष के लोग जो यहां आ कर बैठ गये हैं ये वाक आउट कर गये थे बिला समय को निश्चित किये हुये। तो क्या बिला आपकी आज्ञा के ये यहां बैठ सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—यह कोई प्वाइण्ट आफ आर्डर नहीं है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा स निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं।

खंड १२ में प्रस्तावित धारा ३१ के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध जोड़ दिया जाय—

"Provided that the maximum period of the supersession will not be more than six months."

उपाध्यक्ष महोदय, खंड १२ में सरकार द्वारा यह प्रयत्न किया गया है कि जो मूल ऐक्ट की धारा ३१ बी धारा है उसके स्थान पर एक नयी धारा जोड़ दी जाय जो इस प्रकार है :

"(*a*) All members of the board including the President shall, on a date to be specified in the order, vacate their offices as such but without prejudice to their eligibility for re-election or re-nomination;

(*b*) suchp erson or persons as the State Government may appoint in that behalf shall, so long as the supersession of the board lasts, exercise and perform so far as may be, the powers and duties of the board and shall be deemed to be the board for all purposes, and

(*c*) a fresh board shall be constituted with effect from the date of expiry of the period of supersession as though the term fixed under section 10—A had expired."

उपाध्यक्ष महोदय, इसके पहले एक संशोधन पर हमारी तरफ से यह राय जाहिर की जा चुकी है कि मूलतः हम लोग न किसी प्रेसीडेंट या मेम्बर के रेमूवल के पक्ष में हैं न सस्पेंशन के पक्ष में हैं और बार-बार हम लोगों ने इस बात को कहा है कि यह अनाधिकार चेष्टा जो सरकार कर रही है वह प्रजातंत्रवादी प्रणाली पर कुठाराघात करती है। लेकिन हमारी तमाम दलीलों और प्रोटेस्ट्स के बावजूद भी प्रान्तीय सरकार इस बात पर तुली हुई है कि वह इस विशेषाधिकार को ले। उसको इस बात की चिन्ता नहीं है कि उसकी इस प्रणाली के बारे में दुनिया, इस देश और इस प्रदेश के लोग क्या राय कायम करेंगे। अब इस संबंध की धारा तो पास हो चुकी है। इस प्राविजन के जरिये मैं सिर्फ उसमें एक शर्त लगाना चाहता हूं कि सुपरसेशन के ६ महीने के अन्दर ही अन्दर दूसरा चुनाव हो जाना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरा संशोधन कहां तक उचित है और इसको अगर न रखा जाय तो कितनी गड़बड़ी पैदा हो सकती है इस पर मैं रोशनी डालना चाहता हूं। हमारे वर्तमान ऐक्ट के अनुसार अब भविष्य में चार साल के लिये किसी बोर्ड की जिन्दगी होगी और संभवतः एक या डेढ़ साल की वर्किंग में प्रान्तीय सरकार को इस बात का पता चल जाय कि बोर्ड का काम ठीक नहीं

है और मौजूदा धाराओं के अनुसार उसने बोर्ड को सुपरसीड कर लिया और कोई व्यवस्था इस बात की न की गयी कि कब तक एक मैक्सिमम पीरियड रिएलेक्शन के लिये कर दिया जाय तो इस बात की संभावना है, और जहां तक मैंने इसकी धाराओं को अध्ययन कर के समझा है इसके माने यह हैं कि सरकार अगर चाहे तो किसी भी सरकारी आदमी को वहां एडमिनिस्ट्रेटर रख कर अगले चुनाव तक इस महत्वपूर्ण प्रश्न को टाल सकती है । पहली बात तो यह कि हम नहीं चाहते थे किसी मेम्बर का रिमूवल या किसी बोर्ड का सुपर-सेशन हो । लेकिन इस बात को तो सरकार मानती नहीं है तो मैं यह समझता हूं कि यह उचित ही है कि जब आप ने किसी बोर्ड का सुपरसेशन कर लिया तो उसका जल्दी ही दूसरा चुनाव करना चाहिये । पहला काम तो सरकार का यही ग़लत हुआ कि किसी बोर्ड का सुपरसेशन करे और दूसरा ग़लत काम यह कि किसी बोर्ड को सुपरसीड करने के बाद उसकी आखिरी मियाद तक यानी दो तीन साल तक एडमिनिस्ट्रेटर का मनमाना काम करने की आज्ञा दे । यह उचित नहीं है ।

मैं जानता हूं कि सरकार इस बात पर फ़ख्र करती है कि हमने कई बोर्डस का सुपरसेशन किया और वहां के एडमिनिस्ट्रेटर्स अच्छा काम कर रहे हैं । उसमें खासतौर से लखनऊ के एडमिनिस्ट्रेटर का जिक्र आया है। हम एक लफ्ज भी नहीं कहना चाहते हैं कि उन्होंने कोई ग़लत काम किया है । लेकिन अध्यक्ष महोदय यह प्रजातंत्र प्रणाली के खिलाफ़ है । इसलिये हमने इसका विरोध किया है । हम प्रजातंत्र प्रणाली के जरिये से प्रधान मंत्री, मुख्य मंत्री और तमाम लोगों को इलेक्ट करा कर लाने की कोशिश की गयी है । मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी को इसके जोड़ देने में कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्री मोहनलाल गौतम—अध्यक्ष महोदय, प्रजातंत्र प्रणाली पर कुठाराघात सुनते-सुनते तो अजीर्ण हो गया है और इसी लिये इस तरह की दलीलों का उत्तर बार-बार देने से सदन का वक्त खराब होगा। इस वक्त असल बात यह है कि जो लोग सुपरसेशन के खिलाफ हैं वही इस प्रकार का संशोधन पेश कर सकते हैं । लेकिन जब यह तय हो चुका है कि सुपरसेशन होगा तो उस वक्त या तो डिजाल्व हो और इलैक्शन हो जाय । सुपरसेशन हो और वह छः महीने के लिये हो तो वह बहुत ही खराब होगा क्योंकि या तो आप किसी बोर्ड को जब सुपरसीड करें तो साल दो साल तक अपने इंतजाम में लेकर उसका कुछ सुधार करें या इलेक्शन करा दिया जाय लेकिन बीच की कोई चीज नहीं हो सकती है ।

जहां तक लखनऊ म्युनिसपैलिटी का सवाल है और उसमें जो सुधार हुआ है उसकी केवल कांग्रेस वालों ने ही तारीफ़ नहीं की है बल्कि लामुहाला विरोधियों को भी तारीफ करनी पड़ी है । इसलिये इस प्रथा के खिलाफ तारीफ करते हुये भी यह कहां तक हो सकता है यह देखने की बात है । इसलिये मुझे छः महीने वाला प्रस्ताव मंजूर नहीं है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, मैं आप की आज्ञा से श्री रामनारायण जी त्रिपाठी के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मंत्री जी ने जो दलीलें दीं उनमें मुख्यतः यही कहा कि जब एक बोर्ड के सुपरसेशन की आवश्यकता मान ली गयी है तो फिर समय कोई महत्व नहीं रखता कि.....

श्री मोहनलाल गौतम—मैंने यह नहीं कहा । आप ग़लत समझे ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—आप ने यह नहीं कहा तो क्या कहा.....

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, सुपरसेशन का यह अर्थ नहीं है कि कोई बोर्ड सुपरसीड हो जाय तो अनिश्चित काल के लिये हो जाय। मैं ऐसा नहीं समझता हूं अगर मंत्री जी ऐसा समझते हों तो वह जानें । जहां तक सवाल है कि कितने समय तक किया जाय तो मैं समझता हूं कि ऐसी व्यवस्था का विधेयक में रखना आवश्यक है जिसके अन्दर बतलाया

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

जाय कि सुपरसेशन कितने समय के लिये होगा । अगर मान लिया जाय कि सुपरसेशन किसी बोर्ड के लिये आवश्यक है तो अगर हम कोई समय निर्धारित कर देंगे कि इससे अधिक के लिये सुपर-सेशन नहीं होगा तो उसके बाद वहां नगरपालिका के लिये नये चुनाव कराना आवश्यक हो जायगा। तो यहां पर जो मैं समझता हूं माननीय रामनारायण जी के संशोधन का अर्थ यही है कि ६ महीने से अधिक के लिये बोर्ड सुपरसीड न हो सके और इन ६ महीने तक बोर्ड का प्रबंध प्रबंधक के हाथ में रहेगा और ६ महीने तक बोर्ड नये चुनाव कराने की तैयारियां करेगा और इसके बाद नया बोर्ड जो बालिग मताधिकार के अनुसार चुना जाय वह बोर्ड अपने हाथ में प्रबन्ध ले ले । इसमें किसी प्रबन्धक के गुण व अवगुण का प्रश्न नहीं उठता । हमने कभी नहीं कहा कि जितने बोर्ड सुपरसीड हुये हैं उनमें बदइन्तजामी रही है । हो सकता है कुछ बोर्डस में इन्तजाम अच्छा रहा हो। और कुछ बोर्ड्स में बदइन्तजामी रही हो । लेकिन हमारा यह प्रश्न नहीं है, चाहे इन्तजाम अच्छा रहा हो या बुरा रह हो, हमारे कहने का मतलब तो सिर्फ यह है कि भविष्य में जितनी भी बोर्ड्स सुपरसीड हों उनके सुपरसेशन की अवधि ६ महीने से अधिक न रहे । मैं माननीय मंत्री जी से एक बात जानना चाहूंगा और वह है कि उन्होंने इंग्लैंड, फ्रान्स, जर्मनी, बैलजियम, स्वीटरजरलैंड, और यूनाइटेड स्टेट्स आफ अमेरिका के म्युनिसिपिल बोर्ड्स के विधानों को देखा होगा तो कृपया वह हमको यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि संसार के दूसरे मुल्कों में किन म्युनिसिपल बोर्डस के विधान में ऐसी धारा रक्खी गयी है जिसके अनुसार कि सुपरसेशन का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को हो। जहां तक श्रीमन् मैंने देखा फ्रान्स के अन्दर मेयर को रिमूव करने की ताक़त तो है लेकिन म्युनिसिपल कौंसिल को हटाने की ताक़त स्टेट गवर्नमेंट को नहीं है । यूनाइटेड स्टेट्स आफ अमेरिका में जितनी स्टेट्स हैं उनको विशेष तौर से यह अधिकार मिला है कि उन्होंने म्युनिसिपल बोर्ड के अधिकार को सीमित कर दिया है विधान बनाने के बारे में लेकिन ऐसा कहीं नहीं है जिसके अनुसार स्टेट का गवर्नर या स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन म्युनिसिपल कौंसिल को सुपरसीड कर सके । बेलजियम, हालैंड, स्वीटजरलैंड और जर्मनी में हिटलर के पहले कहीं भी ऐसा विधान नहीं था । इंग्लैंड का विधान देखा जाय जिसके अनुसार मंत्री जी ने काफी नक़ल की है, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि इंग्लैंड की स्वायत्त शासन संस्थाओं को कितनी अधिक स्वतंत्रता है, उनसे कहीं भी सुपरसेशन का अधिकार नहीं है, डिसोलूशन का अधिकार तो है, लेकिन सुपरसेशन का अधिकार कहीं नहीं है । तो संसार की किसी स्वायत्त शासन संस्था के विधान में यह कहीं उपलब्ध नहीं होता, तो यह विधान हमारे यहां कैसे उपयुक्त हो सकता है। तो हमारी यह कामना कैसे हो सकती है यह विधान हमारे यहां रक्खा जाय । हम चाहते हैं कि सुपरसेशन का जो अधिकार है उसे हम सीमित करें और धीरे-धीरे उसे खत्म करें। इसी ओर रामनारायण जी का यह संशोधन ले जाने के लिये पहला क़दम है कि हम सुपर-सेशन की टेंडेंसी को अपने हाथ में लेना धीरे-धीरे खत्म करें । इसमें अजीर्ण और हाज्मे का प्रश्न नहीं है । यह संशोधन इस लिये है कि जो अजीर्ण और हाज्मा अब तक म्युनिसि-पल बोर्ड्स के एडमिनिस्ट्रेशन में होता रहा है इसको खत्म करने का प्रयत्न करें । मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी की भी कामना होगी और वह भी नहीं चाहते होंगे कि म्युनिसिपल बोर्डस सुपरसीड किये जाय । और अगर किसी खास कारणों से ऐसा किया भी जाता है और पुराना बोर्ड अपनी नालायकी की वजह से सुपरसीड कर दिया गया था उसकी जगह जो नया बोर्ड चुन कर आये, उसमें ६ महीने से अधिक की अवधि न लगे, यही माननीय राम-नारायण जी के संशोधन का अर्थ है । मैं माननीय मंत्री जी से विनम्र निवेदन करूंगा कि इस संशोधन को स्वीकार कर के धारा को और सुन्दर बनायें ।

श्री शिवनारायण—उपाध्यक्ष महोदय, आप के द्वारा आज सदन को मैं यह बतला देना चाहता हूं कि ६ महीने का संशोधन जो सामने रखा गया है उसमें समय बहुत कम रखा गया है

और इस विधेयक के अन्दर जो रखा गया है वह ठीक मालूम होता है । इसकी वजह यह है कि वही बोर्ड सुपरसीड होता है जिसकी हालत खराब होती है । जब कोई बोर्ड बनता है तो हरएक चेयरमैन और मेम्बर इस बात की कोशिश करता है कि वह अच्छा काम करे जनता की भलाई को, जिससे हमारी मान-मर्यादा बढ़े, करे। ऐसा नहीं होता है कि इधर उधर कुछ काम किया जाय । यह सब काम करते हुये साल भर या छः महीने बीत जाते हैं और बोर्ड का समय ४ साल से ज्यादा नहीं होता है । जब सुपरसेशन होता है तो उसके बाद साल भर या ६ महीने चुनाव के लिये लग जाते हैं । तो जिस समय किसी बोर्ड का सुपरसेशन किया जाता है तो उसी समय किसी आफिसर को कह दिया जाता है कि वह वहां का इन्तजाम करे और फिर चुनाव किया जाता है । इस तरीके से यह होता रहता है । चुनाव के लिये भी तो कुछ समय मिलना चाहिये इतने कम समय में तो कुछ भी नहीं किया जा सकता है । जो प्रस्ताव त्रिपाठी जी ने पेश किया है वह बिलकुल बेकार मालूम होता है । मैं त्रिपाठी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वह ऐसा संशोधन ले आयें जो किसी काम का हो और उपयोगी हो यह नहीं कि मामूली बात पर भी कोई संशोधन ले आये जो किसी की भी समझ में न आये ।

ऐसी हालत में मैं उस प्रस्ताव को जो त्रिपाठी जी ने पेश किया है उसको अनुचित समझता हूं और उसका विरोध करता हूं।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)---यह संशोधन जो रखा गया है बिलकुल बेकार है और बेमौके है । जब ये दोनों चीजें मान ली गई कि डिजाल्व और सुपरसीड करना तो जिन हालतों में सुपरसीशन किया जाता है वह ऐसी होती हैं कि अगर बोर्ड की हालत दोबारा एलेक्शन कराने पर भी दुरुस्त नहीं हो सकती है तो ऐसी हालत में ही सुपरसेशन होता है । इसके लिये यह आवश्यक होता है कि किसी एडमिनिस्ट्रेटर को उसका इन्तजाम करने के लिये नियुक्त किया जाय । अगर परिस्थिति ऐसी है कि ६ महीने में दुरुस्ती नहीं हो सकती है तो उसका समय ज्यादा होना चाहिये । यह गवर्नमेंट को अधिकार होना चाहिये कि जिस प्रकार की परिस्थिति हो उसी के अनुसार सुपरसेशन करे । मैं यह समझता हूं कि किसी बोर्ड की भी हालत ६ महीने के अन्दर दुरुस्त नहीं हो सकती है और न परिस्थिति ठीक हो सकती है । इसलिये यह आवश्यक है कि सरकार को यह अधिकार रहना चाहिये कि जितना समय वह आवश्यक समझें उतने समय के लिये बोर्ड को सुपरसीड करे। अगर ६ महीने के अन्दर ही किसी बोर्ड की हालत दुरुस्त हो जाय तो फिर सुपरसेशन की भी जरूरत नहीं है तब तो डिजाल्व करने से ही काम चल जायगा। जब यह समझा जाता है कि दोबारा एलेक्शन होने पर हालत ठीक हो जायगी तो डिजाल्व किया जाता है । अगर किसी म्युनिसिपल बोर्ड के अन्दर यह समझा जाता है कि वहां की परिस्थिति दोबारा एलेक्शन होने पर भी ठीक नहीं होगी तो वहां पर सुपरसीड करना आवश्यक है और वहां पर सुपरसीड किया जाता है । इसके लिये कोई समय निश्चत करना मुनासिब नहीं है । इसलिये मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय रामनारायण जी ने सदन के सामने रखा है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । हमारे माननीय मंत्री जी ने कुछ हवाला ऐसी म्युनिसिपैलिटी का दिया जहां के एडमिनिस्ट्रेटरों के बारे में हम लोगों की इत्तफाक़ है । लेकिन उनका नाम नहीं लिया जहां की हालत ठीक नहीं है । मंसूरी के म्युनिसिपल बोर्ड को सुपरसीड किये हुये इतने दिन हुये और वह आज तक सुपरसीड है, बहुत जनता की मांग रही, वहां के लोगों ने प्रस्ताव पास किये और कहा लेकिन मंत्री जी का ध्यान उस ओर नहीं गया और उस पर मंत्री जी कहते हैं कि प्रजातंत्र की बातें सुनते-सुनते उनको अजीर्ण हो गया है , लेकिन उसकी भी दवा हमारे पास है और उसके लिये परगेटिव की आवश्यकता पड़ती है और हमें जरूरत होती है तो उस को देते भी हैं।

एक आवाज---अजीर्णता तो श्री राजनारायण जी को होती है ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—जी नहीं अजीर्णता राज नारायण जी को नहीं आयी है वह तो माननीय मंत्री जी को आयी है ।

श्री राजनारायण (ज़िला बनारस)—उपाध्यक्ष महोदय, यह तरीक़ा बन्द किया जाय, इस तरह से भाषण के दौरान में आपस की बात-चीत नहीं होना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष—मैं भी चाहता हूं कि यहां जो कुछ कहा जाय वह चेयर को एड्रेस कर के कहा जाय । इस तरह से आपस में बातचीत न होनी चाहिये ।

श्री मोहनलाल गौतम—श्रीमन्, इस तरह से मुझको संबोधन करके भाषण में न कहा जाय ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—श्रीमन्, श्री राजनारायण और मंत्री जी में अजीर्ण के बारे में कुछ समझौता हो जाय तो अच्छा है ।

श्री उपाध्यक्ष—इस शब्द का इस तरह से अधिक प्रयोग अच्छा नहीं मालूम होता ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—मेरे ख़याल में जो कोई भी म्युनिसपल बोर्ड सुपरसीड किया जाय उस की मियाद किसी हालत में भी ६ माह से अधिकन होनी चाहिये क्योंकि यहां तो फिर वही प्रजातंत्र की बातें कही जाती हैं और कहा जाता है कि हम जनता के छंटे हुये हैं। तो म्युनिसिपल बोर्ड की जनता ने भी तो मेंबरों को छांटा था। अगर कुछ लोगों ने ग़लती की उनकी वजह से उन लोगों को भी सजा दी जाय कि जिन्होंने कुछ भी ग़लती नहीं की, और उनको भी सुपरसेशन भुगतना पड़े । इसलिये अगर बोर्ड को सुपरसीड किया जाय तो ६ महीने के अन्दर उसका इलाज हो जाना चाहिये । इसी वक्त के अन्दर या तो नया चुनाव बोर्ड का कराया जाय या वहां हमेशा के लिये डेमोक्रेसी की बात ही ख़त्म कर दी जाय क्योंकि अगर इस प्रकार की रोकथाम न होगी तो जो हालत मंसूरी की हुई वही सब जगह की होगी । हो सकता है कि थोड़े बहुत दिनों में हालत ठीक हो जाय लेकिन जहां प्रजातंत्र की बातें की जाती हैं वहां पर किसी भी म्युनिसिपैलिटी को ६ महीने से ज्यादा सुपरसीड रखना मैं समझता हूं कि यह प्रजातंत्र के उसूल के खिलाफ़ होगा । इसके अलावा जो कुछ बातें माननीय रामनारायण त्रिपाठी और श्री नारायणदत्त तिवारी ने कही हैं वह बहुत काफ़ी हैं और मुझे आशा है कि मंत्री जी इस संशोधन को स्वीकार करेंगे ।

श्री राजनारायण—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री रामनारायण जी का यह संशोधन कि "provided that the maximum period of the supersession will not bc more then six months." रखा जाय, उसका समर्थन करता हूं । यहां पर सुपरसेशन और डिस्सालुशन के संबंध में जो चर्चा चली उससे मैं देखता हूं कि यहां काफ़ी भ्रम है, इसलिये आप की इजाजत से मैं कुछ बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं और आशा है कि मेरी सफाई माननीय मंत्री जी के लिये इस संशोधन को स्वीकार कर लेने में सहायक होगी । मैं दो कहावतें आप के सामने कहता हूं और जो हमारे यहां बहुत प्रचलित हैं और उनको मैं इस सदन में बतला भी चुका हूं वह यह है (एक तो यह कि "रसरी आवत जात ते सिल पर होत निसान" और दूसरी है कि "पाहन पलित, बान नहीं भेदत रीतो करत निषंग ।" यह महाकवि सूरदास जी की दोहावली में से है, मतलब एक का यह है कि अगर हम प्रयत्न करें तो पत्थर जो इतना कठोर है उस पर भी निशान हो सकता है लेकिन माननीय मंत्री जी पर हमारा इतना कहने पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है । चेतनावस्था के लोग यहां पर विद्यमान हैं। हमें यह देखना चाहिये कि सुपरसेशन परिस्थिति की कब पैदा होती है । कोई भी व्यक्ति डिसोल्यूशन से सुपरसेशन को क्यों ज्यादा पसन्द करता है ? इसमें जनतांत्रिक प्रणाली की बुनियादी बातें समावेश हैं। मैं नहीं कहता कि कौन व्यक्ति जनतांत्रिक है और कौन नहीं है । मैं चाहता हूं कि हमारे सम्मानित सदस्यगण इस नतीजे

को निकालें कि जनतंत्र है क्या । जनतंत्र के मानी होते हैं जनता का अधिपत्य। इसके मानी यह नहीं है कि जनता जिन्हें चुन कर भेजे वे ऐसे कानून बनावें कि जनता के अधिकार उसके हाथ से छिन कर उसके हाथ में आ जावें। मैं एक प्रश्न माननीय मंत्री जी की ख़िदमत में रखना चाहता हूं और वह यह है कि यदि कोई म्युनिसिपल बोर्ड ग़लत काम करता है तो उसमें जनता का क्या दोष है । यह ठीक है कि जिन्हें जनता ने चुन कर भेजा वे अच्छे नहीं निकले और सुचारुरूप से बोर्ड का कार्य नहीं चला सके । तो उचित तो यह है कि जनता के हाथ में यह अधिकार जाना चाहिये कि वह उन्हें वापस ले ले । मगर जब सरकार ससपैंशन का अधिकार लेलेगी तो जनता का अधिकार छिन जाता है । वह सरकार के हाथ में आ जाता है । इसके बाद यदि सरकार कहे कि वह जनतंत्र के क़दम पर चल रही है तो मेरी बुद्धि इसे समझ सकने में असमर्थ है । अभी मेरे एक मित्र ने कहा कि यदि ६ महीने की अवधि निर्धारित कर दी तो सुपरसेशन और डिसोल्यूशन में भेद ही क्या रह जायगा । यह श्री रामनारायण त्रिपाठी ने पहले ही साफ कर दिया था कि वह नहीं चाहते कि एक मिनट के लिये भी कोई बोर्ड सुपरसीड किया जाय। मगर जब वह चीज़ सदन को अमान्य है तो यह ज़रूरत आयी कि हम अधिक से अधिक अधिकार किस को दें और कहां तक दें। उसके लिये एक बीच का रास्ता निकाला गया कि अगर कहीं सुपरसीड करना पड़े और सरकार करे तो मगर उसके साथ साथ वहां चुनाव कराने के लिये भी क़दम उठावे। क्या माननीय सदस्य यह बतलावेंगे कि टांडा की म्युनिसिपैलिटी जो ४ साल से सुपरसीड है वहां चुनाव अब तक क्यों नहीं कराये गये । क्या वहां कोई अकाल या बीमारी है ? वहां पर सन् ५० में एक बड़ी ज़बरदस्त मीटिंग हुई थी। मैं भी वहां गया था और करीब १२ बजे रात तक जम कर के जनता इस प्रस्ताव को पास कर चुकी है कि हम लोग चुनाव पर आने के लिये तैयार हैं। वहां अब तक चुनाव क्यों नहीं हुये ? यहां पर इसी तरह से एक चर्चा हुई। ख़ैर, मैं उस वादविवाद में नहीं जाना चाहता । मैं सिद्धांततः इसका विरोधी हूं कि म्युनिसिपल बोर्ड की जितनी कमेटियां हैं वे सुपरसीड की जावें। क्या सम्मानित सदस्य इसे जनता के अधिकार का छीना जाना नहीं मानते ? यह सवाल गहराई के साथ सोचना चाहिये एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप करना किसी के लिये लाभकारी नहीं होगा । यह भी बात सही नहीं है कि सरकारी पक्ष अगर किसी बात को मान ले तो वह सही ही हो । कुछ मान्यतायें भी होती हैं इसलिये कोई भी व्यक्ति अपने को सब बातों का ठेकेदार नहीं समझ सकता, अगर वह तमाम बातों का अपने को ठेकेदार समझता है तो वह ग़लती करता है, यह उसकी ख़ामी है । अगर वह कहता है कि उसे हर विषय की पूरी जानकारी है तो यह उसकी संकुचित मनोवृत्ति का द्योतक है । जब यह बात निर्विवाद है तो एक व्यक्ति किसी भी प्रकार से तमाम बातों का ठेकेदार नहीं हो सकता । इसी प्रकार सरकार तमाम वस्तुओं की ठेकेदार नहीं हो सकती। इसके लिये कुछ उसूल बने हुये हैं, कुछ मान्यताएं हैं, कुछ परम्परायें हैं। हमें यह देखना होता है कि दूसरे मुल्कों में क्या परम्परायें है और उन्हीं परम्पराओं को संशोधित रूप में लागू करने की कोशिश की जाती है । हमारे मित्र नारायण दत्त जी ने दुनियां के मुल्कों का हवाला देते हुये कहा कि जब डिक्टेटरशिप की भावना नहीं आयी थी और जब आज की भांति जनतंत्रवाद के बारे में भी स्वस्थ, स्पष्ट और स्वच्छ भावना नहीं हुई थी उस समय भी सस्पेंशन का अधिकार सरकार के हाथ में नहीं था लेकिन अब जब कि जनतंत्र के बारे में स्वस्थ, स्पष्ट और स्वच्छ भावना का निर्माण हो चुका है तब उस जनतंत्र के बारे में मतभेद नहीं हो सकता । आज जब कि जनतांत्रिक प्रणाली लागू है उस समय में जब कि जनता के अधिकार समाप्त किये जा रहे हैं उस समय में जनतांत्रिक बातें सुनते-सुनते सरकार को अजीर्ण हो गया है । जिस तरीके से यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है, और जिस प्रकार से हम यहां चुन कर आये हैं, मैं समझता हूं वह इस सदन के लिये अपमानजनक बात है । इससे हमारी भावनाओं को ठेस लगती है । जिस तरीके से हम यहां चुन कर आये हैं, जिस पर हम गर्व करते हैं, जिसके लिये हम गौरव के साथ कहते हैं कि हमने इतनी बड़ी जनतांत्रिक प्रणाली का प्रयोग किया है, प्रयोग किया है जैसा प्रयोग दुनियां के किसी भी भाग में नहीं हुआ है, फिर क्यों यह सदन जनता के अधिकार एक बैकडोर से छीनने जा रहा है ? यह बहुत ही चिन्ता की बात है । इसे 'सेन्ट्रलाइज्ड डैमोक्रेसी' कहते हैं।

[श्री राजनारायण]

मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी खुल कर इस पर बात करें । उनकी क्या मान्यतायें हैं उनके बारे में विचार काफी से काफी समय में खुल कर हमारे सामने रखें । यह कोई छिटपुट वाला संशोधन नहीं है । यह संशोधन मौलिक तत्वों को ले कर रखा गया है । एक तरफ तो हम यह कहते हैं कि हम जनतांत्रिक प्रणाली में विश्वास करते हैं और दूसरी तरफ हम सुपरसीड करने का प्रावीजन रखते हैं। ये दोनों प्ररस्पर विरोधी बातें हैं। कौन्ट्राडिक्टरी टर्म्स हैं। मैं सरकार और माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस रास्ते को अख्तियार न करें । यह सही है कि बहुमत उनके साथ है लेकिन जिस बात को बहुमत मान लेगा वही सत्य तो नहीं हो सकती । माननीय मंत्री जी ने कहा कि केवल ६ महीने के समय से काम नहीं चलेगा । सुपरसीड करने के बाद एक दो बरस उनको देखें, आजमायें और जब परिस्थिति परिपक्व हो तब चुनाव करायें । उनका यह तरीका मेरी समझ में नहीं आया । दुनिया में समय का बड़ा महत्व होता है । अगर आज हम समय का महत्व नहीं समझेंगे तो मैं कहता हूं कि हम अपने कर्तव्य से च्युत होंगे। श्रीमन् टाइम और स्पेस का आज बड़ा महत्व है । वह तो इस युग की देन है, इस युग की चेतनता है । यहां तक देखेंगे श्रीमन् कि एटम में जो एलेक्ट्रोन्स प्रोट्रन्स होता है वह भी टाइम और स्पेस पर ही होता है । यहां पर सम्मानित मंत्री महोदय नहीं हैं नहीं तो मैं उन्हीं की कही हुई बातों को यहां पर बतलाता । श्री सम्पूर्णानन्द जी इनर्जी की भी परिभाषा करते हैं और बतलाते हैं कि वह भी समय पर अपना काम करता है । मैं उन शब्दों को दोहराना नहीं चाहता । तो यह कहना कि ६ महीने, साल भर और डेढ़ वर्ष में कोई भी फ़र्क नहीं है, यह बात मेरी समझ में नहीं आती । इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से आप के जरिये यह पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि ६ महीने और साल भर में बड़ा फ़र्क होता है और अंग्रेजी की कहावत तो यहां तक है कि "देयर इज मेनी ए स्लिप बिट्वीन दी कप ऐंड दी सिप"। यानी प्याले को मुंह तक लाने में बहुत स्लीप्स हो जाते हैं । तो यह कहना कि एक साल दो साल समय लगेगा तो कोई हर्ज नहीं होगा । मैं समझता हूं कि यह बहुत बड़ा हर्ज है और इतना बड़ा हर्ज है कि जनतंत्र की जो मान्यतायें हैं और जिन कारणों के वशीभूत हो कर सरकार उन मान्यताओं को ठुकराना चाहती है वे ही कारण आज आकर के उपस्थित हो जाते हैं।

श्रीमन्, मैं श्री रामनारायण त्रिपाठी के , सुपरसेशन का समय लिमिट करने के संशोधन के समर्थन में खड़ा हुआ हूं और आप के द्वारा मैं पुनः माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं और उनसे अपील करना चाहता हूं कि आखिर हमारी वे आशंकायें क्या निर्मूल हैं कि सरकार किसी काम को करती है तो वह अपनी सत्ताधारी पार्टी को मजबूत करने के लिये बहुत सी जो सत्य मान्यतायें हैं उनको ठोकर मार कर के उनको छोड़ती है । और श्रीमन्, इसके पहले भी मैंने आप की इजाजत से श्री त्रिलोकी सिंह के केस में सम्मानित जज ने जो फैसला दिया है उसकी कुछ लाइनें पढ़ने की कोशिश की थी और उसमें मैंने बतलाया कि सम्मानित जज ने तो यहां तक कहा है इस फैसले में, कि जो काम किया गया है वह पोलिटिकल आब्जेक्टिव को सामने रख कर किया गया है । इस तरह से श्रीमन्, सुपरसेशन के बारे में इस संशोधन के जरिये कहा गया है। मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि जब कि हमारे पास इतने प्रमाण हैं कि सरकार पोलिटिकल आब्जेक्टिव को सामने रख कर क़दम उठाना चाहती है तो फिर सुपरसीड करके अधिकार को अपने हाथ में अगर सरकार लेगी तो क्या उस समय पोलिटिकल आब्जेक्टिव को सामने रख कर संकुचित मनोवृत्ति से काम करने की आशंका नहीं की जा सकती है ? जिस तरीके से सरकार पिछले दिनों से काम कर रही है क्या वह उन तमाम तरीकों को छोड़ देगी ? और अनियन्त्रित और निरंकुश गति से तमाम बोर्ड्स को सुपरसीड नहीं करेगी ?

श्रीमन्, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बार-बार इस सदन में इस मौलिक तत्व का विवेचन करते हो गया मगर पता नहीं क्यों माननीय मंत्री जी की बुद्धि को हम सुधार नहीं पाते

और माननीय मंत्री जी की बुद्धि इन बातों को ग्रहण नहीं कर पाती ? मुझे अफसोस तो होता ही है और फिर सोचता हूं कि क्या बार-बार इन तर्कों को जो मैं प्रस्तुत करता हूं क्या वे निराधार हैं ? फिर यहां से जाने के बाद श्रीमन्, जनतंत्र पर अब तक जितनी प्रमाणित पुस्तिकायें निकली हैं उन सब को छान डालता हूं तो इसी नतीजे पर आता हूं कि जो कुछ मैंने कहा था वह ठीक कहा था।

श्रीमन्, मैं फिर आप के जरिये स्पष्ट करना चाहता हूं कि क्या इस सरकार के लिये हमने पिछले कुछ दिनों में जितने विशेषणों का प्रयोग किया है क्या वे सारे विशेषण मूर्तिमान हो कर इस सदन में प्रस्तुत नहीं हैं ? श्रीमन्, मैं आप के जरिये माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वे सुपरसेशन करने के लिये क्यों लालायित हैं ? क्या सुपरसीड करने की सारी ताक़तें उनके हाथ में नहीं आतीं ? एक तरफ हम खेर कमेटी की रिपोर्ट की चर्चा करते हैं और जब चर्चा करते हैं और उसकी बात कहते हैं तो माननीय मंत्री जी कहते हैं कि वह समय दूसरा था, यह समय दूसरा है, वह अंग्रेजी राज्य था और अब कांग्रेसी राज्य है। इसलिये कांग्रेसी राज्य में हम उन बातों को न कहें जो अंग्रेजी राज्य में हमारी मान्यतायें थीं ।

श्रीमन्, अफसोस है कि यह बातें हम इस कान से इस सदन में बैठकर सुनते हैं।

श्री शिवनारायण—मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय सदस्य अंग्रेजी राज्य के पोषक हैं या इस राज्य के पोषक हैं।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, माननीय मित्र ने बड़ा अच्छा प्रश्न किया और इसकी सफ़ाई कर देना हमारा कर्त्तव्य है। बहुत सही बात हमारे भाई शिवनारायण जी ने कही। मैं यह बताना चाहता हूं कि मैं किसी राज्य का पोषक नहीं हूं और मैं समझता हूं कि वह व्यक्ति और वह पार्टी जो अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिये फांसी की रस्सी का चुम्बन करती है वह व्यक्ति या वह पार्टी किसी सरकार से बंधकर नहीं रह सकती। जहां हमारे उद्देश्यों की पूर्ति होगी और जहां हमारे लक्ष्य की पूर्ति होगी और जिस सौम्य तरीके से होगी हम उसे करेंगे हम किसी सरकार का पोषण नहीं करेंगे । हम अंग्रेजी राज्य के भक्त नहीं थे और न कांग्रेसी राज्य के भक्त हैं। अगर कांग्रेसी राज्य अंग्रेजी राज्य की प्रणालियों को अख्तियार करती है तो वह हमारे लिये उतनी ही गुनहगार है जितना अंग्रेजी राज्य गुनहगार था। और इसीलिये हम स्पष्ट शब्दों में उसको गुनहगार कहना चाहते हैं। हम आदर्शवादी हैं। अपने उद्देश्य की पूर्ति में, अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिये आये हैं और उन उद्देश्यों की पूर्ति करना हमारा परम कर्त्तव्य है। जब कांग्रेस गलत रास्ते से चली तो हमने उसका त्याग किया और आज उसी उद्देश्य की पूर्ति यहां पर भी कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि श्री शिवनारायण जी ने जो सवाल उठाया है वह बड़ा मौलिक सवाल है। श्रीमन् यह निवेदन करना चाहता हूं कि श्रीमान शिवनारायण जी भ्रांति के अन्दर हैं। मैं यह चाहता हूं कि उनकी बुद्धि विभ्रम जन्य भ्रांति हटे, उनका बुद्धि विभ्रम टूटे। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि किसी राज्य के प्रति वफादार मत हो, बल्कि स्टेट के प्रति वफादार हो। श्रीमन्, जनतंत्र के ये पांच तत्व होते हैं, इंडिविजुअल, स्टेट, गवर्नमेंट पार्टी के और सोसाइटी । हमें इन पांचों तत्वों की बारीकियों को समझना है और एक दूसरे से परस्पर क्या सम्बन्ध है इसको समझना है।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि आप श्रीमान् शिवनारायण जी ने जो कुछ पूछा था उसका काफी उत्तर दे चुके ।

श्री शिवनारायण—उपाध्यक्ष महोदय, मैंने तो एक प्रश्न जानकारी के लिये पूछा था लेकिन श्रीमन्, वे तो डाइरेक्ट अटैक करते हैं। हम भी उसी तरह से इस सदन के माननीय मेम्बर हैं जैसे माननीय राजनारायण जी आनरेबिल मेम्बर हैं।

उपाध्यक्ष---मैं समझता हूं कि माननीय राजनारायण जी अपना भाषण जारी रखें। यह अटैक नहीं है।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, जब मैं यहां पर यह बात कह रहा था तो श्रीमन् मुझे श्रद्धेय डाक्टर भगवानदास जी की एक कहानी याद आ गई। डाक्टर भगवानदास जी, मैं उनके लिये कहता हूं, हमारे देश के आज सबसे बड़े दार्शनिक हैं और उनकी विद्वत्ता की, उनकी प्रतिभा की हमारे देश में आज कौन है जो पूजा नहीं करता ? श्रीमन्, काशी विद्यापीठ के सालाना जलसे में वह गये थे और वहां महात्मा गांधी से विचार विनमय का उन्होंने जिक्र किया। उसमें उन्होंने कहा था कि गांधी जी से हमारा यह मतभेद था। गांधी जी कहते थे कि हम रामराज्य चाहते हैं।

उपाध्यक्ष---माननीय सदस्य से मैं जानना चाहता हूं कि संशोधन से इसका क्या संबंध है ?

श्री राजनारायण---श्रीमन्, मैं उसी सस्पेंशन वाले क्लाज पर आ रहा हूं। डाक्टर भगवानदास जी ने कहा था कि रामराज्य की जो बातें करते हैं उनसे पूछना चाहिये कि क्या राम पैदा हो गये ? तो श्रीमन् मैं इस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि डाक्टर भगवानदास जी ने कहा था कि पहले राम पैदा होगा और रामराज्य तब अपने आप हो जायगा और अगर राम पैदा नहीं होंगे तो रामराज्य नहीं हो सकता और उन्होंने कहा था कि राम का राज्य तो नहीं लेकिन राम की सेना का राज्य कायम है। तो यह बात मैं डाक्टर भगवानदास जी को सुना देना चाहता था।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)---अगर राम की सेना का राज्य है तो रावण कौन है ?

श्री राजनारायण---श्रीमन्, अगर राम पैदा होंगे तो रावण भी हो जायेगा। श्रीमन्, मैं तो चाहता हूं कि सदन में शांति से लोग सुनें लेकिन सम्मानित सदस्य शांति नहीं रखना चाहते।

तो श्रीमन्, मैं कह रहा था कि आज जिस तरह की परिस्थिति है, आज जिस तरह का वातावरण है उसमें मैं पुनः आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें हम को उदारता के साथ सौहार्द्य के साथ विरोधियों की बातों को सुन कर मनन करके, ग्रहण करने उनका उत्तर देने के लिये हम तैयार हों और अगर सही बातें हों तो ग्रहण करने के लिये तैयार हों। इसलिये सस्पेंशन के सवाल को जो छः महीने में बांधने का संशोधन माननीय रामनारायण त्रिपाठी जी ने रखा है मैं जोरदार शब्दों में उस संशोधन का समर्थन करता हूं। और आपसे पुनः अपील करता हूं कि माननीय मंत्री जी जितनी शंकायें प्रस्तुत हैं उन शंकाओं का समाधान करेंगे। और मैं आपसे, श्रीमन्, यह भी अपील करना चाहता हूं कि इस सदन की मर्यादा यह है कि शांति के साथ हम एक दूसरे की बात सुनें और अगर किसी एक वक्ता के बोलते समय बीच में वितंडावाद पैदा करते हैं तो वह जनतान्त्रिक मर्यादा के विरुद्ध है। इस सदन की मर्यादा के विरुद्ध है। यह सही है कि ट्रेजरी बेंच का बहुत बड़ा बहुमत है। लेकिन अगर शोर गुल मचायेंगे तो शोर गुल मचाने के लिये तो दो आदमी भी काफ़ी होते हैं। इसलिये अगर ऐसी परिपाटी खड़ी की गयी तो मैं आपके जरिये सदन को सचेत कर देना चाहता हूं कि आगे इस सदन में शांति के साथ कोई कार्यवाही न चल सकेगी जिसका मुझे घोर क्षोभ होगा। इसलिये मैं आपके जरिये पुनः अपील करना चाहता हूं कि हम माननीय मंत्री जी से सफाई चाहते हैं कि सरकार की क्या नीति है? सरकार किस तरह की जनतन्त्र प्रणाली को अख्तियार करती है ? अगर सरकार सस्पेंशन को नियंत्रित करने का जो संशोधन है इसको न मानेगी तो क्या इस का कदम जनतान्त्रिक होगा या गैरजनतान्त्रिक होगा। इन तमाम बातों की सफाई

हम माननीय मंत्री जी से चाहते हैं। हम चाहते हैं कि माननीय मंत्री जी जो सफाई करें वह हम ध्यान से सुनें और अगर उनकी बात विवाद करने के पश्चात् समझ में आ जाय तो हम अपने संशोधन को वापस भी लेने को तैयार हैं। हमारी कोई हठवादिता नहीं है। एक बात और मैं आपके जरिये अपील करना चाहता हूं। हठवादिता और जनतन्त्र में परस्पर विरोध है। जहां हठवादिता होगी वहां जनतन्त्र कोसों दूर भाग जाता है। जनतंत्र में लोग उदार हों, व्यापक हो और वसुधा का कौटुम्बिक रूप हो। अगर यह बात उनके दिमाग में बैठ जायगी तो जो भी काम आज बहुमत के गर्व में आ कर करना चाहते हैं वह नहीं करेंगे।

श्रीमन्, आपसे एक बात की और अपील करना चाहता हूं। जब महात्मा गांधी ने जनतान्त्रिक पद्धति का विवेचन किया है तो सुपरसेशन के बारे में उन के कुछ मंतव्य जो हैं वे मैं आपको खिदमत में रखना चाहता हूं। गांधी जी ने कहा था की वह ऐसी व्यवस्था चाहते हैं कि जिसमें सरकार विहीन समाज हो और उस के पूर्व समय जो मार्क्स ने कहा था, वह यह था कि स्टेटलेस सोसाइटी हो: स्टेटलेस सोसाइटी के मानी तो विदरिंग आफ दि स्टेट होगा और विदरिंग आफ दि स्टेट के मानी विदरिंग आफ दि डेमोक्रेसी। ये भी तार्किक विवेचन किये गये हैं। इसलिये इन विवेचनों को सामने रखना चाहता हूं ।

श्री अतहर हुसैन ख्वाजा (जिला सहारनपुर)—मैं आपके जरिये आनरेबिल मेम्बर को बता देना चाहता हूं कि म्युनिसिपल गवर्नमेंट और स्टेट में कुछ फर्क है।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं आपकी इजाजत से जो संकेत हमारे मित्र ने उपस्थित किया है उसका समाधान करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रस्तुत विषय के लिये संकेत का समाधान करना आवश्यक नहीं है।

श्री राजनारायण—तब मैं आपके जरिये निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी से कि वह क्यों यह छः महीने की कैद न रखने के पक्ष में हैं इसकी सफाई वह हम को दें। अगर माननीय मंत्री जी छः महीने की कैद न रखेंगे तो उन का वह कदम जनतंत्र पर खरा उतरेगा या लैट्रलाइज्ड मनोवृत्ति पर खरा उतरेगा इसकी भी सफाई माननीय मंत्री जी से चाहता हूं। हमारी पुरानी शंकायें हैं जिन शंकाओं के समर्थन में हमने कई जजों के फैसले दिये; हमने पब्लिक सरविस कमीशन की रिपोर्ट दी और कुछ बोर्डों की हमने चर्चा की। एक बोर्ड का श्रीमन् हमने चर्चा किया टांडा जो ४ वर्ष से सुपरसीड है मैं वहां की परिस्थिति के बारे में जानकार हूं और हमारे माननीय सदस्य भी वहां पास से आते हैं, एम०एल०ए० हैं, और वहां जाया भी करते है । वहां के बहुत से लोग विरोधी पार्टी के कमरे में बैठे भी हुये हैं। ऐसी बातें जो हमारे सामने प्रत्यक्षदर्शी के रूप में आकर खड़ी हो जाती हैं तो हमारी शंकायें बढ़ जाती हैं। माननीय मंत्री जी ठंढे चित्त से गौर करें, आवेश में न करें। । अगर वह आवेश में होंगे तो गौर नहीं कर पायेंगे। यदि हठवादिता पर सरकार चली जायगी तो जनतंत्र का रास्ता छोड़ेगी और वह बिल्कुल डिक्टेटोरियल पावर अख्तियार करने की बात करेगी। माननीय मंत्री जी ने जो बोर्ड के ऐक्ट में व्यापक संशोधन लाने की बात कही है मैं उसकी ओर संकेत करना चाहता हूं कि बोर्ड एक कैरीकेचर आफ ए स्टेट है। ऐसे रिकमेंडेशन हमारे पास मौजूद हैं। पुराने समय में सरकार का यह कहना था कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड म्युनिसिपल बोर्ड, टाउन एरियाज और नोटीफाइड एरियाज इन सब पर सरकार बड़ी

[श्री राजनारायण]

कृपा करती है और सरकार की उदारता और अनुकम्पा विशेष से ही उनका संगठन होता है। वह मनोवृत्ति सरकार इस समय छोड़े । यह उदारता की बात नहीं है, यह कृपा की बात नहीं है, अनुकम्पा विशेष की बात नहीं है, यह मौलिक अधिकारों की बात है कि आम जनता के हाथ में शक्ति जानी चाहिये। जहां तक आम जनता के हाथ में शक्ति ले जाने की ओर यह कदम है या आम जनता के हाथ से शक्ति को सेंट्रलाइज करने का कदम है या नहीं इन अपनी पुरानी शंकाओं की ओर संकेत करते हुये श्रीमन्, मैं मंत्री महोदय से पुनः अपील करूंगा कि अगर हमारी बात में हठवादिता हो तो वह भी हमें स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे और अगर तर्क है तो अपोजीशन केवल अपोजीशन के लिये नहीं होना चाहिये। मैं ज्यादा वाद-विवाद करना पसन्द नहीं करता। मैं चाहता हूं कि वस्तुस्थिति को देखते हुये तार्किक को वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना चाहिये। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चाहे जितने भी वजन से हम अपनी बात रखें मगर सरकार फिजूल की बातें इधर उधर की रख कर यह कहे कि केवल अपोजीशन के ख्याल से यह संशोधन रख दिया गया है ऐसी बात कह देना अशोभनीय है इससे काम नहीं बनेगा। माननीय मंत्री जी गौर करेंगे यही अंतिम निवेदन है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संशोधन पर जो मौलिक उसूलों से संबंधित था इस सदन में काफी वाद विवाद हुआ और मैं उन माननीय सदस्यों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने इस संशोधन को समझने और अपनी राय जाहिर करने की कोशिश की। इसमें काफी लम्बी बहसें भी हो चुकी हैं। मैं माननीय सदस्यों से सिर्फ दो सवाल करता हूं और उनके हल में चाहता हूं कि मंत्री जी स्पस्थित करेंगे। पहला सवाल, एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि सुपरसेशन के मानी ही क्या हुये अगर ६ ही महीने के लिये किया जाय? मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य के मुंह से यह जल्दी में निकल गया। इसके मानी यह हुये कि सरकार सुपरसेशन इसलिये करती है कि लम्बे अरसे तक सरकारी कर्मचारियों के हाथ में बोर्ड दे दिया जाय : इसलिये नहीं होता बल्कि इसलिये होता है कि व्यवस्था में कुछ गड़बड़ी पाकर सरकार मौजूदा कानूनों के अनुसार यह उचित समझती है कि मौजूदा लोग जो कुर्सी पर हैं उनके रहते हुये गड़बड़ी पैदा हो सकती है। अब सवाल यह है कि एक मर्तबा सुपरसेशन हो गया तो क्या चार छः साल तक चलना चाहिये? यह मैं समझता हूं कि सरकार का मंशा नहीं है। ६ महीने का वक्त मैंने इसलिये रखा कि फौरन ही व्यवस्था हो और ६ महीने में दुबारा चुनाव हो सकता है और जो वैकुअम क्रियेट होता है नये चुनाव के पहले और सुपरसेशन के बाद, उसके लिये ६ महीने का वक्त काफी है।

उपाध्यक्ष महोदय, अगर हम यह मान लेते हैं कि सुपरसेशन करने के बाद एक आदमी जिसको कि सरकारी तरीके पर हमने ऐडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर दिया वही उचित है तो इसके मानी हैं कि हम अप्रत्यक्ष रूप से म्युनिसिपल बोर्ड की समस्त जनता के ऊपर अनुदारता और अविश्वास का भाव प्रगट करते हैं। हम यह कहते हैं कि साढ़े तीन साल का वक्त बाकी है। अगर उसको ज्यादा रिलाई करेंगे तो इसके मानी यह हैं कि १०,१२,१५, या २० आदमी जो कि चेयरमैन और मेम्बरों की शक्ल में मौजूद हैं उनके अलावा जनता में कोई इस काबिल है ही नहीं जो कि इस मसले को हल कर सके और बोर्ड को सुव्यवस्थित कर सके रीएलेक्शंस के बाद आकर। हमको इसका विरोध नहीं है लेकिन यह एक मौलिक प्रश्न है। हम सब विधान सभा के मेम्बर हैं और कानून बनाने के लिये बैठे हुये हैं। यह दो प्रश्न ऐसे मौलिक हैं कि ऐसे मेम्बर्स को इंवाल्व करते हैं। इन प्रश्नों पर आशा है स्वायत्त शासन मंत्री प्रकाश डालेंगे और मैं समझता हूं कि इतना ही इस समय काफी है।

श्री मोहनलाल गौतम—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बात बड़े जोरों से मुझसे पूछी गई कि क्या यूरप में भी कहीं सुपरसेशन का अधिकार है? तो जल्दी में जो कुछ मुझे

याद था थोड़ा बहुत देख पाया। वह यह है कि इंग्लैंड में भी सुपरसेशन का अधिकार है और फ्रांस में भी अधिकार है। फ्रांस में जो अधिकार है सुपरसेशन का वह प्रिफ़ेक्ट को है जो कि मिनिस्ट्री आफ इंटीरियर का एक आफिसर होता है। यह नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट का या गवर्नमेंट सेट अप का कोई अधिकारी हो बल्कि यह अधिकार प्रिफेक्ट को है जिसकी हैसियत करीब-करीब हमारे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की होती है। इसलिये इस तरह की मिसालें दूसरे मुल्क में हैं और यदि यह ठीक है तो वह अधिकार रहना चाहिये और रहेगा। तो ६ महीने काफ़ी नहीं हैं। बाकी जो दलीलें थी उनका जवाब देकर मैं सदन का समय नष्ट नहीं करना चाहता।

श्री नारायण दत्त तिवारी—मैं एक सवाल करना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि फ्रांस में जो म्युनिसिपल बरो होता है और जो उनका एक ऐडमिनिस्ट्रेशन होता है वह गवर्नमेंट ऐडमिनिस्ट्रेशन का ही हिस्सा होता है और गवर्नमेंट की तरफ से वह मशीनरी उन्हीं के हाथ में होती है या डिप्टी कमिश्नर की सी हैसियत उनकी होती है।

श्री मोहन लाल गौतम—यह कहना कठिन है कि प्रिफ़ेक्ट के अन्दर लोकल बाडीज होती हैं या लोकल बाडीज के अन्दर प्रिफेक्ट होता है। इस बहस में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर माननीय मेम्बर जानना चाहते हैं तो वह घर पर आ सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १२ में प्रस्तावित धारा 13 के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय—

"Provided that the maximum period of the supersession will not be more than six months."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १२ इस विधेयक का अंश माना जाय।

(प्रश्न उपस्थत किया गया तथा स्वीकृत हुआ।)

खंड १३

१३—मूल अधिनियम की वर्तमान धारा ३१—ए के स्थान पर निम्नलिखित रक्खा जाय—

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा ३१-ए का संशोधन।

"31-A. When a board is dissolved under section 30, the following consequences shall follow— Consequences of dissolution of board.

(*a*) all members of the board—

(i) but not the President, or

(ii) where the State Government so directs, the President also shall on a date to be specified in the order-vacate their respective offices but without prejudice to their elegibility for re-election or renomination; and

(*b*) the election or nomination of the members or the President, as may be necessary, shall be held or made, as the case may be,

(i) in a case referred to in sub-clause (i) of clause (*a*) above as though there had been casual vacancies, and

(ii) in a case referred to in sub-clause (ii) of clause (*a*) above as though the term of the board fixed under section 10-A had expired."

श्री बाबू लाल मीतल (जिला आगरा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि खंड १३ में प्रस्तावित नयी धारा 31-A की उपधारा (b) की पंक्ति २ में शब्द "president" और "as may be necessary" के बीच में शब्द "or both" बढ़ा दिये जायं।

महोदय, चुनाव किस-किस परिस्थिति में होंगे यह ३१—ए धारा में बताया गया है। आपकी आज्ञा से मैं इसे पढ़कर स्पष्ट कर देना चाहता हूं।

"31-A. When a board is dissolved under section 30 the following consequences shall follow—

(*a*) all members of the board—

(i) but not the President, or

(ii) where the State Government so directs, the President also,

shall on a date to be specified in the order vacate their respective offices but without prejudice to their elegibility for re-election or renomination; and (*b*) the election or nominatinon of the members or the President, as may be necessary, shall be held or made, as the case may be,.....

इससे स्पष्ट है कि एक परिस्थिति ऐसी आ सकती है कि जब चुनाव प्रेसीडेंट और मेम्बर दोनों का हो। लेकिन जहां (बी) क्लाज शुरू हुआ है उसमें लिखा हुआ है—

"the election or nomination of the members or the President, as may be necessary, shall be held or made, as the case may be,"

जैसा कि इसमें स्पष्ट है कि चुनाव या नामजदगी मेम्बर्स की ही हो सकती है या प्रेसीडेंट की हो सकती है, लेकिन जिस वक्त मेम्बर्स और प्रेसीडेंट दोनों का चुनाव होना हो तो वह चीज इसमें स्पष्ट नहीं है। इसलिये मेरा निवेदन है कि जिस स्थान पर मैंने कहा है उस स्थान पर यदि शब्द "or both" रख दिये जायंगे तो इसकी भाषा बिलकुल स्पष्ट हो जायगी और कोई इसमें घपले की बात नहीं रहेगी। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी को इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। हर हालत में "or both" बढ़ा देने से भाषा बिगड़ती नहीं है, कुछ न कुछ सुधर जाती है। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव को पेश करता हूं।

श्री मोहन लाल गौतम—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस पर मैंने काफ़ी विचार किया और मेरे ख्याल में जो भाषा इस समय है उससे वही मतलब निकलता है जो इस अमेंडमेंट का है और मुझे आशा है कि इस अमेंडमेंट को प्रेस नहीं किया जायगा।

श्री बाबूलाल मीतल—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं केवल यह बता देना चाहता हूं कि जो पहले ३१ (ए) थी ऐक्ट नं० ७ सन् १९४९ की २५ धारा के अनुसार उसमें साफ-साफ यह था कि प्रेसीडेंट और मेम्बर्स का चुनाव हो सकता है। उसमें तीन क्लाजेज थे और (सी) क्लाज में साफ लिखा है कि :

"All members shall be elected, nominated or co-opted.....

.....where the President has also Vacated his

office .....'in which case election, nomination or co-option shall be held or made of the members and the President..... उसमें यह चीज साफ थी कि जहाँमेम्बर्स और प्रेसीडेंट दोनों के लिये था । ऐक्ट २ सन १९१९ के अनुसार संशोधन किया गया था । वहां शब्द "and" है, "or" नहीं है । जहां तक शब्द"or both"का संबंध है, इससे पहले उसमें क्लाज ३१–A (b) मेंयह स्पष्ट दिया हुआ था कि एलेक्शन्स शैल बी हेल्ड आर नामिनेशन्स मेड आर बोथ । उसमें भाषा इतनी साफ थी कि एलेक्शन्स और नामिनेशन के बाद भी "आर बोथ" शब्द रखे थे । केवल इतना मुझे निवेदन करना है । यदि माननीय मंत्री जी फिर भी समझते हैं कि अबकी भाषा स्पष्ट है तो कोई बात नहीं है ।

श्री मोहन लाल गौतम—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो मुझे निवेदन करना था वह मैंने निवेदन कर दिया । मुझे उम्मीद है कि माननीय सदस्य इसे शायद विथड्रा कर लेंगे ।

श्री बाबू लाल मीतल— मैं विथड्रा करता हूं ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया ।)

श्री रामनारायण त्रिपाठी—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं कि खंड१३ में प्रस्तावित धारा 31-A के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध बढ़ा दिया जाय—

"Provided that fresh elections will be held within six months."

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि इसकी बाबत सदन फैसला कर चुका है ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—यह वैसा नहीं है । मैं आप की भावनाओं की क़द्र करते हुये दो मिनट में खत्म करता हूं । उपाध्यक्ष महोदय, इस संशोधन की शब्दावली दूसरी है लेकिन करीब-करीब उसी क़िस्म की है । उसमें यह कहा गया था कि सुपरसेशन छः महीने से ज्यादा नहीं हो सकता । इसमें यह कहा गया है कि छः महीने के अन्दर दूसरा चुनाव हो जायगा । उपाध्यक्ष महोदय, इस संबंध में काफी विवाद हो चुका है । मैं कोई बात फिर से नहीं दोहराऊंगा लेकिन जो बात मैं इस संशोधन के संबंध में कहना चाहता हूं उससे सरकार को लाभ ही होगा । जब डिसोल्यूशन आफ बोर्ड्स का प्रश्न आता है तो माननीय स्वशासन मंत्री या सरकार को वहां के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या एस० डी० एम्स० की बातों पर भरोसा कर के बहुत जल्द कार्यवाही कर देना पड़ती है और उसका नतीजा यह होता है कि कभी-कभी ग़लत तरीक़े से बहुत जल्दी-जल्दी में सरकार को और माननीय स्वशासन मंत्री की इच्छा न होते हुये भी कुछ इस तरह के नीचे से फैक्ट्स पेश किये जाते हैं कि जिनकी वजह से डिसोल्यूशन या सुपरसेशन हो जाता है । मिसाल के लिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि माननीय स्वशासन मंत्री इसको ग़ौर से सुनें और इस पर कार्यवाही करें । जलालपुर टाउन एरिया फैज़ाबाद जिले में है, टांडा की बात तो आप सुन चुके हैं । जलालपुर में टाउन एरिया कमेटी काम कर रही है थी और उस कमेटी ने एक टैक्स की रिपोर्ट तैयार किया और टैक्स की फेहरिस्त टांगी । उसके बाद प्रोसेस यह होता है कि फिर वह लोगों की उज्रदारियां सुनती है । उज्रदारी सुनने का मौका नहीं आया , इसी बीच में वहां नायब तहसीलदार गये और उन्होंने लोगों की उज्रदारियां सुनना शुरू कर दीं । उपाध्यक्ष महोदय, प्रोसेस यह होता है कि कमेटी एक मर्तबा टैक्स असेस करे फिर उसके बाद खुद उज्रदारी सुने और उसकी फाइनल लिस्ट टंग जाय तब एस० डी० एम० या टाउन मैजिस्ट्रेट को अधिकार होना चाहिये कि वह जा कर उसमें हस्तक्षेप करे । उज्रदारियों के फलस्वरूप उस टैक्स को कम करे या ज्यादा करे । लेकिन इसमें ऐसा नहीं हुआ कि टाउन एरिया कमेटी उज्रदारी सुनकर अपनी फाइनल लिस्ट टांगती और टाउन मैजिस्ट्रेट के पास उज्रदारी होती, इसके

[श्री राम नारायण त्रिपाठी]

पहले नायब तहसीलदार वहां मौके पर पहुंच जाते हैं और वहां से एक इस बात का टेलीग्राम टाउन एरिया कमेटी द्वारा , प्रान्तीय सरकार के और वहां के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास भेजा जाता है कि यह अवैधानिक कार्यवाही हो रही है । जब तक हम उजरदारी सुनकर फाइनल लिस्ट न टांगें तब तक नायब तहसीलदार को यह करने का अधिकार नहीं है । अध्यक्ष महोदय, प्रान्तीय सरकार की तरफ से या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं होती है और वह अनियमित कार्यवाही जारी रहती है । उसके बाद १६ सितम्बर को "एन ब्लाक" तमाम मेम्बर्स इस्तीफा दे देते हैं । इस्तीफ़ा देने के बाद बोर्ड खाली हो गया । उसके बाद सरकार यहां से एक आदेश निकालती है कि २३ तारीख से बार बार हिदायतें देने पर भी और आपत्तियां करने पर भी वहां की टाउन एरिया कमेटी ने अपने टैक्स संबंधी मामलों में सरकार की बातों पर नहीं माना इसलिये वह टाउन एरिया २३ सितम्बर से सुपरसीड कर लिया जाता है ।

प्रश्न यह उठता है, अध्यक्ष महोदय, १६ सितम्बर को जब मेम्बरों ने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद बोर्ड खाली हो गया तो फिर सुपरसेशन का सवाल २३ सितम्बर से क्यों उठाया जाता है। मैं चेलेन्ज करता हूं कि माननीय स्वशासन मंत्री मौके पर चलें या किसी उच्च अधिकारी को यहां से भेजें तो उनको मालूम होगा कि मैंने जो कुछ कहा है वह लफ्ज बलफ्ज ठीक है और अवैधानिकता वहां के सरकारी कर्मचारियों की तरफ से हुई है । माननीय स्वाशन मंत्री की मोहर उस पर लग गयी और दस्तखत उनके हो गये तो इसमें माननीय मंत्री जी का दोष नहीं है क्योंकि सूबे में २६७ टाउन एरिया हैं, ३७ नोटीफाइड एरिया हैं और म्युनिसिपल बोर्ड की तादाद भी १०० के ऊपर ही है और हर एक के मामलों की तफसील में वह जा नहीं सकते । मेरा जो संशोधन है ६ महीने के अन्दर रीएलेक्शन का, तो उसके माने यह हैं कि रेड टैपिज्म की वजह से या ब्यूरियोक्रैसी की वजह से जो हमारी सरकार के रास्ते में रोड़े अटकाती हैं उसकी वजह से अगर सरकार से कोई ग़लती हो गयी तो सरकार को भी एक मौका मिल जाता है कि ६ महीने के अन्दर रिएलेक्शन कराये और उसके बाद वह चुनाव हो जाता है । फिर वहां की जनता जाने, उनके चुने हुये प्रतिनिधि जानें, सरकार की सारी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है । उपाध्यक्ष महोदय, यह कहा जा सकता है और सरकार की तरफ से कभी कभी यह प्रस्ताव उठाया गया है कि पंचायतों के जो लोग हैं वह सब ठीक काम नहीं करते हैं, गड़बड़ी करते हैं और म्युनिसिपैलिटियों के चुने हुये लोग गड़बड़ी नहीं करते हैं । अध्यक्ष महोदय, इस तरह के लांछन जनता तो सरकार पर रोज लगाती है और विरोधी दल की तरफ से इस तरह के लांछन लगाना तो आये दिन का काम है । तो जब सरकार ग़लतियां कर सकती तो इसके माने नहीं हैं कि जनता के चुने हुये टाउन एरिया, नोटिफाइड एरिया तथा नगरपालिकाओं के चुने हुये प्रतिनिधियों के हाथ से यह अधिकार छीन लिया जाय । उपाध्यक्ष महोदय, हर आदमी जो तैरना सीखना चाहता है उसको पानी में उतरना जरूरी है । अगर हम उम्मीद करें कि देहात की पंचायतों के लोग और टाउन एरिया के लोग और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के लोग इतने धुले धुलाये और पाक साफ फरिश्ते हैं कि उनसे एक भी ग़लती नहीं होगी, यह ग़लत है । हमें उनको बराबर मौका देना पड़ेगा और इस तरह से अन्त में जाकर वे सीखेंगे और तब साउंड म्यूनिसिपैलिटीज और टाउन एरियाज बनेंगे । मेरे संशोधन से सरकार को एक मौका मिल जाता है कि अगर जाने अनजाने कोई ग़लती हो जाती है तो छः महीने के अन्दर वह खुद ही दुरुस्त हो जावेगी और सरकार तमाम जिम्मेदारियों बरा जिम्मा हो जाती है । इसलिये मैंने इस प्वाइंट को सरकार के सामने पेश किया ताकि सरकार को व्यर्थ के लांछन न उठाने पड़ें ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बता दूं कि फ़ीरोज़ाबाद म्युनिसिपल बोर्ड के बारे में भी हम संतुष्ट नहीं हैं कि जो आर्डर पास किया गया वह उचित हो सकता है परन्तु उसके बारे में हम कुछ अधिक हैं क्योंकि मुमकिन है कि हमको फैक्ट्स न मालूम हों । लेकिन टाउन एरिया जलालपुर की बात जब हम सुनते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि बहुत सी जगहें ऐसी हो सकती हैं जहां ऐसा हुआ हो । इसलि

मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इसको मान लें । इसमें कोई सिद्धांत का सवाल नहीं है । और जहां तक सत्ता के विकेन्द्रीकरण की घोषणा का सवाल है , घोषणा तो हमारी और सरकार की तरफ से एक सी ही होती है मगर सरकार उसको कार्यरूप में परिणत नहीं करती । हम तो सिर्फ प्रोफ़ैसी कर सकते हैं और घोषणा कर सकते हैं क्यों कि हमारे पास शक्ति नहीं है, हमारी सरकार नहीं है, लेकिन सरकार के पास दोनों साधन हैं, अधिकार भी उसके पास है और शक्ति भी है । फिर भी अगर वह अपनी घोषणाओं को कार्यान्वित नहीं करती तो यह उचित नहीं है । हमारे विरोधी दल के लोगों की कम तादाद है और हम जानते हैं कि पांच साल तक हम अल्पमत में ही रहेंगे, यह दूसरी बात है कि कुछ दो, चार आदमी इधर-उधर से आ कर और हममें मिल जायं मगर पांच साल तक..

श्री राजनारायण---पांच साल तक यह सरकार नहीं रहेगी ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---हमारे विरोधी दल के नेता की राय है कि पांच साल के अन्दर कोई क्रांति होने वाली है, हो सकता है । लेकिन हम लोग सरकार बनाने के लिये लालायित नहीं हैं । तो सरकार को तमाम लांछनों से बचने के लिये यह संशोधन बहुत मुनासिब है और अपनी जाने या अनजाने में की गयी ग़लतियों को दुरुस्त करने के लिये भी यह मुनासिब है कि सरकार ६ महीने के अन्दर एलेक्शन करा दे।

श्री मोहन लाल गौतम---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह संशोधन पूरे कानून को पूरे तौर से समझे बग़ैर रखा गया है । जो इस वक्त नियम है वह यह है कि जब दोनों डिसाल्व हो जायंगे , यानी प्रेसीडेंट और मेम्बर्स रिमूव हो जायंगे तो वह डेसोल्यूशन होगा और डेसोल्यूशन के लिये यह जरूरी है कि डेसोल्यूशन की तारीख के पहले जनरल एलेक्शन हो जाय पूरे बोर्ड का । इसलिये डेसोल्यूशन से पहले एलेक्शन कराना जरूरी होगा । उसमें ६ महीने का सवाल नहीं आता । दूसरी चीज यह है कि अगर सिर्फ मेम्बर्स ही हटाये जायें तो जिस तरह से बाई एलेक्शन होता है, फ़ौरन् डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट तारीख मुकर्रर कर देगा, यह ला है । इसलिये उसमें ६ महीने का सवाल ही नहीं आता । मेरा ख़याल है कि मेरे इतना कहने के बाद वह इसको वापस कर लेंगे ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---उपाध्यक्ष महोदय, माननीय स्वशासन मंत्री की बात मैंने समझने की कोशिश की । मैंने समझा कि जो उन्होंने कहा वह सही है । लेकिन मैं तो एक रोक लगा देना चाहता हूं । जैसे प्रेसीडेंट को नहीं हटाया और मेम्बर्स को हटा दिया तो उस हालत में एलेक्शन ६ महीने के बाद रोका जा सकता है । उस दिक्कत को हल करने के लिये मैंने इस संशोधन को रखा है । यह हम नहीं कहते कि सरकार एलेक्शन करायेगी ही नहीं या करा नहीं सकती । लेकिन हम तो एक रोक लगाना चाहते हैं कि ६ महीने के अन्दर एलेक्शन हो जाय । यही हमारा संशोधन है और हमें आशा है कि माननीय मंत्री जी इस पर ग़ौर करेंगे ।

श्री मोहन लाल गौतम---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १३ में प्रस्तावित धारा 13A के अन्त में निम्न-लिखित प्रतिबंध बढ़ा दिया जाय---

"Provided that fresh elections will be held within six months."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खण्ड १३ इस विधेयक का अंश माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १४, १५ और १६

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा ३४ का संशोधन।

१४—मूल अधिनियम की धारा ३४ की उपधारा (४) में—

(१) शब्द और संख्या "Sub-section (1)" के स्थान पर शब्द और संख्या "sub-section (1), (1-A) or (1-B)" रख दिये जायं; और

(२) शब्द "said" और "to" के बीच में शब्द "sub-section" के स्थान पर शब्द "sub-sections" रक्खा जाय।

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा ३५ का संशोधन।

१५—मूल अधिनियम की धारा ३५ की—

(१) उपधारा (१) में शब्द "enactment" और "the" के बीच में शब्द "or in carrying out any order made or direction issued by the State Government in exercise of any power conferred by this Act or any other enactment" रख दिये जायं।

(२) उपधारा (२) में—

(क) शब्द "performed" और "within" के बीच में शब्द "or the order or direction is not carried out" रख दिये जायं; और

(ख) शब्द "duty" और "shall" के बीच में शब्द "or executing the order or direction" रख दिये जायं।

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा ३८ का संशोधन।

१६—मूल अधिनियम की वर्तमान धारा ३८ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय—

Terdm of office of members elected or nominated to fill casual vacancies.

"38. The term of office of a member elected or nominated to fill a casual vacancy shall be for the remainder of his predecessor's term of office."

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १४, १५ और १६ इस विधेयक के अंश माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १७

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा ४० का संशोधन।

१७—मूल अधिनियम की धारा ४० में—

(१) उपधारा (१) खंड (बी) में शब्द और संख्या "sub-section (3) of section 14" के स्थान पर शब्द और संख्या "sections 12-D and 13-D" रक्खे जायं; और

(२) उपधारा (४) के बाद नई उपधारा (५) के रूप में निम्नलिखित रक्खा जाय—

"(5) The State Government may place under suspension a member, against whom proceeding under sub-sections (3) and (4) has been commenced, until the conclusion of the enquiry and any member who has been so suspended shall not so long as the order of suspension continues to remain in force, be entitled to take part in any proceedings of the board or otherwise perform the duties of a member.'

श्री नारायण दत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं कि खंड १७ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय—

"१७—मूल अधिनियम की धारा ४० निकाल दी जाय"

श्रीमन्, मूल अधिनियम की धारा ४० जो बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसका निकाला जाना मेरे विचार से आवश्यक है वह इस प्रकार है—

The State Goverment, in the case of a city or the prescribed authority in any other case, may remove a member of the board on any of the following grounds—

(*a*) that he has absented himself from the meetings of the board for more than three consecutive months or three consecutive meetings whatever is the longer period, without obtaining any sanction from the board,

(*b*) that he has incurred any of the disqualifications mentioned in sub section (3) of Sec. 14.

(*c*) that he has within the meaning of section 82, knowingly acquired or continued to hold, directly or indirectly, or by a partner, any share or interest in any contract by or on behalf of the board,"

यह बहुत लम्बी धारा है इसलिये मैं इसको पूरा पढ़कर समय लेना नहीं चाहता हूं। मेरा जो एतराज है वह इसकी उपधारा ३ और ४ से है। अगर माननीय मंत्री जी इस हिस्से को मान लें कि इस अधिनियम की मूल धारा ४० की उपधारा ३ व ४ निकाल दी जायंगी तो मैं अपने संशोधन को इस तरह से संशोधित कर लूंगा।

मुझे असल में एतराज उपधारा ३ से है और इसी की दृष्टि से अपना संशोधन रखा है। मैं मानता हूं कि यह धारा आवश्यक है और रहनी चाहिये लेकिन इस धारा का यह अंश इसके सारे मतलब को खत्म कर देता है। हमें इस महत्वपूर्ण अंश पर विचार करना होगा कि आखिर वह कौन से कारण हो सकते हैं जिनको ध्यान में रखते हुये किसी भी सदस्य को जो बालिगमताधिकार पर चुना जाय उसको ससपेंड कर सकते या निकाल सकते हैं। यही सिद्धांत मेरे संशोधन में आता है।

श्रीमन्, यह बात सही है कि अगर कोई सदस्य नियम के विपरीत अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिये कोई कार्य करता है या अपने म्युनिसिपल बोर्ड के पद का दुरुपयोग करे या अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की कामना के लिये कोई कार्य करता है तो अवश्य निन्दनीय है और कोई न कोई प्रतिबन्ध होना चाहिये। लेकिन मैं आपके द्वारा यह जानना चाहता हूं कि जहां यह प्रश्न आता है तो वह इस प्रकार है—

"The State Government may remove form the board a member who in its opinion has so flagrantly abused in any manner his position as a member of the board as to render his continuance as a member detrimental to the public interest,"

यह इस प्रकार अस्पष्ट भाषा है जो कहीं भी इस्तेमाल की जा सकती है। पार्टी बंदी और दलबंदी में पड़कर किसी बहुमत दल के द्वारा इसका उपयोग हो सकता है। यह अव्यवहारिक

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

है। पब्लिक इंट्रेस्ट क्या है। इसको कौन डिफ़ाइन करेगा। श्रीमन् मैंने तो यह देखा है कि जहां किसी आफिसर का ट्रांसफर होता है तो वह पब्लिक इंट्रेस्ट में होता है, किसी का प्रोमोशन होता है तो वह भी पब्लिक इंट्रेस्ट में ही होता है, किसी को निकाला जाता है तो वह भी पब्लिक इंट्रेस्ट में ही होता है, किसी को डी०एम० बनाया जाय तो वह भी पब्लिक इंट्रेस्ट में ही होता है। गवर्नमेंट के लिये यह एक ऐसी शब्दावली है जो पास्तीन करने के लिये इस्तेमाल होती है, तरक्की के लिये इस्तेमाल होती है, हटाये जाने के लिये भी इस्तेमाल होती है। यहां पर जो रिमूवल करने के लिये जो आया है तो इसकी सफाई होने की जरूरत है। श्रीमन् यह सब बातें अंग्रेजों के ब्रिटिश साम्राज्यशाही के काल में इस विधेयक में रखी गई थी। यह धारा जो है यह म्युनिसिपल ऐक्ट, सन् १६ में अंग्रेजों द्वारा बनाई गई थी और उन्होंने जनता के चुने हुये नुमाइन्दों पर अपना अधिकार रखने के लिये, उनको साम्यवादी शक्तियों की कठपुतली बनाये रखने के लिये इस उपधारा को रक्खा था। इसीलिए उन्होंने इसको इस तरह से अस्पष्ट रक्खा था ताकि किसी मौके पर जरूरत हो तो वह उससे फ़ायदा उठा सकें। माननीय मंत्री जी कहेंगे कि अंग्रेजों का जमाना नहीं रहा, अब अपनी सरकार आ गई है और हम इसका दुरुपयोग नहीं करेंगे, ऐसा विश्वास दिलाने की वह चेष्टा करेंगे। लेकिन जैसा मेरे मित्र त्रिपाठी जी कह चुके हैं कि नौकरशाही जो है वह पहले की तरह ही है। बहुत मानी में सरकार कोई अच्छा काम करने की चेष्टा भी करे तो वह उसे समाप्त कर देती है और जब तक कि हमारे प्रदेश में कोई लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोर्ड नहीं बनता, जब तक प्रांतीय स्तर पर हमारे पास ऐसा माध्यम नहीं होता जिसके द्वारा हम जो जिले की नौकरशाही है उससे अलग हो सकें, तब तक में समझता हूं कि स्वायत्त शासन के सब मामले, सब शिकायतें जिले के एस० डी० ओ०, डिप्टी कमिश्नर आदि जो अधिकारी हैं, उनके हाथ में रहेंगे।

एक बात माननीय मंत्री जी मानेंगे जो भी म्युनिसिपल बोर्ड के बारे में शिकायतें आती हैं, किसी सदस्य पर आरोप आता है उसके जांच करने के लिये जिला अधिकारी ही जिम्मेदार होते हैं और उनके जरिये ही वह जांच कराई जाती है। उनको सरकार ने विधान द्वारा अधिकार दे दिया है कि वे स्वायत्त शासन संस्थाओं की अपने उन अधिकारों के जरिये जांच करें। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जब शब्द इतने अस्पष्ट हैं तो हमें यह सोचना पड़ेगा कि हम इन अधिकारों को स्पष्ट करें और माननीय मंत्री जी इस बात का आश्वासन दिलायें या कोई ऐसा संशोधन आता जिसमें यह शब्दावली स्पष्ट की जाती तो हमें इस संशोधन के लाने की आवश्यकता न पड़ती। श्रीमन्, हमें मजबूर होकर बार-बार खेर कमेटी की रिपोर्ट को लाना पड़ता है। क्योंकि यह कोई हमारी निजी राय नहीं है, स्वयं उनके भी यही विचार थे और इस सदन के द्वारा नियुक्त कमेटी के यही विचार थे। खेर कमेटी में इस शब्दावली के बारे में पेज ५, पैराग्राफ १८ में जो कुछ कहा गया है उसे मैं आपकी आज्ञा से पढ़ देना चाहता हूं—

"The only other important change which we have suggested in the grounds of removal is with regard to the provision relating to flagrant abuse of his position by a memder. We have found from past experience that his rule is capable of being misused owing to its vauge and indefinite phraseology. We have, therefore, subsituted for it a new provision whose language is more precise and simple, namely that a member may be removed on the ground that he has been guilty of habitually contravening the provisions of the District Boards or Municipalties Act or rules, by-laws or regulations framed thereunder."

खेर कमेटी ने भी इसीलिये कि इतने व्यापक शब्दों से अनर्थ न हो सके, उसके लिये यह सुझाव दिया है। मैं माननीय मंत्री जी की सेवा में खेर कमेटी की सिफारिश पेश करना चाहता हूं और उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस पर गम्भीरता पूर्वक विचार करें कि आप इस प्रकार की जो ताकतें वह प्रस्क्राइब्ड अथारिटी को देने जा रहे हैं,

वह इस शब्दावली का दुरुपयोग तो नहीं करेंगे और साथ ही साथ प्रश्न यह उठता है कि जिन प्रजातंत्र की परम्पराओं को हम अपने लिये सुरक्षित रखना चाहते हैं उन्हीं को हमें दूसरों को भी देना चाहिये। जिन सिद्धांतों को हम यह समझते हैं कि वह इस सदन के लिये उपयुक्त हैं उन्हीं सिद्धान्तों को हमें दूसरे चुने हुये सदस्यों के लिये देना चाहिये। श्रीमन् माननीय मंत्री जी से मैं यह जानना चाहता हूं कि कल को अगर कोई ऐसा विधान बन जाय कि जिससे मंत्रिमंडल सुपरसीड हो सके या मंत्रिमंडल डिजाल्व हो सके तो क्या इस प्रकार वह मानने के लिये तैयार होंगे। क्या कल को हमारी पार्टी की तरफ से एक ऐसा संशोधन आवे या पार्लियामेंट में कोई ऐसा विधान बने जिसके अनुसार यह कहा जाय कि इस प्रकार का वाक्य हो—

"as a member of the board as to render his continuance as a member detrimental to the public interest."

तो इस प्रकार से वह मानने के लिये तैयार होंगे ? शायद माननीय मंत्री जी मुद्गल साहब का उदाहरण दें। लेकिन मैं तो आपके सामने खेर कमेटी का सुझाव रखना चाहता हूं कि जो अपनी सुविधा के लिये अपने पद का दुरुपयोग करता है उसको रिमूव करने का अधिकार होना चाहिये। ऐसा रखना कि जो पब्लिक इन्टरेस्ट में डिटरीमेंटल हो तो इससे कोई मामला हल नहीं होता है क्योंकि यह साफ नहीं है। मैं यह समझता हूं कि इस प्रकार का सिद्धांत चुने हुए मेम्बरों के लिये न किया जाय।

श्रीमन्, मैंने आपके सामने और मुल्कों के उदाहरण पेश किये। माननीय मंत्री जी ने फ्रांस और इंग्लैंड की मिसाल दी और उन्होंने यह कहा कि वहां पर मेम्बरों का सुपरसेशन होता है। अगर मैंने सही पढ़ा है तो मैं यह कह सकता हूं कि वहां पर किसी-किसी मौके पर रिमूवल होता है और वह इस प्रकार की धारा पर आधार नहीं रखता है जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपने यहां धारा ४० के अन्दर पेश किया है। वहां पर मेयर या मेम्बर तभी रिमूव किये जाते हैं जब कोई बहुत खास बात होती है। जैसा कि हमारे यहां डिप्टी कमिश्नर यहां का शासन चलाते हैं इसी तरह से वहां का वह लोग चलाते हैं। हमारे यहां के शासन की तरह से वहां नहीं होता है। उनको पावर होती है और गवर्नमेंट ने उनको बहुत सी ताकत दे रखी है। हमारे यहां की तरह से वहां नहीं है। यहां पर पंचायत डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, और सरकार के बीच कोई तारतम्य नहीं है, कोई मेल नहीं खाता है। इस तरह से जिले की मशीनरी बिखरी हुई है। जब हम यहां गांव की तरफ विचार करते हैं और उनका दूसरे देशों के साथ मिलान करते है तब अन्दाज़ा लगाया जाता है कि वहां का ढांचा किस प्रकार का है। फ्रांस के अन्दर वहां की सारी शासन की मशीनरी नीचे तक एक अविभाज्य अंग है। वहां के म्युनिसिपल बोर्ड को बहुत से अधिकार हैं और इस प्रकार से गवर्नमेंट के शासन में वह सहायता करते हैं। उनको रिमूव करने की ताकत है लेकिन जब अपने पद का गलत तरीके से प्रयोग करें तभी वह हटाये जाते हैं। माननीय मंत्री जी ने फ्रांस और इंगलैंड की मिसाल दी और दूसरे देश की किसी की नहीं दी। जहां तक इंगलैंड का सवाल है उसके बारे में मैं कह चुका कि वहां पर लोकल-सेल्फ गवर्नमेंट है उसको भी ऐसी ताकत दे दी है और उसको वहां पर ट्रेजरी और पुलिस शासन को चलाने का अधिकार है। इस तरह के अधिकार वहां पर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोर्ड को हैं।

जहां तक अमेरिका का सवाल है मैं समझता हूं वहां पर कुछ स्टेट हैं लेकिन कुछ स्टेट ने फ्रांस की पार्लियामेंट के अनुसार इस बात का अधिकार लिया है कि कुछ हालतों में वह मेयर को हटा सकें। वह किस आधार पर ऐसा कर सकते हैं यह मैं माननीय मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं—

"Thus the Ohio Municipal Code stipulates that removal may be made only for misconduct in offence, bribery, gross neglect of duty, gross immorality or habitual drunkenness."

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

[इस प्रकार लोहियो म्युनिसिपैलिटी की नियमावली में यह शर्त है कि पृथक्करण केवल अपराधात्मक दुराचार, उत्कोचग्रहण, कर्त्तव्यविमुखता, अत्यन्त अनैतिकता अथवा अभ्यस्त रूप से, मद्य सेवन के कारण नशे में रहने के ही आधार पर किया जा सकता है।]

तो या तो कोई आदतन शराबी हो, अपनी ड्यूटी को नेगलेक्ट करता हो या घूस लेने वाला कोई हो तभी वह हटाया जा सकता है। लेकिन इनएफीशिएन्सी में नहीं निकाला जा सकता यह वहां अमरीका में लोकल बाडीज के एडमिनिस्ट्रेशन की हालत है और वहां पर स्पष्ट कर दिया गया है कि किन हालतों में मेयर को या मेम्बर्स को हटाया या रिमूव किया जा सकता है। मैं यह नहीं कहता कि जो अंग्रेजों की मनोवृत्ति थी वही माननीय मंत्री जी की भी है। लेकिन अगर हम उन सब संकेतों को और भाषा की प्रवीणता, प्रवीणता मैं नहीं कहता, उस भाषा की अश्लीलता को देखें कि जिस में अर्थ का वियर्यय और अपभ्रंश और अनर्थ हो जायगा कि उस से हटाया भी जा सके और पदारूढ़ भी हो सके। इसलिये मंत्री जी को सोचना पड़ेगा कि इसको कहां तक बदलने की आवश्यकता है। इसलिये जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि अगर वह उपधारा ३ को हटाना मंजूर करें या उसकी शब्दावली को ही बदलना मंजूर करें तो मैं संशोधन के अधिक भाग को वापिस ले लूंगा।

श्री मोहन लाल गौतम—उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह स्वीकार नहीं है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कुछ कहा ही नहीं है ।इसलिये मैं जवाब ही क्या दूं ?

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १७के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय–

"१७—मूल अधिनियम की धारा ४० निकाल दी जाय ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री नारायण दत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं आप की आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं कि खंड १७ द्वारा प्रस्तावित धारा 40 की नयी उपधारा (5) निकाल दी जाय ।

खंड १७ द्वारा प्रस्तावित धारा 40 की नयी उपधारा (5) इस प्रकार है–

"The State Government may place under suspension a memqer, against whom proceeding under subsections (3) and (4) has been commenced, until the conclusion of the enquiry and any member who has been so suspended shall not so long as the order of suspension continues to remain in force, be entitled to take part in any proceedings of the board or otherwise, perform the duties of a member."

मंत्री जी ने इस धारा को बिल में स्पष्ट न कर के अन्याय ही किया है।

लेकिन फिर भी मैं ऐसा समझता था कि भले ही सदन का समय कितना ही महत्वपूर्ण क्यों न हो लेकिन यह संशोधन भी बहुत महत्वपूर्ण है। आखिर माननीय मंत्री जी इतना तो जिक्र जरूर कर दें कि सरकार की मनोवृत्ति किन सिद्धांतों पर आधारित है। मैं समझता

हूं कि माननीय मंत्री जी आवश्य उठेंगे और हमें बतायेंगे कि यह सस्पेंशन की धारा इस विधेयक में क्यों जोड़ी गयी है और रिमूवल के संबंध में पुरानी धारा को ही अक्षुण्ण क्यों नहीं रखा गया। श्रीमन् जहां तक संस्पेशन का सवाल है मुझे कोई एतराज न होता अगर सस्पेंशन के साथ साथ रिमूवल होता। माननीय मंत्री जी ने बिल को पेश करते समय यह बताया था कि सस्पेंशन रिमूवल में निहित होता है ? तो जब रिमूवल में सस्पेंशन निहित होता है तो माननीय मंत्री जी इस नयी धारा को क्यों जोड़ रहे हैं। कई बार माननीय मंत्री जी ने कहा कि यह चीज तो पहले से ही मौजूद है इसलिये इसको मंजूर नहीं किया जा सकता। मैं श्रीमन्, माननीय मंत्री से अब पूछना चाहता हूं कि जब यह चीज पहले से मौजूद थी तो फिर यह नयी उपधारा क्यों जोड़ी जा रही है ? हमारे संशोधनों को अस्वीकृत करते समय आप जो दलील देते थे उसी दलील को मैं इस समय आपकी सेवा में प्रस्तुत करना चाहता हूं।

माननीय मंत्री जी ने बताया कि मान लीजिये किसी मेम्बर या चेयरमैन के खिलाफ कोई इंक्वायरी कराई जा रही है, अगर वह रिमूव नहीं किया जायगा, अगर वह मेंम्बर या चेयरमैन बना रहेगा तो वह अपने पद का दुरुपयोग करेगा और जो सबूत वहां है उसको किसी प्रकार से उलट पुलट करने की कोशिश करेगा। मैं समझता हूं इस प्रकार की बात कहीं नहीं है। अगर माननीय मंत्री जी इस चीज को म्युनिसिपैलिटी के लिये मान्य करते हैं तो पूरी शासन व्यवस्था के लिये उसको मान्य क्यों नहीं करते कि जिसके खिलाफ भी इन्क्वायरी चलेगी उसको हर हालत में सस्पेंड कर दिया जायगा तो मैं समझूंगा कि यह बात मानने के योग्य है। जब माननीय मंत्री जी इस बात को कुल शासन व्यवस्था के लिये नहीं मानते तो फिर केवल बोर्ड के मेम्बरों या चेयरमैन के ऊपर ही यह सस्पेंशन की तलवार क्यों लटकी रहे ? मैं यह नहीं कहता कि रिमूव न किया गया। ठीक है, अगर उसने ऐसा काम किया है तो उसको जरूर रिमूव किया जाय लेकिन उसके लिये खास खास बातें मुकर्रर कर देना चाहिये। आपको साफ कहना चाहिये कि घूसखोरी के लिये, बेईमानी के लिये, पद के दुरुपयोग के लिये रिमूव कर दिया जायगा। लेकिन आप तो सिर्फ यह कहते हैं कि 'डैट्रीमेंटल टू पब्लिक इन्टरेस्ट' अगर होगा तो रिमूव कर दिया जायगा। यह गोल मोल बात कहना मेरी समझ से अच्छा नहीं है। अगर आपकी कोई स्पष्ट भाषा होती तो हमें कोई ऐतराज नहीं होता लेकिन जब आप अस्पष्ट भाषा में किसी चीज को रखते हैं तो हमें दिक्कत होती है और हम समझते हैं कि यह शक्ति का दुरुपयोग है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि वे इस बात को स्पष्ट करें कि जब उनकी यह भावना थी कि 'रिमूवल इन्क्लूड्स सस्पेंशन' तो फिर इसको क्यों यहां बढ़ाया जा रहा है तथा पहले जो इस प्रकार सस्पेंड हुये वे कितने थे। अगर ऐसा था तो फिर इस नयी उपधारा को बढ़ाने की आवश्यकता ही क्या थी ?

श्री मोहन लाल गौतम—माननीय उपाध्यक्ष महोदय मुझे यह स्वीकार नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १७ द्वारा प्रस्तावित धारा 40 की नयी उपधारा (5) निकाल दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १७ इस विधेयक का अंश माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १८

१८—मूल अधिनियम की धारा ४१ में से शब्द "Co-option" निकाल दिया जाय। यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा ४१ का संशोधन।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि खंड १८ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"१८--मूल अधिनियम की धारा ४१ निकाल दी जाय।"

उपाध्यक्ष महोदय, जिस धारा को निकालने का इस संशोधन में प्रस्ताव किया गया है वह इस प्रकार है--

Disabilities of members removed under section 40.

"41 (1). A member removed under clause (*a*) of sub-seticon (1) of the preceding section shall, if othrwise qualified, be eligible for further election or nomination.

(2) A member removed under clause (*b*) of sub-section (1) of the preceding section shall not be so eligible until he has obtained his discharge.

(3) A member removed under sub-section (3) of the preceding section shall not be so eligible for a period of three years from the date of his removal.

(4) A member removed under any other provision of the preceding section shall not be so eligible until he is declared to be no longer ineligible, and he may be so declared, by an order of the Local Government or the Commissioner, whichever of these authorities passed the order of removal."

उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप ग़ौर करें तो उसकी धारा ।(२) में इस बातका जिक्र है कि a member removed under clause (*b*) of aub section (1) of the preceding section. प्रोसीडिंग सेक्शन के मानी यहां दफा ४० हुये जिसमें यह है कि--

"That he has absented himself from the meetings of the board for more than 3 consecutive months or three consecutive meetings whichever is the longer period, without obtaining sanction from the board; provided that the period during which the member was in jail as an under-trial, detenue or as a political prisoner, shall not be taken into account, etc., etc."

मैं आपकी आज्ञा से वह सेक्शन भी पढ़ना चाहता हूं जिसमें क्वालीफ़िकेशन्स आफ इलेक्टर्स का जिक्र आया है। वह इस प्रकार है--

"14 (1). A person shall not be deemed an elector for any purpose of this Act or of any rule under this Act, unless he is enrolled as an elector."

साथ ही यह भी देखें कि" A person who has completed the age of 21 years and has ordinarily resided in the Municipality for a period of six months next before such date as may be prescribed, shall, if not subject to any disqualifications specified in subsection (3), be entitled to be enrolled as an elector. A person, nothwithstanding that he is otherwise qualified shall not be entitled to be enrolled as an elector .....if he has been adjudged by a competent court to be of unsound mind, etc., etc."

इसके आगे मैं ज्यादा नहीं पढ़ना चाहता हूं। इस सम्बन्ध में माननीय नारायणदत्त जी तिवारी ने जब सेक्शन ४० के रिमूवल का प्रस्ताव आया बहुत सी सैद्धांतिक बातें कहीं। जिन सैक्शन्स का मैंने हवाला दिया उनमें आप देखते हैं कि कितने वैराइटी आफ रीजन्स किसी के रिमूवल के लिये रखे गये हैं। धारा ४१ में धारा ४० के (३) का भी जिक्र किया गया है जो इस प्रकार है।

"The State Government may remove from the board a member who in its opinion has so flagrantly abused in any manner his position as a member of the board as to render his continuance as a member detrimental to the public interest."

इसके बारे में माननीय नारायण दत्त तिवारी ने सदन के समक्ष और आपके समक्ष काफी प्रकाश डाला। तो हम यह चाहते हैं कि दोनों संशोधनों से हमारा यह मकसद था कि स्टेट गवर्नमेंट को न रिमूवल का अधिकार हो न सस्पेंशन का अधिकार हो। उपाध्यक्ष महोदय, हमारी दलीलें सुन कर सदन के माननीय सदस्यों को एक शंका उत्पन्न हो सकती है कि जो ग्राउंड्स आफ रीजन्स मैंने पेश किया उन कारणों से तो सचमुच चेयरमैन का सदस्यों का सचमुच रिमूवल (जगह से हटाया जाना) होना चाहिये। तो आप स्टेट गवर्नमेंट को पावर नहीं देना चाहते हैं तो किसको पावर देना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में कुछ अन्तर्राष्ट्रीय बातें भी कही गयीं और दूसरे देशों की मिसालें भी पेश की गयीं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं दोबारा कहना चाहता हूं कि यह कोई वाइड व्यू नहीं है कि हमेशा भूतकाल की मिसालें लेकर हम उनसे चिपके रहें बल्कि चाहिये यह कि हम भूतकाल से कुछ सीख कर भविष्य के सुन्दर जीवन का निर्माण करें, सुन्दर व्यवस्था का निर्माण करें। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय नारायण दत्त तिवारी ने कहा कि विधान के अनुसार मिनिस्टरों को भी ग़लत काम करने पर हटाया जा सकता है। यह ठीक है और उपाध्यक्ष महोदय, जिस समय पार्लियामेंट और असेम्बली का एलेक्शन हो रहा हो उस समय हमारी तरफ से यह मांग की गयी थी कि सरकार को चाहिये कि वह हिन्दुस्तान के विधान में इस बात की व्यवस्था करे कि अगर किसी असेम्बली के मेम्बर या पार्लियामेंट के मेम्बर के खिलाफ जनता हो जाती है तो वहां की जनता को इस बात का अख्तियार होना चाहिये कि वह उसको रिकाल कर सके। यह बहुत प्रोग्रेसिव किस्म का सिद्धान्त है। मैं समझता हूं कि इसको मान कर कोई भी सरकार इस बात का दावा कर सकती है कि वह सही माने में प्रजातन्त्र प्रणाली को मानती है। इसमें तमाम दिक्कतें हो सकती हैं। उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस सरकार ने अपना विधान बनाते हुए हमारी बातों को नहीं सुना। जितने भी नियम बने, क़ानून बनाये गये उनमें हमारी बातों को ठुकराया गया लेकिन हमने अपने एलेक्शन मैनिफेस्टो में इस बात की स्पष्ट घोषणा की कि एक जबरदस्त राइट हम जनता को देना चाहते हैं। और वह राइट यह है कि अगर वह किसी एम० एल० ए० को, किसी पार्लियामेंट के मेम्बर को, किसी म्युनिसिपैलटी के मेम्बर को, किसी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेम्बर को, किसी टाउन एरिया के मेम्बर को, किसी नोटिफाइड एरिया के मेम्बर को रिमूव करना चाहे तो उसे रिमूव कर सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार को चाहिये कि वह एक ऐसी मशीनरी इस्टेबलिश करे जो इन इल्जामात के ग्राउन्ड पर फौरन् इनक्वायरी करावे और वह संबंधित व्यक्ति पर चीफ़ लीफ-लेट्स और पम्फलेट की शक्ल में जनता के सामने लानी चाहिये कि क्या क्या इलजामात हैं। इसके साथ ही साथ उस आदमी को मौका होना चाहिये कि वह अपनी कांस्टीटुएंसी में जा कर वहां की जनता को यह बतलावे कि उस आदमी के ऊपर सरकार ने जो दोषारोप लगाये हैं, या किसी व्यक्ति ने दोषारोप लगाये हैं वे आरोप ग़लत हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के माननीय सदस्यों को यह बात नयी मालूम हो सकती है कि इस प्रकार का मौका हो सकता है कि लीफ़लेट बाजी, पम्फलेट बाजी या और भी जितने तरीक़े हो सकते हैं वे ग़लत तरीक़े से इस्तेमाल किये जायं। मैं कहता हूं कि जो भी हो जो ग़लती उसने की है वे सब बातें जनता के प्रकाश में आ जानी चाहिये और उस आदमी को हक़ होना चाहिये कि वह जनता के सामने अपनी सफाई पेश कर सके। उसके बाद उपाध्यक्ष महोदय, सब से बेहतर तरीका जो हमारी राय में और हमारी पार्टी की राय में हो सकता है वह यह है कि सरकार फौरन् ही रिएलेक्शन की व्यवस्था करे और रिकाल की व्यवस्था करे। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय स्वशान मंत्री जी को

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

दिक्क़त हो सकती है । तो फिर सीधा सादा तरीक़ा यह है कि हर कंस्टीटुएंसी को जनता को मौक़ा दिया जाय चार छः महीने या एक वर्ष बाद कि वह इस बात का फैसला करे कि उसकी कंस्टीटुएंसी का मेम्बर अपने एलेक्शन प्लेज पर कायम रहा या नहीं रहा । वहां "वोट फार दि मैन आर एगेन्स्ट दि मैन" की बिना पर चुनाव होना चाहिये। इसके लिये दो बक्से होने चाहिये और इस बात की पूरी व्यवस्था होनी चाहिये कि जो आदमी फार दि मैन वोट देना चाहे वह उस बैलट बाक्स में अपना बैलट पेपर ले जाकर डाल दे और जो आदमी खिलाफ वोट देना चाहे वह दूसरे "नो" वाले डब्बे में अपना वोट दे दे। उसके बाद अगर यह परिणाम मालूम हो कि बहुमत खिलाफ है तो उस आदमी को फौरन् रिमूव कर देना चाहिये और अगर बहमत उसके पक्ष में हो तो उस आदमी को रहने देना चाहिये । उपाध्यक्ष महोदय, यह कितना सुदन्र आइने की तरह साफ तरीका है और जिस पर किसी भी प्रजातंत्रीय प्रणाली को फ़ख़ हो सकता है और मैंने शुरू में निवेदन किया था कि प्रान्तीय सरकार और माननीय स्वायत्त मंत्री इन तमाम पावर्स को अपने हाथ में लेकर अपनी जान की आफत मोल ले रहे हैं जनता को सरकार की क्रिटिसिज्म का और मौका दिया जा रहा है जान बूझ कर और इस बात से तो वही पुराना किस्सा सही उतरता है कि "काजी जी क्यों दुबले" कहने लगे "शहर भर के अंदेशे से"। तो सरकार यह सारी ताक़त अपने हाथ में लेती जा रही है टाउन एरिया का इंतज़ाम भी अपने हाथ में लिया, नोटिफाइड एरिया का भी इन्तज़ाम अपने हाथ में लिया, और असेम्बली का भी इंतजाम अपने हाथ में ले तो लेती है सब अधिकार चाहे सम्भाल कर किसी को भी अच्छी तरीक़े से कर न सके। श्रीमन्, इसका अर्थ यह नहीं है कि सरकार गति विधि भी न देखे। गतिविधि देखने का तो अधिकार सरकार को होना चाहिये कि कहीं ज्यादती हो तो वह फौरन् उस व्यक्ति को उपरोक्त ढंग से हटाने की व्यवस्था करे । लेकिन रिकालिंग का अधिकार जनता को होना चाहिये उसके लिये एक तरीका तो वह है जो ऊपर बताया और दूसरा तरीका और है । हमारी तरफ से जब कहा जाता है कि न रिमूवल हो और न सस्पेंशन हो तो हम यह कभी नहीं चाहते कि धांधलीबाजियां चलती रहें, लोग अपनी पावर्स का पलैगरेंटी यूज़ करते रहें और हम यहां चुपचाप बैठे देखते रहें । सदन के सदस्य अच्छी तरह जानते हैं कि जाब्ता फौजदारी और जाब्ता दीवानी में ऐसी धारायें हैं जिनके ज़रिये से किसी के ख़िलाफ कार्यवाही हो सकती है, अगर कहीं एम्बेजिलमेंट की कार्यवाही हो तो मैजिस्ट्रेट उसके लिये पेपर्स मांग सकता है और उसके ख़िलाफ आवश्यक कार्यवाही की जा सकती है। इस संबंध में सख़्त से सख़्त सजा हो सकती है और मान लीजिये एक शख्स रेप का मुजरिम करार दिया जाता है । तो उसके लिये इंडियन पिनल कोड की दफा है । इम्बेजिलमेंट के लिये दफायें हैं तो माननीय स्वाशन मंत्री जी और उनकी सरकार इतना फख़्र करती है कि हमारे पास जुडीशियरी की इतनी परफैक्ट व्यवस्था है जिसके ज़रिये से आदर्श प्रजातंत्रीय प्रणाली की व्यवस्था हो सकती है । तो उससे कार्य क्यों न लिया जाय ? हमारा यह मत नहीं है कि धांधलीबाजियां होती रहें और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें लेकिन ऐसी बात अगर हो रही है तो उसके लिये जनता को ताक़त होनी चाहिये कि वह उस सदस्य को रिकाल करे और यही बुनियादी सिद्धांत है जिसको हम प्रेस करना चाहते हैं। यह कहा जा सकता है कि इसमें धांधलियां बढ़ेंगी। हां, हो सकता है इसमें थोड़ी बहुत धांधली की गुंजायश हो सकती है और जैसा मैंने पहले भी कहा था और आज भी कहता हूं कि प्रजातंत्र किस तरह से चलेगा यह आदमियों को सीखने दीजिये। मैं पूछता हूं कि गांव पंचायतों के सदस्यों और अदालती पंचायतों के मेम्बरों के खिलाफ शिकायतें हैं या म्युनिसिपल बोर्ड के मेम्बरों के खिलाफ शिकायतें हैं तो हमारी सरकार के खिलाफ भी शिकायतें हैं । मैं समझता हूं कि हमारी सरकार के प्रतिनिधि जो यहां बैठे हुये हैं जो जनता के प्रतिनिधि हैं वह भी किसी से कम मानों में गड़बड़ी नहीं करते । तो क्या उनको निकाल देना चाहिये । उनको सीखने का मौका देना पड़ेगा । इसी तरह से जनता और जनता के प्रतिनिधियों को प्रजातंत्र में ग़लतियां करके सीखने देने का मौका देना पड़ेगा । उपाध्यक्ष महोदय, सरकार

इस बात का दावा करती है और हम भी इस बात का दावा करते हैं कि जहां तक प्रजातंत्र का सवाल है हम सत्ता के वितरण में विश्वास करते हैं अभी उस रोज मुख्य मंत्री जी ने भी कहा था कि मूल रूप में कांग्रेस में और सोशलिस्ट पार्टी में इस प्रश्न पर कोई मतभेद नहीं है अगर्चे हमारे बहुत से मंत्री तो अपने को सोशलिस्ट कहने में गाली का अनुभव करते हैं लेकिन उस रोज हमारे मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि अगर हम वायलेंस को ऐडाप्ट नहीं करते और वायलेंस के जरिये से राज्य लेने का प्रयत्न नहीं करते तो हमारे और कांग्रेस में कोई इस प्रजातंत्र के मामले में मौलिक मतभेद नहीं है । तो प्रजातंत्र में जनता को पूरा अधिकार होता है और सत्ता का विकेन्द्रीयकरण होना चाहिये। वह भी कहते हैं कि सत्ता का विकेन्द्रीयकरण होना चाहिये लेकिन जब शक्ति विकेन्द्रित होने लगती है तो लालच हो जाता है और उसके लिये कोई न कोई रोक रखने का प्रयत्न किया जाता है । हमारे यहां ८ हजार पंचायती अदालतें हैं और ३५ हजार ग्राम पंचायतें हैं और इन की स्थापना की सभी पार्टियों ने मुक्तकंठ से प्रशंसा की थी लेकिन जन जागरण देख कर सरकार में एक नरवसनेस आई कि अगर कहीं जनता को अधिकार दे दिया जाय तो हमारे हाथ से निकल न जाय । इसलिये ५ सौ पंचायत राज्य इंस्पेक्टर्स नियुक्त कर के इन गांव पंचायतों को अपने हाथ में रखा गया । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह तो सही तरह से हुआ कि एक आदमी के हाथ में हजारों रस्सियां हो किसी की रोक यहां और किसी की रोक वहां और वह एक जगह बैठा रहे । यही हालत इस सरकार की है । जैसे हम लोगों को बचपन में ये सिखलाये जाते थे कि सूर्य भगवान रथ पर बैठते हैं और उनके रथ में कई घोड़े बंधे हुये हैं और उन सब की रस्सियां उनके हाथ में रहती है । तो सरकार यह चाहती है कि यहां बैठी हुई सत्ता के विकेन्द्रीयकरण की बात करे परन्तु व्यवहार में जहां तक हो सके उसे अपने हाथ में केन्द्रित करने का प्रयत्न करती है। क्यों नहीं जनता को मौका दिया जाता कि वह गिरे, उठे, और सीखे । उपाध्यक्ष महोदय, यह बुनियादी सिद्धांत है । थोड़ी बहुत ग़लतियां हो सकती हैं । लेकिन अगर किसी को जनतंत्र प्रणाली में चुने हुये मेम्बरों को निकालने का अधिकार होना चाहिये तो जनता को होना चाहिये। जिसको मैंने अभी सुन्दर ढंग से बताया । इस तरह से हमारी तरफ से स्टेट द्वारा रिमूवेल और सस्पेंशन चुने हुये मेम्बरों का किये जाने के विरोध में काफी स्पष्टरूप से हमारी तरफ से माननीय स्वासन मंत्री के सामने विचारधारा रख दी गयी है । मैं समझता हूं कि माननीय स्वशासन मंत्री का यह रवैया कि एक चुप सौ के हराये, सरकार के लिये शोभा की बात नहीं है । यह बुनियादी सवाल है जिसका माननीय मंत्री जी को जवाब देना चाहिये । माननीय मंत्री जी को साफ और स्पष्ट शब्दों में हमारी शंकाओं का समाधान करना चाहिये नहीं तो अख़बारों में जब निकलेगा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि मुझका कुछ नहीं कहना है तो यह बहुमत के गर्व द्योतक होगा। विधेयक तो रोज आयेंगे। कभी लम्बी भी कार्यवाही होगी और कभी कम होगी। आज की कार्यवाही जो हो रही है उसमें मुझे दुःख है कि गिलोटिन का प्रस्ताव लाया गया । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह प्रजातंत्र प्रणाली के अनुकूल है जब कि हमको बोलने का अधिकार नहीं दिया जाय। हमारे संविधान में प्रत्येक नागरिक को भावों के एक्सप्रेशन और बोलने के अधिकार की गारंटी की गयी है और असेम्बली के मेम्बरों का तो खास प्रिविलेज है। अगर मैं भूलता नहीं तो बहुत से वारंट्स हम पर एक सत्र के हफ्ते पहले और एक हफ्ते बाद तक तामील नहीं किया जा सकते। तो असेम्बली के अन्दर हम बोल न सकें, हमारे एक्सप्रेशन पर बहुमत द्वारा ब्रेक लगाया जाय यह सच्चे मानी में प्रजातंत्र नहीं कहा जा सकता यह जो रवैया है यह जनता द्वारा या आलोचना का रवैया है । जनता यह समझेगी कि सरकार को बहुमत का गर्व है । अगर बहुमत के गर्व में अगर सरकार फूले तो यह उसकी बड़ी भारी ग़लती है क्योंकि यह बहुमत तो केवल ४४ फीसदी वोटों का बहुमत है जो मल्टीप्लिसिटी आफ पार्टीज़ की वजह से हो गया है। यह बहुमत सदैव स्थायी नहीं रहता । पहले अंग्रेजों की सरकार थी। अब कांग्रेस की सरकार है। यह उसकी परीक्षा का समय है। हमारी अपनी परीक्षा का समय भी आ सकता है। हमारे नेताओं ने कहा है और बार बार ऊंचे स्वर में कहा है, माननीय स्वशासन मंत्री ने उस दिन कहा था कि हमको सम्भलकर बोलना चाहिये कभी हम भी बहुमत में होंगे। मैंने यह उस समय उत्तर दिया था कि बहुमत में हो कर भी हम

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

क्यूमुलेटिव सिस्टम आफ वोटिंग की व्यवस्था करेंगे अगर स्वशासन मंत्री जी की तरफ से हमारी बातों का मुंहतोड़ जवाब नहीं दिया जाता तो हम समझेंगे कि सरकार को बहुमत पर गर्व है और हमारी शंकाओं का समाधान नहीं होगा। और जो हमारी शंकायें आज हैं वह कल भी रहेंगे। और यह प्रजातंत्र के लिये घातक सिद्ध होगा, स्टेट के लिये घातक सिद्ध होगा, और इस सरकार के लिये घातक सिद्ध होगा। यह कहने की बात नहीं है कि यहां आज असेम्बली भवन के अन्दर सरकारी दल अपने ऊपर फख्र कर लें लेकिन जनता के सामने हिम्मत नहीं है जवाब देने की। रोज-रोज जनता की परेशानियां और दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं मैं विरोधी दल में हूं। लेकिन सरकार का दुश्मन नहीं हूं। उसको हिन्साात्मक ढंग से हटाने की हमारी नियत नहीं है। मैं तो सुधारक हूं। और इस किस्म के सुधार हमने इंगलैण्ड अमेरिका और इससे और रूस नहीं सीखे हैं। हमारे यहां बड़े-बड़े सिद्धांत विरोध करने वालों के संबंध में रहे हैं किसी कवि ने कहा है --

निन्दक नियरे राखिये आगन कुटी छवाय,
बिन साबुन बिन तेल के निर्मल करे सुभाय।

हमारे देश में प्रजातंत्र की यहां तक व्यवस्था थी कि विरोधी आलोचक को अपने आगन में लाकर बसाओ इतनी उदारता हिन्दुस्तान की परम्परा में है। अगर माननीय मंत्री जी चुप रहकर हमारी उपेक्षा करें तो यह भारतीय परम्परा के विरुद्ध है। माननीय स्वशासन मंत्री हमारी हर बात का समुचित उत्तर दें तभी हमारी आशंकायें निर्मूल हो सकती है, देश की और प्रदेश की जनता की आशंकायें निरमूल हो सकती हैं। और किसी भी प्रणाली में यही जनता की आशंका हो तो उसका नतीजा दूसरा भी हो सकता है और वायलेंट ऐक्टिविटीज के लिये भी लोगों को प्रोत्साहन मिलता है कि तोड़ फोड़ और आग लगाकर जनता अपना विरोध प्रकट करे। इसलिये प्रजातंत्र में इस बात का हक है और हमको भी जवाब मांगने का हक है और आज हम जनता की तरफ से जवाब मांगते हैं कि इन मेथड्स में क्या डिफिकल्टी की बात है कि स्वशासन मंत्री उसका समुचित उत्तर नहीं देना चाहते। इन शब्दों के साथ मुझे आशा है कि मुझको मुंहतोड़ जवाब माननीय मंत्री दें।

श्री मोहनलाल गौतम--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसके बारे में अपनी राय जाहिर न कर चुका हूं। इसलिये कोई ज्यादा बात कह कर मैं सदन का समय नष्ट नहीं करना चाहता। मुझे यह संशोधन मंजूर नहीं है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--उपाध्यक्ष महोदय, मैं क्या करूं, कोई रंग चढ़ता ही नहीं।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १८ के स्थान पर निम्नलिखित रक्खा जाय --

"१८--मूल अधिनियम की धारा ४१ निकाल दी जाय"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १८ इस विधेयक का अंश माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १९

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा ४२ का निकाल दिया जाना।

१९--मूल अधिनियम की धारा ४२ निकाल दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १९ इस विधेयक का अंश माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खंड २०

२०—इस अधिनियम और किसी और विधान में जो समय विशेष पर प्रचलित हो, शब्द "Municipal Commissioner के स्थान पर शब्द "Municipal Member" रखे जायं।

शब्द Municipal Commissioner स्थान पर शब्द Municipal Member का रखा जाना।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं संशोधन करना चाहता हूं कि खंड २० की पंक्ति १ में शब्द "इस" के स्थान पर शब्द "मूल" रख दिया जाय।

श्रीमन्, जो मूल खंड २० है वह इस प्रकार है, "इस अधिनियम और किसी और विधान में जो समय विशेष पर प्रचलित हो, शब्द "Municipal Commissioner के स्थान पर शब्द "Municipal Member" रखे जायं।

श्रीमन्, "इस अधिनियम" शब्द इस्तेमाल किया गया है तो इसमें तो कोई म्युनिसिपल कमिश्नर शब्द है ही नहीं। सारे संशोधन विधेयक में आप देख लीजिये। जहां कहीं भी अधिनियम का जिक्र आया है वहां "मूल अधिनियम "शब्द इस्तेमाल किया गया है। जैसे "मूल अधिनियम" की धारा ३५ "मूल अधिनियम की धारा ४०", "मूल अधिनियम की धारा ४२ निकाल दी जाय", सब जगह "मूल अधिनियम" इस्तेमाल हुआ है। तो "म्युनिसिपल कमिश्नर" शब्द का तात्पर्य तो मूल अधिनियम से है। यह शाब्दिक संशोधन है कि यह खण्ड २० मूल अधिनियम का हिस्सा भी नहीं है, इसलिये "इस" के स्थान पर "मूल अधिनियम" कर दिया जाय। यदि माननीय मंत्री जी इसका पहले ही जवाब दे चुके हों तब तो कोई बात नहीं है, वर्ना मेरा यह संशोधन स्वीकार किया जाय।

श्री मोहनलाल गौतम—मुझे मंजूर है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २० की पंक्ति १ में शब्द "इस" के स्थान पर शब्द "मूल" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधन खंड २० विधेयक का अंश माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २१

२१—मूल अधिनियम की धारा ४७-ए की उपधारा (४) में से (१) शब्द "Co-opted" और "Co-option" निकाल दिये जायं; और (२) शब्द "take place" के स्थान पर शब्द "be held or made, as the case may be, as though there had been casual vacancies रख दिये जायं।"

यू० पी० ऐक्ट २ १९१६ की धारा ४७-ए का संशोधन।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २१ इस विधेयक का अंश मान लिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २२

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा ४८ का संशोधन

२२—मूल अधिनियम की धारा ४८ में—

(१) उपधारा (२) में—

(क) खंड (ए) के स्थान पर निम्नलिखित रक्खा जाय—

"(*a*) that there has been a failure on the part of the President in performing his duties, give him a warning or remove him from office as the State Government think fit, or"; और

(ख) खंड (बी) में—

(१) उपखंड (i) में शब्द और संख्या "sub-section (3) of section 14" शब्द और संख्या के स्थान पर "sections 12-D and 13-D" रखे जायं;

(२) उपखंड (v) के बाद निम्नलिखित नया उपखंड (vi) के रूप में रखा जाय—

"(vi) been guilty of gross misconduct in the discharge of his duties"; और

(२) उपधारा (२) के बाद निम्नलिखित नई उपधारा (३) के रूप में रक्खी जाय—

"(3) The State Government may place under suspension a President against whom action is proposed under sub-clause (vi) of clause (*b*) of sub-section (2) until the proceedings are over and where a President has been so suspended he shall not for so long as the order of suspension continues be entitled—

(*a*) to exercise the powers or perform the duties of a President imposed upon him by or under this Act or any other enactment for the time being in force; and

(*b*) to take part in any proceedings of the board."

श्री नारायण दत्त तिवारी—श्रीमन् इस आशा में कि माननीय मंत्री जी ने अभी तक कोई जवाब इसका नहीं दिया है मैं इस संशोधन को प्रस्तुत करना चाहता हूं।

खंड २२ के अनुसार नयी प्रस्तुत धारा 48 (1) (a) निकाल दी जाय।

श्रीमन् जिस प्रकार नयी धारा रखी गई वह इस तरह है—

"(a) that there has been a failure on the part of the President in performing his duties, give him a warning or remove him from office as the State Government think fit, or".....

इसके पहले जो मूल अधिनियम की धारा थी वह इस प्रकार है—

"(2) The Provincial Government may, at any time, if it is satisfied—

(*a*) that there has been a persistent failure on behalf of the President in performing his duties, give him a warning, and if it finds that the failure continues, remove him from office, or"

तो मेरे विचार में जो पहले लिखा हुआ था वह ज्यादा सही है क्योंकि इसमें यह विधान था कि पहले एक वार्निंग दे दी जाय और वार्निंग के बाद भी अगर फेल्योर करता है,

अपने कर्त्तव्यों का पालन ठीक तरह से नहीं करता तब उसको रिमूव किया जाय। यह जरूरी नहीं है कि जैसा कि अब इसमें लिख दिया गया है कि वार्निंग दी जा सकती है या रिमूव किया जा सकता है। पहले वाला विधेयक जो था वह ज्यादा अच्छा था और रिमूवल के पहले एक वार्निंग जरूर मिलनी चाहिये। मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री जी इसकी व्यवस्था जरूर करेंगे कि वार्निंग रिमूवल से पहले एक बार दी जाय। इसमें तो ऐसा कर दिया गया है कि बिना वार्निंग दिये भी रिमूव हो सकता है। मैं यह नहीं चाहता और माननीय मंत्री जी से आशा करता हूं कि पुरानी धारा जैसे थी वैसे ही उसको रहने देंगे।

श्री मोहनलाल गौतम--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह स्वीकार नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २२ के अनुसार नयी प्रस्तुत धारा 48 (1) (a) निकाल दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री हरिश्चन्द्र अष्ठाना (जिला सीतापुर)--श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि खंड २२ में निम्नलिखित उपखंड (३) जोड़ दिया जाय--

"(३) मूल अधिनियम की धारा ४८ में निम्नलिखित उपधारा (4) के रूप में रक्खी जाय :"

आपकी आज्ञा से मूल संशोधन में जरा सा अमेंडमेंट करना चाहता हूं। अब वह इस प्रकार होगी--

"(4) A President removed under clause (a) or sub-clause (vi) of clause (b) of sub section (2) shall not be eligible for election as President or member for a period of 4 years from the date of his removal."

मेरे प्रस्ताव का मंशा बहुत सीधा और साफ है और वह यह है कि जब स्टेट गवर्नमेंट किसी प्रेसीडेंट को क्लाज ए या क्लाज ६ के मातहत रिमूव करती है तो जाहिर है कि उसका मिसकांडक्ट इस तरह का है जैसा कि अभी माननीय सदस्य नारायण दत्त जी ने प्वाइण्ट आउट किया कि उसको या तो रिमूव किया जाय या उसको वार्न किया जाय। अगर्चे वार्निंग न देकर स्टेट गवर्नमेंट यह मुनासिब समझती है कि ऐसे प्रेसीडेंट को हटा दिया जाय तो फिर उसको इस योग्य नहीं रहना चाहिये कि वह दोबारा एलेक्शन में खड़ा हो सके। इसलिये कम से कम चार साल तक यह कैद रहनी चाहिये कि वह दोबारा एलेक्शन के लिये न प्रेसीडेंटी के लिये और न सदस्यता के लिये खड़ा हो सके। इसीलिये मैंने यह संशोधन उपस्थित किया है और मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इस संशोधन को स्वीकार करेंगे।

श्री मोहनलाल गौतम--मुझे यह स्वीकार है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान धारा ३१ ए की ओर दिलाना चाहता हूं जो इस प्रकार है--

"all members of the board—

(i) but not the President, or

(ii) where the State Government so directs, the President also, shall on a date to be specified in the order vacate their respective offices but without prejudice to their eligibility for re-election or renomination;"

क्या इस धारा में और इस संशोधन में परस्पर कोई विरोध तो नहीं होता है? धारा ३१ भी इसी प्रकार है --

"all members of the board including the President shall, on a date to be specified in the order, vacate their offices as such but without prejudice to their eligibility for re-election or re-nomination."

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

जब सुपरसेशन रिमूवल और डिजोल्यूशन सारे बोर्ड के मिसकांडक्ट पर होता है तब तो हम उनको रिएलेक्शन के लिये एलीजिबुल कर देते हैं तो दूसरे मिसकांडक्ट में हम उनको अधिकार न दें यह बड़ा अनुचित होगा। जब सारा बोर्ड मिसकांडक्ट करता है तब तो उनको रिएलेक्शन का अधिकार मिलता है लेकिन यहां पर हम उनके अधिकार को छीन लें, मैं समझता हूं कि यह परस्पर विरोधी बात होगी। यदि हम एक ही सिद्धांत मानें तो मुझे कोई एतराज नहीं है। माननीय हरिश्चन्द्र अष्ठाना की जो भावना है उससे मुझे कोई विरोध नहीं है लेकिन एक मर्तबा हम सब मेम्बरों को अधिकार दें कि वे खड़े हो सकें और फिर जब व्यक्तिगत रिमूवल का सवाल हो तो ४ साल के लिये रोक दें कि वे एलेक्ट नहीं हो सकते तो यह एक ही विधेयक में परस्पर दो विरोधी बातें हो जाती हैं। मान लिया जाय कोई प्रेसीडेंट रिमूव होता है और उसके रिमूवल के बाद बोर्ड भी सुपरसीड हो जाता है तो कौन सी धारा अप्लाई होगी, जो माननीय हरिश्चन्द्र जी का संशोधन है वह अप्लाई होगा या धारा ३१ ए या ३१ अप्लाई होगी। एक में लिखा है दे शैल बी एलीजिबुल दूसरे में लिखा है कि चार साल तक एलीजिबुल नहीं होगा। ऐसी दशा में या तो धारा ३१ और ३१ ए जिनको सदन स्वीकार कर चुका है खत्म कर दिया जाय या माननीय हरिश्चन्द्र अष्ठाना जी के संशोधन को अस्वीकार किया जाय। इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है।

श्री हरिश्चन्द्र अष्ठाना---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा खयाल यह है कि तिवारी जी ने जैसा फरमाया वैसी बात नहीं है। मेरा संशोधन परस्पर विरोधी नहीं है और इसलिये कि दफा ३१ ए में साफ दिया हुआ है---

"shall on a date to be specified in the order vacate their respective offices but without prejudice to their eligibility for re-election or renomination"

तो वहां पर बकेशन का सवाल है और यहां पर रिमूवल का सवाल है। अगर्चे बोर्ड सारे का सारा डिजाल्व किया जाय तो किसी एक व्यक्ति विशेष पर, खवाह वह प्रेसीडेंट हो या मेम्बर हो, उसके मिसकांडक्ट की वजह से, उसके गलत काम करने की वजह से वह बोर्ड सुपरसीड हुआ हो तो वह सारी जिम्मेदारी नहीं आ सकती। यह भी हो सकता है कि कुल बोर्ड इनएक्टिव हो, सही काम न कर रहा हो या जितना काम उससे एक्सपेक्टेड हो उतना वह न कर रहा हो इसलिये सरकार की दृष्टि में उसका सुपरसेशन जरूरी हो और जनता की मांग पर उसका सुपरसेशन कर दिया गया हो। लेकिन उससे किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ चार्ज नहीं लगाया जा सकता। अगर किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ चार्ज हो तो वह व्यक्ति किसी पब्लिक आफिस को होल्ड करने के काबिल नहीं रहता। अगर कोई प्रेसीडेंट है और प्रेसीडेंट होने के नाते उसने अपना व्यवहार उस तरह से किया है कि जिससे वह जाती फायदा उठा सकता है या कुछ इस तरह से करता है जो ग्रास मिसकांडक्ट है क्लाज ६ के अन्तर्गत और जिसके कारण उसको रिमूव किया गया है तब तो उसको अधिकार नहीं होना चाहिये कि वह उसी जगह पर फिर किसी वजह से आ सके, अपने जाती प्रभाव की वजह से या और जो दूसरे तरीके होते हैं जिनको हमारे विरोधी दल के माननीय सदस्य जानते हैं। इसलिये उसको अधिकार नहीं होना चाहिये कि वह फिर उसी स्थान पर आकर अपने आफिस को होल्ड करे और वही कार्य करे जिनके कारण वह हटाया गया। इसलिये मैं समझता हूं कि मेरा संशोधन परस्पर विरोधी नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन्, मैं इसके स्पष्टीकरण में धारा ३० पढ़ना चाहता हूं, वह इस प्रकार है---

"If at any time the Provincial Government is after taking into consideration the explanation of the Board, satisfied that the Board persists in making default in the performance of any duty or duties imposed on it by or under the Act or any other enactment or is exceeding or abusing its powers, it may,

by order with the reasons therefore published in the official Gazette dissolve the board or supersede it for such period as may be specified :

Provided that before making an order superseding the Board, or an order that the Board including the President be dissolved the Provincial Government shall give an opportunity to the President to show cause, if any, and also to explain his conduct with respect to any charge made against him".

तो प्रेसीडेंट के पर्सनल मिसकांडक्ट.....

श्री उपाध्यक्ष---माननीय सदस्य इस धारा को पढ़ चुके हैं और यह इस सदन के सामने आ चुकी है और अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है।

श्री मोहनलाल गौतम---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय अष्ठाना जी ने अपने भाषण में बिलकुल साफ कर दिया है। जब सारे बोर्ड को तोड़ा जाता है तो उसमें किसी अकेले व्यक्ति को अलग करके उसके खिलाफ चार्जशीट फ्रेम करके रिमूव नहीं किया जाता। इसलिये उनको दोबारा चुने जाने की इजाजत है। लेकिन जब किसी एक सदस्य के खिलाफ चार्जशीट फ्रेम हो और उसको निकाला जाय और उसके खिलाफ यह पाया जाय कि उसने ज्यादती की या बेईमानी की तो उसको दोबारा खड़े होने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिये। माननीय अष्ठाना जी ने सब बातों को स्पष्ट कर दिया है और अब उस के बाद और कुछ कहने की गुंजाइश नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २२ में निम्नलिखित उपखंड (३) जोड़ दिया जाय---

"(३) मूल अधिनियम की धारा ४८ में निम्नलिखित उपधारा (४) के रूप में रक्खी जाय"---

"(4) A President removed under clause (a) or sub-clause (vi) of clause (b) of sub-section (2) shall not be eligible for election as president or member for a period of 4 years from the date of his removal."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मलखान सिंह (जिला अलीगढ़)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से खंड २२ द्वारा प्रस्तावित धारा ४८ की नयी उपधारा (३) के अन्त में निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ देना चाहता हूं---

"Explanation---The proceedings at inquiry shall be finished within 3 months of the date of suspension and a fresh election, if necessary, be held within the next three months."

इसमें ज्यादा गुंजाइश बोलने की है नहीं। इतना साफ है कि किसी बोर्ड को सस्पेंड किया जाता है तो तीन महीने के अन्दर उसकी इन्क्वायरी खत्म हो जानी चाहिये और आगे तीन महीनों में उसका दोबारा चुनाव हो जाना चाहिये।

श्री मोहनलाल गौतम---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस संशोधन को मान कर एक बहुत ही ग़लत बात होगी क्योंकि अगर आप यह कानून बना देंगे कि तीन महीने में जांच जरूर खत्म हो जाय तो एक्यूज्ड के लिये सिर्फ एक ही रास्ता बहुत सरल है कि वह इन्क्वायरी को तीन महीने में खत्म न होने दे और ज्यों ही तीन महीने में इन्क्वायरी खत्म न हुई कि वह साफ बरी हो गया। इससे अच्छा उसके लिये और क्या हो सकता है। आज कल कोर्टस के जमाने में बड़ा मुश्किल हो जाता है तीन महीने में इन्क्वायरी खत्म कर देना। इसलिये यह बहुत ग़लत होगा। मुझे अफसोस है कि मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय स्वशासन मंत्री जी की दलील को सुन कर आश्चर्य में रह गया। कानून फौजदारी के मातहत ४२ दिन के अन्दर मुक़दमे की छानबीन हो जानी चाहिये और उस पर फैसला हो जाना चाहिये। लेकिन माननीय मलखान सिंह जी के संशोधन के अनुसार तीन महीने का समय जो है वह माननीय स्वशासन मंत्री जी के लिये नाकाफी है। हम तो यह समझते हैं कि जिस मामले में जितनी देर होती है उतना ही उसमें इंसाफ होने का खतरा पैदा होता है और अन्त में तो यह होता है कि जितनी देर होगी निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि उसमें न्याय पाने की कोई आशा नहीं होती है, गवाह टूटते हैं, जो लोग जुर्म करने वाले होते हैं उनको अवसर मिलता है कि वह सबूत को तोड़ें और फिर सरकारी पक्ष को तरह तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है वैसे ही दूसरे पक्ष की भी हानि होती है। तो तीन महीने का कोई बड़ा समय नहीं है मैं यह मानता हूं कि इसमें माननीय स्वशासन मंत्री जी यह दलील दे सकते हैं कि साल-साल तक और डेढ़-डेढ़ साल तक फौजदारी के मुकदमों का फैसला नहीं होता है, मुल्जिमान वालातह में बन्द रहते हैं। लेकिन यह कोई आदर्श व्यवस्था तो नहीं है। उसकी नक़ल करने में म्युनिसिपैलिटी जिसकी आदर्श व्यवस्था के लिये माननीय स्वशासन मंत्री, जी चिन्तित हैं व्यवस्था आदर्श नहीं होगी। वह काम तो यहां पर नहीं होना चाहिये। यह तो सही है कि इस वक्त न्याय पाना कोई आसान काम नहीं है। न्याय पाने में आदमी को अपना पैसा खर्च करना पड़ता है अपना शरीर खपाना पड़ता है और यह सब करने के बाद भी न्याय मिलने में कठिनाई होती है। यह उम्मीद करना तो कोई अकलमन्दी की बात मैं नहीं समझता कि यह संशोधन स्वीकार कर लिया जायगा, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि तीन महीने का समय माननीय स्वशासन मंत्री के लिये पर्याप्त है। और ऐसे स्वशासन मंत्री हैं कि उनके नेतृत्व में अगर स्वायत्त शासन विभाग तीन महीने के अन्दर अपने मुल्जिमों के विरुद्ध सबूत इकट्ठा नहीं कर सका तो बड़े आश्चर्य की बात होगी। इसलिये मैं चाहूंगा कि माननीय मलखान सिंह जी के संशोधन पर मंत्री जी फिर से विचार करें। दूसरी बात यह है कि वहां पर जल्दी से जल्दी चुनाव हो जाना चाहिये। मैं बड़े गौर से इस बहस मुबाहिसे को सुनता रहा। रिमूवल और सस्पेंशन के सारे अधिकार मंत्री जी ने अपने हाथ में ले लिये हैं। अब देखना यह है कि इस बोझ को चलाने में वह कितने समर्थ होंगे। लेकिन उनकी सामर्थ्य का हाल मुझे मालूम है। वह काफी समर्थ हैं। आगे आने वाला जमाना बतलायेगा कि इन बोझों को लेकर वह काम नेकनामी के साथ चलाते हैं या बदनामी के साथ हैं।

मैं अपने को उनका छोटा भाई कह सकता हूं और उनका मित्र होने का दावा भी कर सकता हूं। इस वक्त हम दोनों राजनीतिक विरोधी भी हैं। यह कोई छिपाने की बात नहीं है। मैं उनको सलाह दूं तो वह हैसियत मैं नहीं रखता। लेकिन उनसे मैं निवेदन करता हूं कि जो बोझा वह उठाते चले जा रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि ४/५ साल तक वह इस विभाग के नेता बने रहेंगे। चाहे इस समय वह सारे के सारे इंतजाम ले रहे हैं और बड़े-बड़े अख्तियारात अपने हाथ में ले रहे हैं इसमें उनको मजा आ रहा हो। सारे सूबे के अधिकार उनके पास हैं। लेकिन मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह से अख्तियारात लेना खतरे से खाली नहीं है। हम तो उनके राजनीतिक विरोधी हैं लेकिन जो उनके राजनीतिक मित्र हैं, जो उनके हुकुम से और सलाह से चलते हैं। उन लोगों को इस बात की सख्त शिकायत है। अगर मंत्री जी की यह धारणा हो जाय कि रिमूवल या सुपरसैशन होने पर जल्दी से जल्दी चुनाव हो जायं या जल्दी से जल्दी निर्णय हो जाय तो उन्हीं के हाथ मजबूत होंगे और उनके हाथ की सफाई होगी इस तरह के जो वह अख्तियारात ले रहे हैं मैं समझता हूं कि वह खतरे से खाली नहीं है। अगर वह इस पर विचार करेंगे तो फैसला दूसरे किस्म का होगा। नहीं तो उन्हें अधिकार है जो चाहे वह फैसला कर सकते हैं।

श्री रामनरेश शुक्ल—उपाध्यक्ष महोदय, यों तो माननीय मंत्री जी ने इस संशोधन पर काफी प्रकाश डाल दिया है और इसको स्पष्ट कर दिया है। जहां तक मेरा संबंध है

मैं आपके द्वारा एक उदाहरण रखना चाहता हूं। अभी हाल ही में एक फैसला सुप्रीम कोर्ट से हुआ है। लेबर ट्रिब्युनल ने एक तारीख मुकर्रर की थी कि अमुक तिथि तक इस मामले का फैसला हो जाना चाहिये। लेकिन निश्चित तिथि तक फैसला नहीं हो पाया और अपीलेट कोर्ट ने मंजूर किया कि गो फैसला मुकर्रर तिथि के बाद में हुआ लेकिन फैसला ठीक है, कोई हर्ज नहीं है। अभी दो तीन हफ्ते की बात है कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला हुआ है और वह रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि मुकर्रर तारीख के बाद फैसला किया था। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय ठाकुर मलखान सिंह जी से जो एक चतुर वकील भी हैं, यह प्रार्थना करूंगा कि ऐसे उदाहरण पिछले दिनों में थे, आज भी हैं और आइन्दा भी हो सकते हैं। अगर कोई निश्चित तारीख कर दी जायगी तो जो सज्जन फंसे रहेंगे वह उसको इवेड करने की कोशिश करेंगे और इसके बाद उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जा सकेगी। जहां तक इस संशोधन का संबंध है मुझे अधिक कुछ नहीं कहना है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन उपस्थित किया गया है उसमें दो अंग हैं पहले अंग में यह कहा गया है कि—

"The proceedings at inquiry shall be finished within three months of the date of suspension"

इसका दूसरा अंग यह है कि—

"and a fresh election, if necessary, be held within the next three months."

उपाध्यक्ष महोदय, अब तक तो ऐसे संशोधन उपस्थित किये गये थे जिनमें हमने कोशिश की कि हम माननीय स्वशासन मंत्री और सरकार के हाथ बांध दें। लेकिन हम नाकामयाब रहे क्योंकि बहुमत उनका है। लेकिन हम जरा स्वशासन मंत्री को अग्नि परीक्षा में रखना चाहते हैं।

अब तक स्टेट गवर्नमेंट को पावर्स देने के लिये हम विरोध कर रहे थे लेकिन इसमें तो हमने एम्बीगुअस टर्म्स में इलेक्शन का प्राविजन रखा दिया है। इसमें हमने यह कह दिया "इफ नेसेसरी विदइन सिक्स मंथ्स"। उपाध्यक्ष महोदय यह लाजिमी भी नहीं है कि वह तीन महीने के अन्दर इलेक्शन करा लें और देखते हैं कि दिक्कतें हैं तो मियाद बढ़ा भी सकते हैं। बस सरकारी दल के पास एक ही जवाब है कि हमारे पास ३९१ वोट हैं। हम चाहे उचित या अनुचित जो भी संशोधन पेश करेंगे वे उसे नामंजूर कर देंगे। इस संशोधन में तो सरकार का हाथ भी नहीं बंधता, कोई लिमिटेशन नहीं है। "मे" "may" शब्द इसमें प्रयोग किया गया है। इसमें सरकार को काफी उछल कूद मचाने का मौका मिलता है। माननीय मलखान सिंह जी ने जो संशोधन रक्खा है यह उन्होंने अपने पुराने मित्र गौतम जी का इम्तिहान लेने के लिये रक्खा है कि आया अब भी वह पुरानी मित्रता से प्रभावित होते हैं या नहीं। इसमें कोई पाबन्दी भी नहीं है। हमें खुशी है कि माननीय स्वशासन मंत्री अब तो कुछ बोलने भी लगे हैं, इस पर मुबारकबाद तो देना नहीं चाहता, लेकिन खुशी है कि उन्होंने बोलना तो शुरू किया। हमने इसमें जो प्राविजन रक्खा है "इलेक्शन, इफ नेसैसरी," यह तो उन्हीं के हाथ में है, इलेक्शन देर में हो सकता है। वक्त की कोई पाबन्दी नहीं है। हमें भी देखना है कि माननीय मंत्री मेरे मित्र मलखान सिंह से अपनी पुरानी मित्रता को कायम रखते हुये यह संशोधन स्वीकार करते हैं या नहीं। मित्रता तो कायम रह ही सकती है चाहे भले ही वह दोनों अलग-अलग दल में हों। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री उस पर विचार करके अपने पुराने मित्र का खयाल करके इस संशोधन को स्वीकार करेंगे।

श्री मलखान सिंह—सस्पेंशन की इंक्वायरी तीन महीने में खत्म हो जानी चाहिये। अभी हमारे शुक्ल जी ने कहा कि अगर यह रख दिया गया कि तीन महीने के अन्दर इंक्वायरी

[श्री मलखान सिंह]

खत्म करनी है, कोई आदमी उसे इवेड करे, गैर हाजिर रहे तब तो यह बहुत बड़ा सबूत है उसके खिलाफ चार्जेज इस्टेब्लिश करने का। इसलिये मैं यह समझता हूं कि हर हालत में सस्पेंशन तीन महीने के अन्दर हो सकता है। इसके बाद जैसा कि माननीय राम नारायण त्रिपाठी ने कहा इसमें यह रक्खा है "इलेक्शन, इफ नेसेसरी" अगर आवश्यक समझा गया तो अगले तीन महीने के लिये उसकी मियाद बढ़ाई जा सकती है। इसमें तो काफी लम्बी छूट है। इसलिये मैं यह समझता हूं कि जो यह संशोधन पेश किया गया है यह बहुत ही मुनासिब है और इसको माननीय मंत्री जी मंजूर कर लेंगे।

श्री मोहनलाल गौतम---मुझे कुछ नहीं कहना है।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २२ द्वारा प्रस्तावित धारा ४८ को नयी उपधारा (३) के अन्त में निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ दिया जाय--

"Explanation:—The proceedings at inquiry shall be finished within 3 months of the date of suspension and a fresh election, if necessary, be held within the next three months."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि संशोधित धारा २२ इस विधेयक का अंग मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

१९ तथा २० दिसम्बर, १९५२ को रात के ६ बजे से ९ बजे तक पुनः सदन के बैठक करने के संबंध में प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष---मैं समझता हूं कि जो नोटिस मेरे पास आया है उसको इस समय ले लिया जाय।

स्वशासन मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)---आपकी आज्ञा से एक शाब्दिक अमेंडमेंट रह गया है जिसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं वह १०८ वाले संशोधन में "अण्डर" रख देने का है। क्योंकि वह अपर हाउस से पास हो चुका है इसलिये यहां पर आना उसको जरूरी समझता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---जो बात तय हो चुकी है वही ठीक है। अब उसके लिये कोई संशोधन करना आवश्यक नहीं है। जो प्रस्ताव आपने भेजा है अगर इस समय वह लिया जाय तो अच्छा है।

श्री मोहनलाल गौतम---मेरा प्रस्ताव यह है कि १९ और २० तारीख को जितना समय भवन का निश्चत है उसके अलावा ६ बजे से ९ बजे तक आज और कल यह सदन बैठे। मैं इतनी बात साफ कर देना चाहता हूं जैसा कि सुबह बातचीत के दौरान में जो बात हाउस के सामने थी वह यह थी जिसको हाउस के सभी दलों ने माना है कि सोमवार के दिन हम इसको समाप्त कर दें। मेरा भी टारगेट यही था कि सोमवार को यह समाप्त कर दिया जाय। अगर इसमें कोई भी दूसरा और रास्ता निकल सकता है कि जिससे सोमवार के दिन यह म्युनिसिपैलिटी का बिल हम समाप्त कर दें तो मुझे कोई आपत्ति किसी प्रकार की एडजस्ट करने में नहीं होगी। लेकिन यह न कहा जाय कि चूंकि समय नहीं मिला ज्यादती हो रही है और विचार करने का मौका नहीं मिला। मैं इस तरह की बात नहीं चाहता कि कोई इस तरह से कहे। जो सुबह फैसला हुआ मैं उसके लिये

तैयार हूं चाहे संडे को भी बैठना पड़े लेकिन सोमवार को यह समाप्त होना चाहिये । मेरी जो राय है यह मैंने आपके सामने रख दी। इसमें इतना जरूर है कि जो नियम इस प्रकार हो उसकी जांच कर ली जाय। यदि कोई नियम ऐसा हो जिस दिन कोई संशोधन लिया गया हो उस दिन तृतीय वाचन लिया जा सकता है तो इस पर विचार कर लिया जाय । अगर कुछ अमेंडमेंट रह जाते हैं और अगर यह सदन की राय है कि वह संशोधन सोमवार को ले लिये जायं और थर्ड रीडिंग भी उसी दिन के लिये हो जाय तो उसको भी साफ तौर पर सोच लेना चाहिये और फैसला कर लेना चाहिये ताकि उस रोज यह बात न उठाई जा सके क्योंकि इस बिल पर अमेंडमेंट हुये हैं इसलिये इसको कल लिया जाय । मेरा निवेदन केवल इतना है कि जो भी उस तरह से कर लिया जाय लेकिन सोमवार के दिन इसको खत्म करने का कार्यक्रम बनाया जाय और मैं फिर उसी तरह से एडजस्ट करने के लिये तैयार हूं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)---उपाध्यक्ष महोदय, जो बात माननीय मंत्री जी ने कही वह तो हम लोगों ने सुबह ही स्पष्ट कर दी थी कि विरोधी दल का यह मंशा नहीं है कि इसमें ज्यादा देर की जाय। आपने देखा होगा कि जो मुनासिब संशोधन हैं उन पर ही विचार करने के लिये उपस्थित करते हैं। हम भी यह चाहते हैं और कोशिश करते हैं कि इसको जल्द समाप्त किया जाय । लेकिन सरकार खुद गलती करती है और उसने एक बड़ी गलती यह की कि वह ग्लोटीन का प्रस्ताव ले आई और फिर कहा कि सैटर डे को भी मीटिंग होगी । ऐसी सूरत में हमारे ऊपर यह चार्ज न लगाया जाय। जो मंशा माननीय मंत्री जी का है वही मंशा अपोजीशन का भी है उनको इस तरह का आबस्ट्रक्शन पेश नहीं करना चाहिये। हम इस वक्त यह कह सकते हैं कि हम खुद इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि यह समाप्त हो जाय कि जिससे माननीय मंत्री जी को नाराज न होना पड़े।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव माननीय स्वशासन मंत्री ने रखा है कि आज और कल ६ से ६ बजे तक बैठा जाय मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। सवाल यह है जैसा कि हमारे माननीय मित्र श्री रामनारायण जी ने कहा कि हम हर तरह से कोशिश इस बात की करेंगे कि सोमवार को यह बिल पास हो जाय। तो उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि सदन में सभी मेम्बर हाजिर नहीं रहते हैं इसलिये ऐसा कर दिया जाय कि जितने भी मेम्बर लखनऊ में हाजिर हैं वह सब यहां उस वक्त तक रहें तो इस पर विचार हो सकता है लेकिन होता यह है कि इधर वालों को तो आखिर तक रहना पड़ेगा और फिर हमें दोष दिया जायगा कि बार-बार घंटी बजवायी जाती है और समय नष्ट किया जाता है। इसलिये जैसी कि आशा प्रकट की गई है सोमवार को काम खत्म हो जायगा। इसलिये इस वक्त ही काम खत्म कर दिया जाय और कल भी बैठने की जरूरत नहीं है हमें विश्वास है कि सोमवार को यह पूरा हो जायगा अगर यह कबूल कर लें तो बड़ा अच्छा है कि अब हम सोमवार को ही बैठें और उस दिन इस को पूरा कर दें।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)---उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि सोमवार को अगर यह खत्म हो जाय तो आज इस वक्त या कल को बैठने की जरूरत नहीं है। मैं आप को यह भी बतला दूं कि हमारी तरफ के केवल दो तीन खास संशोधन रह गये हैं और बाकी तो कांग्रेस पार्टी के ही संशोधन हैं जो आसानी से हो सकते हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि सोमवार को यह काम जरूर ही खत्म हो जायगा। इसलिये मैं समझता हूं कि कल या आज इस वक्त बैठने की जरूरत नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष---कल के लिये तो तय हो चुका है ।

श्री मोहनलाल गौतम---यदि आप इस प्रकार के कार्यक्रम को बना लें कि जितने बाकी संशोधन हैं वह सब सोमवार को लिये जायं और उस के बाद उसी दिन फौरन ही थर्ड

[श्री मोहनलाल गौतम]

रीडिंग भी हो जाय और इस संबंध में जो नियम हैं वह भी सस्पेंड हो जाय और इस तरह से सोमवार को सब काम इस संबंध में खत्म हो जाय तो मुझे कोई एतराज नहीं है और ऐसी हालत में कोई जरूरी न होगा कि हम आज और बैठें या कल सैटरडे को बैठें और सोमवार ही के लिये हम अब एडजर्न कर सकते हैं लेकिन स्पष्ट रूप से यह सदन फैसला कर ले कि सोमवार को इस को खत्म करना है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी——जो वादविवाद सदन में इस समय हो रहा है मैंने उस पर गौर किया। हम पूरी कोशिश करेंगे कि सोमवार को यह बिल खत्म हो जाय। इस में मंत्री जी को शंका हो सकती है लेकिन मैं समझता हूं कि हम कोशिश में कामयाब भी हो सकते हैं इसलिये ऐसी शंका प्रकट करना और बाल की खाल निकालना कोई अच्छी बात नहीं है जब कि पारस्परिक भावना को पैदा करने और रिलेक्शन्स को बढ़ाने की बात है तो निराशा की कोई बात न होनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष——थर्ड रीडिंग के बारे में कोई वैधानिक आपत्ति न होनी चाहिये, यह तो सदन के आपस के सहयोग का नतीजा हो सकता है कि सोमवार को यह बिल समाप्त हो जाय और उसी दिन थर्ड रीडिंग हो जाय। अगर सब को इस बात पर विश्वास है तो इस पर विचार कर लिया जाय कि हम इस वक्त और कल न बैठें और सोमवार को बैठकर ही इस को खत्म कर दें।

श्री मोहनलाल गौतम——उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह समझा कि आप फरमा रहे हैं कि हाउस सोमवार को बैठेगा और उसी दिन सब अमेंडमेंट्स होने के बाद तीसरी रीडिंग होगी और सब काम इस तरह से खत्म हो जायगा और अगर कोई रूल ऐसा करने में हायल होगा तो वह सस्पेंड हो जायगा, यही इन्डिकेशन मैं समझा हूं।

श्री उपाध्यक्ष——मैं सदन पर ही छोड़ रहा हूं जैसी आप लोगों की राय हो।
मैं समझता हूं कि सदन की यह राय है कि ... ...

श्री रामनारायण त्रिपाठी——एक निवेदन मैं करूं कि सदन की राय का प्रश्न उठ नहीं सकता, इसलिये कि एक प्रस्ताव सरकारी दल की ओर से भी सैटरडे की सिटिंग का है। दूसरा प्रस्ताव यह आया। तो ऐसी परिस्थिति के अनुसार उनकी भावना की कदर करते हुये जो हमको कहना था वह हमने कह दिया। हम समझते हैं कि हमको मौका दिया जाय। इससे अधिक हम कुछ नहीं कर सकते। माननीय स्वशासन मंत्री पहले अपना कल वाला प्रस्ताव वापस लेलें और कोई वजह नहीं है कि माननीय मंत्री जी को निराश होना पड़े।

श्री मोहनलाल गौतम——मैंने पहले ही निवेदन किया कि मुझे वापस लेने में कोई आपत्ति नहीं है। यह जो फैसला है जिसको कि मैंने दोहराया था कि सोमवार को पहले बाकी अमेंडमेंट्स ले लिये जायं और उनके खत्म होने के बाद थर्ड रीडिंग फौरन शुरू हो जाय। अगर उसके शुरू होने में कोई रूल्स रुकावट डालें तो वे सस्पेंडड समझे जावेंगे और सोमवार को हाउस उस समय तक बैठेगा जब तक कि थर्ड रीडिंग खत्म न हो जाय। चाहे हमें समय बढ़ाना पड़े। उसमें पहले और पीछे करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कहता हूं कि फिर कल हम नहीं बैठेंगे।

श्री उपाध्यक्ष——मैं समझता हूं कि जो आश्वासन दोनों ओर से दिये गये हैं उनके अनुसार सोमवार को बैठना ही ठीक होगा। यह सही है कि दोनों पक्षों की ओर से इस बात का प्रयत्न होगा कि थर्ड रीडिंग भी उसी दिन खत्म हो जायगी और कोई नियम की

आपत्ति उसके अन्दर नहीं रहेगी। ऐसा दोनों ओर से आश्वासन प्राप्त करते हुये मैं समझता हूं कि वह ठीक है।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ७ मिनट पर सोमवार, २२ दिसम्बर, १९५२ को ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
१९ दिसम्बर, १९५२।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

(देखिये अल्प सूचित तारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ २८६ पर)

मिलों के नाम और उनके चालू होने की तारीख

क्रम संख्या	मिल का नाम			चालू होने की तारीख
१	हरगांव	..	..	२३-११-५२
२	कप्तानगंज	..	..	२३-११-५२
३	गोला	..	..	२३-११-५२
४	मन्सूरपुर	..	..	२४-११-५२
५	बिलारी	..	..	२४-११-५२
६	सिवराही	..	..	२४-११-५२
७	अमरोहा	..	..	२६-११-५२
८	बिजनौर	..	..	२६-११-५२
९	शिवहारा	..	..	२८-११-५२
१०	हरदोई	..	..	२८-११-५२
११	बेगमाबाद	..	..	२९-११-५२
१२	देवबन्द	..	..	१-१२-५२
१३	रोहाना	..	..	१-१२-५२
१४	सखौती	..	..	१-१२-५२
१५	सिंभोली	..	..	१-१२-५२
१६	महोली	..	..	१-१२-५२
१७	रामकोला (पंजाबी)	..	..	१-१२-५२
१८	फरेंदा	..	..	१-१२-५२
१९	जरवल	..	..	१-१२-५२
२०	नेवली	..	..	२-१२-५२
२१	किच्छा	..	..	३-१२-५२
२२	घुघली	..	..	३-१२-५२
२३	मवाना	..	..	३-१२-५२
२४	रौजा	..	..	५-१२-५२
२५	लकसर	..	..	
२६	दौराला	..	..	
२७	धामपुर	..	..	
२८	शामली	..	..	६-१२-५२
२९	बरेली	..	..	
३०	पिपराइच	..	..	
३१	बाराबंकी	..	..	

क्रम संख्या	मिल का नाम			चालू होन की तारीख
३२	शाहगंज	..	..	
३३	बुलन्द	..	..	८-१२-५२
३४	रजा	..	..	
३५	परताबपुर	..	..	
३६	काशीपुर	..	..	९-१२-५२
३७	बलरामपुर	..	..	
३८	बस्ती	..	..	१०-१२-५२
३९	खतौली	.	..	११-१२-५२
४०	जरबलरोड	.	..	११-१२-५२

सत्यमेव जयते

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १२ का उत्तर पीछे पृष्ठ २६१ पर)

सन् १६५१-५२

विद्यार्थी का नाम, कक्षा तथा संस्था	पूरा पता	द्रव्य जो मिला था
१--स्वदेश चन्द्र दुबे, कक्षा ११ एस० डी० इंटर कालेज, इटावा	पं० अम्बिका चरन दुबे, राजनैतिक पीड़ित गांव नवगांव, पो० कैंचौसी इटावा	२० रु० प्रतिमास
२--श्रीमती कमला देवी कुलश्रेष्ठ कक्षा ६, तिवारी जे० पी० आर्य कन्या पाठशाला इंटर कालेज, इटावा।	श्री अवधि नारायण कुलश्रेष्ठ, क्लर्क, जिला बोर्ड, इटावा	१२ रु० ,,
३--ब्रह्मस्वरूप कुलश्रेष्ठ, कक्षा ८ डी एस० डी० इंटर कालेज, इटावा	.. ..	१५ रु० .. ..
४--नरेशचन्द्र दुबे, कक्षा ११ एस० डी० इन्टर कालेज, इटावा	श्री लल्लू राम दुबे इटावा	४० रु० पुस्तकों का मूल्य

सन् १६५२-५३

१--स्वदेशचन्द्र दुबे, कक्षा १२ एस० डी० इन्टर कालेज, इटावा	पं० अम्बिकाचरन दुबे, राजनैतिक पीड़ित, गांव नवगांव, पो० कचौसी, इटावा	२० रु० प्रतिमास
२--श्रीमती कमला देवी कुलश्रेष्ट, कक्षा १०, तिवारी जे० पि० आर्य कन्या पाठशाला इंटर कालेज, इटावा	श्री अवधि नारायण कुलश्रेष्ट, क्लर्क, जिला परिषद, इटावा	१२ रु० प्रतिमास

नत्थी 'ग'

(देखिये अतारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३९३ पर)

	कत्ल				डकैती			
वर्ष	कत्ल की संख्या जिनकी रिपोर्ट थाने में की गई	जांच में सफलता की संख्या	मुकदमों में सफलता की संख्या	मुकदमें जो अभी चल रहे हैं	डकैतियों की संख्या जिनकी रिपोर्ट थाने में की गई	जांच में सफलता की संख्या	मुकदमों में सफलता की संख्या	मुकदमें जो अभी चल रहे हैं।
१९५०	६८	३७	१८	,,	२४	१७	१०	,,
१९५१	६७	३२	९	२	२५	१८	५	२

उत्तर प्रदेश विधान सभा